

भारत की

बढ़ती

● ऊर्जा जरूरतों
को पूरा करते हुए



महानदी
बेसिन
पावर
लिमिटेड



वार्षिक प्रतिवेदन



2023-24

'दृष्टि'

" देश की उर्जा सुरक्षा और सतत विकाश की दिशा
में बाधाओं को अवसरों में बदलने वाले परिवेश के
साथ सतत विकास हेतु"

'उद्देश्य'

"नवोन्मेषी और पर्यावरण-अनुकूल प्रौद्योगिकी
द्वारा प्रतिस्पर्धी मूल्य पर विश्वसनीय उर्जा उत्पन्न
करना तथा समाज के विकास में योगदान देना"



विषय-सूची:

क्रमांक	विषय	/पृष्ठ संख्या
1.	प्रबंधन/बैंकर्स/लेखा परीक्षक	0
2.	सूचना	1
3.	निदेशकों का प्रतिवेदन	2-6
4.	लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और प्रबंधन का जवाब	7-14
5.	भारत के महालेखा परीक्षक एवं नियंत्रक की टिप्पणियां	15
6.	31 मार्च, 2024 तक तुलन पत्र	16-17
7.	31 मार्च, 2024 वित्तीय वर्ष का लाभ हानि कथन	18-19
8.	इक्विटी में परिवर्तन का विवरण	20-21
9.	नकद प्रवाह विवरण	22-24
10.	तुलनपत्र और लाभ-हानि विवरणी के तिप्पणियों का भाग	25-79

कंपनी की जानकारी

निदेशक मंडल:

श्री केशव राव (DIN: 08651284)	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री के एस सिंह (DIN: 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री जी महापात्र (DIN: 10125609)	निदेशक	01.03.2023
श्री ए के पांडे (DIN: 10152192)	निदेशक	01.03.2023

मुख्य कार्यकारी अधिकारी:

श्री एस.के. भुयां

वैधानिक लेखा परीक्षक:

मेसर्स सुरु कोटनी एंड एसोसिएट्स,
चार्टर्ड अकाउंटेंट,
भुवनेश्वर, ओडिशा।

बैंकर्स:

भारतीय स्टेट बैंक, भुवनेश्वर
यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, संबलपुर

पंजीकृत कार्यालय:

प्लॉट नं.जी-3, गडकना, चन्द्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर-751017 (ओडिशा)



सूचना 13 वीं वार्षिक आम बैठक

एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि महानदी बेसिन पावर लिमिटेड की 13वीं वार्षिक आम बैठक शुक्रवार 11 जुलाई, 2024 को दोपहर 12.30 बजे कंपनी के पंजीकृत कार्यालय एमसीएल ऑफिस, जी -3, गड़कना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर- 751017 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विजुअल माध्यमों (ओएवीएम) के माध्यम से निम्नलिखित व्यवसाय करने के लिए आयोजित की जाएगी:

साधारण व्यवसाय:-

- 31 मार्च, 2024 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों पर विचार करना और उन्हें अपनाना, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक लेखापरीक्षित बैलेंस शीट और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण और महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के निदेशक मंडल, वैधानिक लेखा परीक्षक और भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल हैं।
- श्री के.एस. सिंह, निदेशक (डीआईएन - 09595085) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना , जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 152(6) के अनुसार चक्रानुक्रम से सेवानिवृत्त हो रहे हैं तथा पात्रता होने के कारण, स्वयं को पुनः नियुक्ति के लिए प्रस्तुत करते हैं।
- श्री ए.के. पांडे (डीआईएन: 10152192) के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना, जो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के अनुसार रोटेशन से सेवानिवृत्त हो रहे हैं और पात्रता होने के कारण, पुनः नियुक्ति के लिए स्वयं को प्रस्तुत करते हैं।

निदेशक मंडल के आदेश से
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के लिए

हस्ता/-

(केशव राव)

अध्यक्ष, महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

पंजीकृत कार्यालय:

प्लॉट नं. जी-3, मंचेश्वर रेलवे कॉलोनी, भुवनेश्वर-751017.

टिप्पणी:

- शेयरधारकों से अनुरोध है कि यदि आवश्यक हो तो वे कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 101(1) के प्रावधानों के अनुसार कम समय के नोटिस पर वार्षिक आम बैठक बुलाने के लिए अपनी सहमति दें।

सदस्य:

- महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
- श्री उदय ए. काओले, सीएमडी, एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
- श्री जुगल कुमार बोरा, डीटी (ओपी), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
- श्री अजीत कुमार बेहुरा, निदेशक (वित्त), एमसीएल, जागृति विहार, बुर्ला, संबलपुर 768020
- श्री अवध किशोर पांडे, महाप्रबंधक(खनन), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020
- श्री गवर्धन महापात्र, जीएम (ई एंड एम), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020
- श्री संजीव कुमार भुइयां, जीएम (ईएंडएम), एमसीएल, जागृति विहार, संबलपुर 768020

सभी निदेशक, एमबीपीएल

लेखा परीक्षक:

- महानिदेशक लेखापरीक्षा (कोयला), ओल्ड निज़ाम प्लेस, 234/4, आचार्य जगदीश चंद्र बोस रोड, कोलकाता - 700020
- मेसर्स सुरु कोटनी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, वैधानिक लेखा परीक्षक, भुवनेश्वर।

निदेशकों की रिपोर्ट

प्रति
शेयरधारक
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

सज्जनो,

मुझे निदेशक मंडल की ओर से आपकी कंपनी की 13 वीं वार्षिक रिपोर्ट, 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए लेखापरीक्षित लेखों के साथ-साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां प्रस्तुत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है।

आपकी कंपनी "महानदी बेसिन पावर लिमिटेड", (एक एसपीवी) महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। एसपीवी को 02.12.2011 को 'महानदी बेसिन पावर लिमिटेड' के रूप में निगमित किया गया था, जिसका पंजीकृत कार्यालय प्लॉट नंबर जी-3, गडकाना, चंद्रशेखरपुर, भुवनेश्वर-751017 (ओडिशा) में था और कारोबार शुरू करने का प्रमाण पत्र आरओसी, कटक द्वारा 06.02.2012 को जारी किया गया था।

कंपनी जिला सुन्दरगढ़ में 2X800 मेगावाट सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट की प्रस्तावित विद्युत परियोजना का विकास, संचालन और रखरखाव करेगी। प्रस्तावित परियोजना का निष्पादन ईपीसी आधार पर किया जाएगा।

वित्तीय प्रदर्शन:

ब्यौरा	2023-24 (₹ लाख में)	2022-23 (₹ लाख में)
वर्ष के लिए आय	0	0
मूल्यहास और परिशोधन व्यय को छोड़कर वर्ष के लिए व्यय।	3.72	2.56
मूल्यहास और परिशोधन व्यय से पहले लाभ या हानि।	(3.72)	(2.56)
घटाएँ: मूल्यहास और परिशोधन व्यय।	0.09	0.22
मूल्यहास और परिशोधन व्यय के बाद लाभ या हानि, लेकिन कर से पहले	(3.81)	(2.78)
घटाएँ: वर्तमान कर	0	0
कर के बाद लाभ या हानि	(3.81)	(2.78)

कंपनी निर्माण चरण में है और प्रचालनात्मक कार्यकलाप अभी शुरू नहीं किए गए हैं। इसलिए, कंपनी द्वारा किए गए सभी व्यय, जो वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान परियोजना के लिए सीधे जिम्मेदार हैं, को पूंजीकृत किया गया है और अन्य अप्रत्यक्ष खर्चों को लाभ और हानि विवरण के लिए चार्ज किया गया है। वित्तीय वर्ष 2023-24 तक, कंपनी ने महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (होल्टिंग कंपनी) से 3241.00 लाख रुपये असुरक्षित दीर्घकालिक ऋण लिया है।

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के अंतर्गत अधिसूचित लेखांकन मानकों, कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम 7 और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधानों, जैसा लागू हो और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुपालन हेतु भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (भारतीय जीएपी) के अनुसार तैयार किए गए हैं। लेखांकन नीतियों को लगातार लागू किया गया है, सिवाय उन मामलों के जहाँ नए जारी किए गए लेखांकन मानक को शुरू में अपनाया गया हो या मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक इस्तेमाल की जा रही लेखांकन नीति में बदलाव की आवश्यकता हो। प्रबंधन ने हाल ही में जारी या संशोधित सभी लेखांकन मानकों का निरंतर आधार पर मूल्यांकन किया है। कंपनी ने तिमाही और वार्षिक आधार पर स्टैंडअलोन ऑडिटेड वित्तीय परिणामों का खुलासा किया है।

लाभांश:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया।

आरक्षित निधि:

कंपनी ने रिजर्व में कोई राशि हस्तांतरित नहीं की।

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एसपीवी) की भूमिका:

- साइट की पहचान
- भूमि का अधिग्रहण.
- जल लिंकेज, ईंधन लिंकेज आदि प्राप्त करना।
- विभिन्न तकनीकी अध्ययन आयोजित करना और परियोजना सूचना रिपोर्ट तैयार करना।
- सभी वैधानिक मंजूरीयां प्राप्त करना जैसे पर्यावरण, वन, रक्षा, विमानन आदि।

- f) एमसीएल/एमबीपीएल के विद्युत संयंत्र के लिए विनिर्देश तैयार करने हेतु सेवा प्रदान करने के लिए परामर्शदाता एवं मालिक के इंजीनियर का चयन, खुली निविदा के माध्यम से उपयुक्त ईपीसी ठेकेदार का चयन, पूर्व-अनुबंध सेवा, अनुबंध के बाद सेवा, परियोजना निगरानी सेवा, संयंत्र अधिग्रहण सेवा, उप निरीक्षण, गुणवत्ता आश्वासन, परीक्षण सेवा और साइट इंजीनियरों की नियुक्ति तथा विद्युत संयंत्र के लिए आवश्यक अन्य छूटे हुए कार्यों के साथ-साथ ओ एंड एम ऑपरेटर का चयन।

कंपनी की गतिविधियां- वर्तमान स्थिति:

भूमि:

- महानदी बेसिन पावर लिमिटेड (एमबीपीएल) को ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले के भेड़ाबहाल गांव में 2X800 मेगावाट का ताप विद्युत संयंत्र स्थापित करने का अधिदेश दिया गया है, जिसे पहले यूएमपीपी के लिए निर्धारित किया गया था।
- कुल 3245 एकड़ भूमि अधिग्रहित की गई है, जिसकी अनुमानित लागत 1500 करोड़ रुपये (लगभग) है। ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल), एमबीपीएल और औद्योगिक विकास निगम, ओडिशा (आईडीसीओ) के बीच त्रिपक्षीय समझौते (टीपीए) के माध्यम से भूमि एमबीपीएल के नाम पर हस्तांतरित की जानी है।
- भेड़ाबहाल साइट के आरएंडआर मुद्दे पर विचार करने के बाद टीपीए पर हस्ताक्षर किए जाएंगे, जिसके लिए आरपीडीएसी सदस्यों का चयन पूरा हो चुका है। आरपीडीएसी की बैठक अगस्त 2024 में आयोजित होने की उम्मीद है।
- आर.आर. कॉलोनी के लिए परियोजना प्रभावित परिवारों की सूची को अद्यतन करने तथा नगर नियोजन जैसे प्रारंभिक कार्य प्रगति पर हैं।

सलाहकार/मालिकों का चयन:-

- एनटीपीसी कंसल्टेंसी डिवीजन को पीएमसी सह ओनर्स इंजीनियर के रूप में नियुक्त करने के लिए सीआईएल से सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त हो गया है तथा एनटीपीसी को नियुक्त करने की प्रक्रिया प्रगति पर है।

पूर्व व्यवहार्यता रिपोर्ट:-

- 2 x 800 मेगावाट (चरण-I) के लिए पीएफआर मेसर्स डेलोइट द्वारा तैयार किया गया है।

पी.पी.ए. पर प्रगति

- असम सरकार के साथ 1200 मेगावाट बिजली के लिए और हरियाणा के साथ 800 मेगावाट बिजली के लिए 24.03.2023 को पीपीए हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
- छत्तीसगढ़ सरकार के डिस्कॉम से 800 मेगावाट और ओडिशा सरकार से 800 मेगावाट के लिए सहमति प्राप्त हुई।
- मेसर्स डेलोइट को विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 62 के तहत बिजली बेचने के लिए विद्युत मंत्रालय को याचिका प्रस्तुत करने के लिए परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया है।

वैधानिक मंजूरी:-

- एचएलसीए, सरकार ने भेड़ाबहाल में 1800 मेगावाट क्षमता की परियोजना को मंजूरी दी।
- भूमि के अंतिम रूप देने के बाद, जल लिंकेज और चिमनी की ऊंचाई पर मंजूरी के लिए आवेदन भरा जाएगा।
- पर्यावरण मंजूरी- इस भूमि के लिए ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल) के लिए प्राप्त पर्यावरण मंजूरी 2026 तक वैध है। टीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद एमबीपीएल के नाम पर पर्यावरण मंजूरी के हस्तांतरण के लिए आवेदन भरना होगा।
- वन मंजूरी - इस भूमि के लिए ओडिशा इंटीग्रेटेड पावर लिमिटेड (ओआईपीएल) के लिए स्टेज-I एफसी प्राप्त हुई, जो 2022 तक वैध है, ओआईपीएल द्वारा एफसी स्टेज-I के विस्तार के लिए आवेदन भरा गया है। टीपीए पर हस्ताक्षर करने के बाद इसी के हस्तांतरण के लिए आवेदन भरा जाएगा।
- जल मंजूरी: ओआईपीएल के लिए सरकार द्वारा 120 क्यूसेक पानी स्वीकृत किया गया। टीपीए पर हस्ताक्षर के बाद आवंटन हस्तांतरण के लिए आवेदन ऑनलाइन भरा जाएगा।
- कोयला लिंकेज : 29.06.2017 को एमबीपीएल के लिए 9 एमटी कोयला लिंकेज को मंजूरी दी गई, शून्य तिथि को अंतिम रूप देने के बाद एमसीएल से पक्का आवंटन पत्र प्राप्त किया जाएगा।

इक्विटी निवेश:-

एमबीपीएल के माध्यम से 2X800 मेगावाट थर्मल पावर परियोजना की स्थापना के लिए एमसीएल द्वारा 30% की सीमा से अधिक इक्विटी निवेश के प्रस्ताव को भारत सरकार के मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित कर दिया गया है।

सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनियां:

आपकी कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है और इसकी कोई सहायक/संयुक्त उद्यम कंपनी नहीं है।

सावधि जमा:

आपकी कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 73 और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत परिभाषित वर्ष के दौरान जनता से कोई जमा स्वीकार नहीं किया है।

जोखिम प्रबंधन:

प्रभावी जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के लिए कंपनी के विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में जोखिम की पहचान, मूल्यांकन और उसके नियंत्रण को उचित महत्व दिया जाता है क्योंकि अंतर्निहित जोखिम, बाहरी और आंतरिक, आवश्यक नियंत्रण उपाय नियमित रूप से किए जाते हैं। भूमि अधिग्रहण, वन मंजूरी और पर्यावरण संबंधी समस्याएं कुछ महत्वपूर्ण कारक हैं जिनकी प्रबंधन द्वारा निरंतर निगरानी की जाती है।

सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति:

सरकारी कंपनी होने के नाते, कंपनी की गतिविधियां सी एंड एजी, सतर्कता, सीबीआई आदि द्वारा लेखा परीक्षा के लिए खुली हैं।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार महानदी बेसिन पावर लिमिटेड पर कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व लागू नहीं होता है।

पूंजी संरचना:

31.3.2024 को कंपनी की अधिकृत इक्विटी शेयर पूंजी केवल 5,00,000 रुपये (पांच लाख रुपये) पर जारी रही, जिसे प्रत्येक 10/- रुपये के 50,000 इक्विटी शेयरों में विभाजित किया गया। 31.3.2023 को कंपनी की चुकता इक्विटी शेयर पूंजी रु. 5,00,000 पर अपरिवर्तित है। संपूर्ण इक्विटी शेयर पूंजी महानदी कोलफील्ड्स लि (एमसीएल) और इसके नामितियों के पास है।

संगठनात्मक संरचना:

कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, एसपीवी के मेमोरेण्डम ऑफ एसोसिएशन (एमओए) और एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल्स के 07 (सात) ग्राहक हैं; और एसपीवी के बोर्ड में सीएमडी, एमसीएल द्वारा नामित 04 (चार) निदेशक। एसपीवी के बोर्ड के पर्यवेक्षण और नियंत्रण में एसपीवी की दिन-प्रतिदिन की गतिविधियों को करने के लिए एक सीईओ की तैनाती भी की गई है।

कार्यात्मक सहायता:

कंपनी को एसपीवी की स्थापना और सुचारू संचालन के लिए आवश्यक सभी कार्यात्मक सहायता प्रदान की जा रही है। इसमें फोन, फैक्स, कंप्यूटर, वाहन और एसपीवी के दैनिक कामकाज के लिए आवश्यक सभी अन्य प्रशासनिक सुविधाओं के साथ सुसज्जित कार्यालय स्थान शामिल है। प्रशासनिक और कर्मचारी सहायता प्रदान की जा रही है और खर्च को एसपीवी के अलग खाता शीर्ष में आवंटित किया जाता है जिसे ब्याज के साथ एसपीवी में एमसीएल द्वारा योगदान की जाने वाली इक्विटी के विरुद्ध सेट ऑफ किया जाएगा।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी अवशोषण और विदेशी मुद्रा आय/व्यय के संबंध में विवरण:

कंपनी ने ऊर्जा संरक्षण से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कोई प्रौद्योगिकी हासिल नहीं की है। चूंकि कंपनी ने वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात और आयात से संबंधित कोई गतिविधि नहीं की है। वित्तीय वर्ष के दौरान कोई विदेशी मुद्रा व्यय और विदेशी आय नहीं हुई है।

निदेशक मंडल:

31 मार्च, 2024 तक निम्नलिखित व्यक्तियों को महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया है:

नाम	पदनाम	से
श्री केशव राव (DIN: 08651284)	अध्यक्ष	10/01/2020
श्री केएस सिंह (DIN: DIN - 09595085)	निदेशक	28.04.2022
श्री जी. महापाल (DIN: 10125609)	निदेशक	01/03/2023
श्री एके पांडे (DIN: 10152192)	निदेशक	01/03/2023

निदेशक मंडल की बैठकों की संख्या:

क्रमांक	विशेष विवरण	तारीख	बैठक स्थल
1	60 वीं बीओडी बैठक	08.04.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
2	61 वीं बीओडी बैठक	22.04.2023	एमसीएल कार्यालय, भुवनेश्वर
3	62 वीं बीओडी बैठक	26.05.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
4	63 वीं बीओडी बैठक	17.07.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
5	64 वीं बीओडी बैठक	25.10.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
6	65 वीं बीओडी बैठक	22.12.2023	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
7	66 वीं बीओडी बैठक	12.01.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर
8	67 वीं बीओडी बैठक	16.01.2024	एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला संबलपुर

वर्ष 2021-22 के दौरान बोर्ड की संरचना, निदेशकों की व्यक्तिगत उपस्थिति का विवरण:

निदेशकों का नाम	वर्ग	बोर्ड की बैठकें	
		कार्यकाल के दौरान आयोजित	उपस्थित
श्री केशव राव	गैर कार्यकारी	08	08
श्री के.एस. सिंह	गैर कार्यकारी	08	07
श्री जी. महापाला	गैर कार्यकारी	08	08
श्री ए.के. पाण्डेय	गैर कार्यकारी	08	07

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अंतर्गत ऋण, गारंटी या निवेश का विवरण:

कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण, गारंटी या निवेश नहीं दिया है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 188 के अंतर्गत संबंधित पक्षों के साथ अनुबंधों या व्यवस्थाओं का विवरण:

वर्ष के दौरान कंपनी का संबंधित पक्षों के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था नहीं है।

निदेशकों का उत्तरदायित्व विवरण:

अपने सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार और उनके द्वारा प्राप्त जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, आपके निदेशक कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (सी) के संदर्भ में निम्नलिखित बयान देते हैं:

- क कि 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए लेखों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है (लेखों पर टिप्पणियों में बताए गए को छोड़कर) साथ ही भौतिक विचलन से संबंधित उचित स्पष्टीकरण भी दिया गया है;
- ख. निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उन्हें सुसंगत रूप से लागू किया है तथा ऐसे निर्णय और आकलन किए हैं जो उचित और विवेकपूर्ण हैं, ताकि वित्तीय वर्ष के अंत में कंपनी के मामलों की स्थिति और उस अवधि के लिए कंपनी के लाभ या हानि का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रस्तुत किया जा सके;
- ग. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए इस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखा अभिलेखों के रखरखाव के लिए पर्याप्त सावधानी बरती है;
- घ. निदेशकों ने 31.03.2024 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए खाते चालू वित्त वर्ष के आधार पर तैयार कर लिए हैं;
- ई निदेशकों ने कंपनी द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण निर्धारित किए हैं और ये वित्तीय नियंत्रण पर्याप्त हैं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रहे हैं।
- च निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणालियां तैयार की थीं और ऐसी प्रणालियां पर्याप्त थीं तथा प्रभावी रूप से कार्य कर रही थीं।

वैधानिक लेखा परीक्षक:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 (5) के तहत मेसर्स सुरू कोटनी एंड एसोसिएट्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, भुवनेश्वर को भारत के सी एंड एजी, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए वैधानिक लेखा परीक्षक नियुक्त किया गया।

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट:

वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरण पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट, प्रबंधन का उत्तर (यदि कोई हो), योग्यता, आपत्ति या प्रतिकूल टिप्पणी या लेखा परीक्षक द्वारा अपनी रिपोर्ट में किया गया अस्वीकरण, इसके साथ संलग्न है।

सी एवं एजी की टिप्पणियाँ:

31 मार्च, 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के खातों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ इसके साथ संलग्न हैं।

वार्षिक रिटर्न का सार:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92(1) और कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में वार्षिक रिटर्न (फॉर्म संख्या एमजीटी-9) का अंश एमसीएल की वेबसाइट पर इस लिंक पर अपलोड किया गया है: http://www.mahanadicoal.in/Financial/annual_report.php

आभार:

आपके निदेशक कोयला मंत्रालय, कोल इंडिया लिमिटेड और महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड को उनके बहुमूल्य सहयोग, समर्थन और मार्गदर्शन के लिए हार्दिक धन्यवाद देते हैं। आपके निदेशक विभिन्न कंपनियों को भी धन्यवाद देते हैं।

केंद्रीय सरकार और ओडिशा राज्य सरकार के मंत्रालयों को उनके बहुमूल्य सहयोग के लिए धन्यवाद। निदेशकों ने लेखा परीक्षकों, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षकों और ओडिशा के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की भी सराहना की।

निदेशकगण सुंदरगढ़ के विभिन्न महत्वपूर्ण नागरिकों तथा ओडिशा के कोयला क्षेत्र में रहने वाले लोगों को समय-समय पर उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देते हैं।

परिशिष्ट:

निम्नलिखित कागजात संलग्न हैं:

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 139 के अंतर्गत नियुक्त किए गए वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129(4) के साथ पठित धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

हस्ता/-

(केशव राव)

अध्यक्ष

(डीआईएन: 08651284)

स्थान: संबलपुर

दिनांक: 05.07.2024

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

प्रति

सभी सदस्य गण

मेसर्स महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

भुवनेश्वर

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ("कंपनी") के भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों का ऑडिट किया है, जिसमें 31 मार्च, 2024 तक की बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और समाप्त वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का विवरण, और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश सहित वित्तीय विवरणों के नोट्स शामिल हैं (जिन्हें आगे "वित्तीय विवरण" के रूप में संदर्भित किया गया है)।

हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') द्वारा अपेक्षित तरीके से जानकारी देते हैं तथा भारत में आम तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुरूप 31 मार्च, 2024 तक कंपनी के कामकाज की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त वर्ष के लिए उसकी हानि, इक्विटी में परिवर्तन तथा उसके नकदी प्रवाह का सही और निष्पक्ष विवरण देते हैं।

राय का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानकों (एसए) के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। हम भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार कंपनी से स्वतंत्र हैं, साथ ही कंपनी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षण के लिए प्रासंगिक स्वतंत्रता आवश्यकताओं के अनुसार भी हम स्वतंत्र हैं, और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा साक्ष्य हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हैं।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले

मुख्य लेखापरीक्षा के मामले वे मामले हैं जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संदर्भ में और उस पर हमारी राय बनाने में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों पर अलग से कोई राय नहीं देते हैं।

एसए 701 के अनुसार प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों की रिपोर्टिंग, प्रमुख लेखापरीक्षा मामले कंपनी पर लागू नहीं होते क्योंकि यह एक असूचीबद्ध कंपनी है।

अन्य मामले

कंपनी के पास प्रगतिरत पूंजीगत कार्य के अंतर्गत 2,565.19 लाख रुपये (बैलेंस शीट के लिए नोट संख्या-3.2) का मूल्य है: यह कंपनी की स्थापना के बाद से संचित परियोजना विकास व्यय है, अर्थात्, वर्ष 2011 से, इस प्रगतिरत पूंजीगत कार्य से अब तक कोई ठोस संपत्ति उत्पन्न नहीं हुई है।

वित्तीय विवरण और उस पर लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य जानकारी तैयार करने के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में बोर्ड की रिपोर्ट वाली जानकारी शामिल है, जिसमें बोर्ड की रिपोर्ट के अनुलग्नक शामिल हैं, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और उस पर हमारे ऑडिटर की रिपोर्ट शामिल नहीं है। वित्तीय विवरणों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम उस पर किसी भी तरह का आश्वासन निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी है कि हम अन्य जानकारी को पढ़ें और ऐसा करते समय इस बात पर विचार करें कि क्या अन्य जानकारी वित्तीय विवरणों या हमारी लेखापरीक्षा के दौरान प्राप्त जानकारी से भौतिक रूप से असंगत है या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

यदि, हमारे द्वारा किए गए कार्य के आधार पर, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इस अन्य जानकारी में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण है; तो हमें उस तथ्य की रिपोर्ट करना आवश्यक है। इस संबंध में हमें रिपोर्ट करने के लिए कुछ भी नहीं है।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, जो इन वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के संबंध में हैं, जो भारत में आम तौर पर स्वीकार किए गए लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन, इक्विटी और नकदी प्रवाह में परिवर्तन के विवरण की सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं, जिसमें अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानक (इंड एस) शामिल हैं, इसके तहत जारी किए गए प्रासंगिक नियमों के साथ पढ़ें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और उनका पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और आवेदन; ऐसे निर्णय और अनुमान लगाना जो उचित और विवेकपूर्ण हों; और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी रूप से काम कर रहे थे, वित्तीय विवरणों की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक जो एक सही और निष्पक्ष जानकारी देते हैं और भौतिक गलत बयानी से मुक्त हैं, चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

वित्तीय विवरण तैयार करते समय, प्रबंधन कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता का आकलन करने, जहां लागू हो, चालू व्यवसाय से संबंधित मामलों का खुलासा करने और लेखांकन के चालू व्यवसाय आधार का उपयोग करने के लिए जिम्मेदार होता है, जब तक कि प्रबंधन कंपनी को समाप्त करने या परिचालन बंद करने का इरादा न रखता हो, या उसके पास ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प न हो।

निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए जिम्मेदार है।

वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या भारतीय लेखा मानक के वित्तीय विवरण समग्र रूप से भौतिक गलतबयानी से मुक्त हैं, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो, और एक लेखा परीक्षक की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारी राय शामिल हो। उचित आश्वासन एक उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि धारा 143(10) के तहत निर्दिष्ट लेखा परीक्षा पर मानक के अनुसार आयोजित एक ऑडिट हमेशा एक भौतिक गलतबयानी का पता लगाएगा जब वह मौजूद हो। गलतबयानी, धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती है और उन्हें भौतिक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, वे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं द्वारा लिए गए आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित रूप से अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट के दौरान पेशेवर संदेह बनाए रखते हैं। हम यह भी करते हैं:

- वित्तीय विवरणों में भौतिक गलत विवरण के जोखिमों की पहचान करें और उनका आकलन करें, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करें, और लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करें जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हों। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप भौतिक गलत विवरण का पता न लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले जोखिम से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण का उल्लंघन शामिल हो सकता है।
- ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करें ताकि ऐसी ऑडिट प्रक्रियाएँ तैयार की जा सकें जो परिस्थितियों के लिए उपयुक्त हों। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के तहत, हम इस बारे में अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता क्या है।
- प्रयुक्त लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों एवं संबंधित प्रकटीकरणों की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- लेखांकन के लिए चालू व्यवसाय के आधार पर प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकालें और प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य के आधार पर, क्या ऐसी घटनाओं या स्थितियों से संबंधित कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहने की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा कर सकती है। यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि कोई भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, तो हमें अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में संबंधित प्रकटीकरणों पर ध्यान आकर्षित करना होगा या, यदि ऐसे प्रकटीकरण अपर्याप्त हैं, तो अपनी राय को संशोधित करना होगा। हमारे निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य पर आधारित हैं। हालाँकि, भविष्य की घटनाओं या स्थितियों के कारण कंपनी चालू व्यवसाय के रूप में जारी रहना बंद कर सकती है।
- प्रकटीकरणों सहित एकल वित्तीय विवरणों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और विषय-वस्तु का मूल्यांकन करें, तथा यह भी देखें कि क्या एकल वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करते हैं कि उनका निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण हो सके।

हम अन्य मामलों के अलावा, लेखापरीक्षा के नियोजित दायरे और समय तथा लेखापरीक्षा के दौरान पहचाने गए महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों के संबंध में, शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संवाद करते हैं।

हम शासन के लिए जिम्मेदार लोगों को यह कथन भी देते हैं कि हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन किया है, और उन्हें सभी रिश्तों और अन्य मामलों के बारे में सूचित करते हैं, जो उचित रूप से हमारी स्वतंत्रता और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपायों को प्रभावित करने वाले माने जा सकते हैं। शासन के लिए जिम्मेदार लोगों के साथ संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व के थे और इसलिए प्रमुख लेखा परीक्षा मामले हैं। हम इन मामलों का वर्णन अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण को नहीं रोकता है या जब, अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि किसी मामले को हमारी रिपोर्ट में संप्रेषित नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के ऐसे संचार के सार्वजनिक हित के लाभों से अधिक होने की उचित रूप से उम्मीद की जाती है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (11) के अनुसार भारत की केंद्र सरकार द्वारा जारी कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") की आवश्यकता के अनुसार, हम आदेश के पैराग्राफ 3 और 4 में निर्दिष्ट मामलों पर एक विवरण "अनुलग्नक-1" में देते हैं।
2. हम अधिनियम की धारा 143(5) के अनुसार, कंपनी की पुस्तकों और अभिलेखों की ऐसी जांच के आधार पर, जैसा कि हमने उचित समझा और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप-निर्देशों पर "अनुलग्नक-2" में हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार अपनी रिपोर्ट संलग्न कर रहे हैं।
3. अधिनियम की धारा 143(3) के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:
 - i. हमने सभी सूचनाएं और स्पष्टीकरण मांगे और प्राप्त किए हैं, जो हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार उपरोक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक थे।
 - ii. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी से संबंधित कानून द्वारा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तकें कंपनी द्वारा रखी गई हैं, जैसा कि उन पुस्तकों की हमारी जांच से पता चलता है।
 - iii. इस रिपोर्ट में शामिल बैलेंस शीट, लाभ और हानि का विवरण, इक्विटी में परिवर्तन का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए बनाए गए प्रासंगिक खाता बहियों के अनुरूप हैं।
 - iv. हमारी राय में, उपर्युक्त भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरण कंपनी (लेखा) नियम, 2021 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के तहत निर्दिष्ट लेखांकन मानकों का अनुपालन करते हैं।
 - v. हमें सूचित किया गया है कि निदेशकों की अयोग्यता के संबंध में अधिनियम की धारा 164(2) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर 463(ई) दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार यह एक सरकारी कंपनी है।

- vi. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता और ऐसे नियंत्रणों की परिचालन प्रभावशीलता के संबंध में, कृपया " अनुलग्नक-3 " में हमारी अलग रिपोर्ट देखें। हमारी रिपोर्ट वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की पर्याप्तता और परिचालन प्रभावशीलता पर एक अपरिवर्तित राय व्यक्त करती है।
- vii. अधिनियम की धारा (16)197 की अपेक्षाओं के अनुसार लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, जैसा कि संशोधित किया गया है, हमें सूचित किया जाता है कि प्रबंधकीय पारिश्रमिक से संबंधित अधिनियम की अनुसूची V के साथ पठित धारा 197 के प्रावधान, भारत सरकार के कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना संख्या जीएसआर(463)ई दिनांक 5 जून 2015 के अनुसार सरकारी कंपनी होने के नाते कंपनी पर लागू नहीं होंगे।
- viii. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी द्वारा किसी अन्य व्यक्ति(यों) या संस्था(यों) को, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("मध्यस्थ") शामिल हैं, कोई भी निधि (चाहे उधार ली गई निधि से या शेयर प्रीमियम से या किसी अन्य स्रोत या प्रकार की निधि से) अग्रिम, ऋण या निवेश नहीं किया गया है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि मध्यस्थ, कंपनी द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं ("अंतिम लाभार्थी") को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उधार देगा या निवेश करेगा या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगा।
- ix. प्रबंधन ने यह दर्शाया है कि उसके सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार, कंपनी ने किसी भी व्यक्ति या संस्था (संस्थाओं) से, जिसमें विदेशी संस्थाएं ("वित्तपोषण पक्ष") शामिल हैं, कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है, इस समझ के साथ, चाहे लिखित रूप में दर्ज हो या अन्यथा, कि कंपनी, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, वित्त पोषण पक्ष ("अंतिम लाभार्थी") द्वारा या उसकी ओर से किसी भी तरह से पहचाने गए अन्य व्यक्तियों या संस्थाओं को उधार देगी या निवेश करेगी या अंतिम लाभार्थियों की ओर से कोई गारंटी, सुरक्षा या इस तरह की कोई चीज प्रदान करेगी; तथा
- x. हमने जिन लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को परिस्थितियों के अनुसार उचित और समुचित माना है, उनके आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खण्ड (1) और (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत अभ्यावेदन में कोई भी गलत कथन निहित है।
- xi. वर्ष के दौरान दिवालिया और शोधन अक्षमता संहिता, 2016 (2016 का 31) के अंतर्गत किए गए आवेदन या लंबित किसी कार्यवाही का ब्यौरा तथा वित्तीय वर्ष के अंत में उनकी स्थिति; लागू नहीं
- xii. एकमुश्त निपटान के समय किए गए मूल्यांकन की राशि और बैंकों या वित्तीय संस्थाओं से ऋण लेते समय किए गए मूल्यांकन के बीच अंतर का ब्यौरा, इसके कारणों सहित; लागू नहीं
- xiii. कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में, हमारी राय में और हमारी सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार:
 - a. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी के पास कोई भी ऐसा मुकदमा लंबित नहीं है, जो उसके भारतीय लेखा मानक वित्तीय विवरणों में उसकी वित्तीय स्थिति को प्रभावित करेगा।
 - b. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने कोई व्युत्पन्न अनुबंध नहीं किया है और कंपनी ने दीर्घकालिक अनुबंधों पर किसी भी भौतिक हानि की आशंका नहीं जताई है, इसलिए इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया गया है।
 - c. कंपनी को निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण के लिए कोई राशि हस्तांतरित करने की आवश्यकता नहीं है और जैसा कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 125(2) के तहत अपेक्षित है, फंड में किसी भी राशि को हस्तांतरित करने में देरी नहीं होती है।
 - d. जैसा कि हमें बताया गया है कि कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई लाभांश घोषित नहीं किया है। इसलिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 123 के अनुपालन का प्रश्न ही नहीं उठता।
- xiv. हमारी जांच के आधार पर, जिसमें परीक्षण जांच शामिल थी, कंपनी ने अपने खातों की पुस्तकों को बनाए रखने के लिए एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया है, जिसमें ऑडिट ट्रेल (संपादन लॉग) सुविधा रिकॉर्ड करने की सुविधा है और यह सॉफ्टवेयर में दर्ज सभी प्रासंगिक लेनदेन के लिए पूरे वर्ष संचालित होता है। इसके अलावा, हमारे ऑडिट के दौरान हमें ऑडिट ट्रेल सुविधा के साथ छेड़छाड़ का कोई मामला नहीं मिला। [इसके अतिरिक्त, कंपनी द्वारा रिकॉर्ड प्रतिधारण के लिए वैधानिक आवश्यकताओं के अनुसार ऑडिट ट्रेल को संरक्षित किया गया है।

सुरू कोटनी एंड एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन 322549ई

स्थान : भुवनेश्वर

दिनांक: 12 / अप्रैल / 2024

वेंकटेश्वरलू सुरू, एफसीए, डीआईएसए,
 साथी
 एम नं 089258

यूडीआईएन: 24089258BKFKUJ6595

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-1

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के सदस्यों को हमारी सम दिनांक की रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट' के पैराग्राफ 1 में संदर्भित कथन के अनुसार, हम रिपोर्ट करते हैं कि:

- (i) कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के संबंध में:
 - ए) कंपनी ने अपनी संपत्ति, संयंत्र और उपकरणों के मातात्मक विवरण और स्थिति तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के प्रासंगिक विवरण सहित पूर्ण विवरण दर्शाते हुए उचित रिकॉर्ड बनाए रखा है।
 - बी) उपलब्ध सूचना के अनुसार, कंपनी की संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा वर्ष के दौरान भौतिक सत्यापन किया गया है तथा ऐसे सत्यापन में कोई भौतिक विसंगति नहीं पाई गई है तथा हमारी राय में, कंपनी के आकार तथा इसकी परिसंपत्तियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ऐसे भौतिक सत्यापन की आवश्यकता उचित है।
 - सी) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी के पास कोई अचल संपत्ति नहीं है, इसलिए उसके पास कोई स्वामित्व विलेख भी नहीं है।
 - डी) कंपनी ने वर्ष के दौरान अपनी किसी भी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों सहित) और अमूर्त परिसंपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है।
 - ई) वर्ष के दौरान कंपनी के खिलाफ कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या 31 मार्च 2024 तक कोई कार्यवाही लंबित नहीं है।
- (ii) ए) कंपनी के पास कोई इन्वेंट्री नहीं है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
 - बी) कंपनी को चालू परिसंपत्तियों की सुरक्षा के आधार पर बैंकों या वित्तीय संस्थानों से वर्ष के दौरान किसी भी समय कुल मिलाकर 5 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी सीमा मंजूर नहीं की गई है और इसलिए आदेश के खंड 3(ii)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iii) कंपनी ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को सुरक्षित या असुरक्षित ऋण के रूप में निवेश किया है, कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान की है या कोई ऋण या अग्रिम प्रदान किया है, जिसके संबंध में:
 - ए) **जिसके संबंध में:**

कंपनी ने वर्ष के दौरान किसी अन्य इकाई को ऋण के रूप में कोई ऋण या अग्रिम राशि नहीं दी है या गारंटी नहीं दी है, या सुरक्षा प्रदान नहीं की है, और इसलिए आदेश के खंड 3(iii)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
 - बी) हमारी राय में, वर्ष के दौरान किए गए निवेश तथा ऋण प्रदान करने की शर्तें एवं नियम, प्रथम दृष्टया कंपनी के हित के लिए प्रतिकूल नहीं हैं।
 - सी) प्रदान किए गए ऋणों के संबंध में मूलधन की अदायगी और ब्याज के भुगतान की अनुसूची निर्धारित की गई है तथा मूलधन की अदायगी और ब्याज की प्राप्ति आमतौर पर शर्त के अनुसार नियमित रही हैं।
 - डी) कंपनी द्वारा दिए गए ऋणों के संबंध में, बैलेंस शीट तिथि तक कोई अतिदेय राशि बकाया नहीं है।
 - ई) कंपनी द्वारा दिया गया कोई भी ऋण, जो वर्ष के दौरान देय हो गया हो, का नवीकरण या विस्तार नहीं किया गया है, या उन्हीं पक्षों को दिए गए मौजूदा ऋणों की बकाया राशि का निपटान करने के लिए नया ऋण नहीं दिया गया है।
 - एफ) कंपनी ने वर्ष के दौरान मांग पर चुकाने योग्य या बिना किसी शर्त या पुनर्भुगतान अवधि को निर्दिष्ट किए ऋण की प्रकृति में कोई ऋण या अग्रिम प्रदान नहीं किया है। इसलिए खंड 3(iii)(f) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (iv) कंपनी ने किसी भी कंपनी, फर्म, सीमित देयता भागीदारी या किसी अन्य पक्ष को ऋण, सुरक्षित या असुरक्षित, के रूप में कोई गारंटी या सुरक्षा प्रदान नहीं की है या कोई अग्रिम राशि नहीं दी है।

हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार तथा कंपनी के अभिलेखों की जांच के आधार पर, कंपनी ने कोई ऋण/निवेश/गारंटी/सुरक्षा प्रदान नहीं की है, इसलिए कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के अनुपालन के संबंध में रिपोर्टिंग का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (v) कंपनी ने धारा 73 से 76 या अधिनियम के किसी अन्य प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियमों के अर्थ में कोई जमा स्वीकार नहीं किया है। इसलिए आदेश के खंड 3(v) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (vi) कंपनी ने कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है और इसलिए आदेश के 3(vi) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं।
- (vii) **वैधानिक बकाया के संबंध में:**
 - a) हमारी राय में, कंपनी आमतौर पर उचित प्राधिकारियों के पास निर्विवाद वैधानिक बकाया राशि जमा करने में नियमित रही है, जिसमें माल एवं सेवा कर, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा, आयकर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्य वर्धित कर, उपकर और अन्य लागू वैधानिक बकाया शामिल हैं।

कंपनी के रिकॉर्ड और हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, 31 मार्च 2024 तक आयकर, बिक्री कर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर, प्रवेश कर और स्वच्छ ऊर्जा उपकरण के संबंध में विवादित बकाया का विवरण नीचे दिया गया है: -

क्रम सं.	कानून का नाम	बकाया राशि की प्रकृति	मात्रा (₹ लाख में)	वह अवधि जिससे राशि संबंधित है	वह फोरम जहां विवाद लंबित है
--	--	--	--	--	--

- (viii) पूर्व में अलिखित आय से संबंधित कोई लेनदेन नहीं था जिसे आयकर अधिनियम, 1961 के अंतर्गत कर निर्धारण में वर्ष के दौरान आय के रूप में समर्पित या प्रकट किया गया हो।
- (ix) a) कंपनी ने किसी भी ऋणदाता से कोई ऋण या अन्य उधार नहीं लिया है। इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(a) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
b) कंपनी को किसी भी बैंक या वित्तीय संस्थान या सरकार या किसी सरकारी प्राधिकरण द्वारा जानबूझकर चूककर्ता घोषित नहीं किया गया है।
c) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
d) कंपनी ने वर्ष के दौरान अल्पावधि आधार पर कोई धनराशि नहीं जुटाई है, इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(घ) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
e) कंपनी के वित्तीय विवरणों की समग्र जांच से पता चला कि कंपनी ने अपनी सहायक कंपनियों के दायित्वों को पूरा करने के लिए या उनके लिए किसी भी संस्था या व्यक्ति से कोई धनराशि नहीं ली है।
f) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई ऋण नहीं लिया है और इसलिए आदेश के खंड 3(ix)(एफ) पर रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (x) ए) कंपनी ने वर्ष के दौरान आरंभिक सार्वजनिक पेशकश या आगे की सार्वजनिक पेशकश (ऋण उपकरणों सहित) के माध्यम से कोई धनराशि नहीं जुटाई है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(ए) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
बी) वर्ष के दौरान, कंपनी ने शेयरों या परिवर्तनीय डिबेंचर (पूरी तरह या आंशिक रूप से या वैकल्पिक रूप से) का कोई अधिमान्य आवंटन या निजी प्लेसमेंट नहीं किया है और इसलिए आदेश के खंड 3(x)(बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xi) ए) वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी या कंपनी पर कोई भौतिक धोखाधड़ी नहीं देखी गई या रिपोर्ट नहीं की गई।
बी) वर्ष के दौरान और इस रिपोर्ट की तिथि तक, कंपनी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा (12) के अंतर्गत कंपनी (लेखा परीक्षा और लेखा परीक्षक) नियम, 2021 के नियम 13 के अंतर्गत निर्धारित प्रपत्र एडीटी-4 में केंद्र सरकार के पास कोई रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई है।
सी) कंपनी द्वारा हमें प्रदान की गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान (और इस रिपोर्ट की तिथि तक) कंपनी को कोई व्हिसल ब्लोअर शिकायत प्राप्त नहीं हुई है, जबकि हमारी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं की प्रकृति, समय और सीमा का निर्धारण किया गया है।
- (xii) कंपनी एक निधि कंपनी नहीं है, इसलिए आदेश के खंड (xii) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं है।
- (xiii) कंपनी एक केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित उद्यम है तथा संबंधित पक्ष लेनदेन करती है, इसलिए उसने भारतीय लेखा मानक 24 के पैराग्राफ 26 के तहत अपेक्षित प्रासंगिक विवरण का खुलासा किया है।
लेखा परीक्षा के तहत वर्ष के दौरान होल्डिंग कंपनी को जनशक्ति लागत के हिस्से के लिए भुगतान 7.65 लाख रुपये और बकाया चालू खाते पर ब्याज 153.65 लाख रुपये [कुल 161.30 लाख] है।
- (xiv) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली की आवश्यकता के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड (xiv) (a) और (xiv) (b) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xv) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण तथा कंपनी के अभिलेखों की हमारी जांच के अनुसार, कंपनी ने निदेशकों या उनसे जुड़े व्यक्तियों के साथ कोई गैर-नकद लेनदेन नहीं किया है। तदनुसार, उक्त आदेश के पैराग्राफ 3 का खंड (xv) कंपनी पर लागू नहीं होता।
- (xvi) हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-IA के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते हैं और इसलिए आदेश के खंड 3 (xvi) (a), (b), (c) और (d) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है।
- (xvii) कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई व्यवसाय/सेवा शुरू नहीं की है। हमारे ऑडिट में शामिल वित्तीय वर्ष के दौरान और कंपनी द्वारा किए गए प्रीऑपरेटिव खर्चों के कारण तत्काल पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में भी कंपनी को नकद घाटा हुआ है। नकद घाटे की राशि 3.81 लाख रुपये है, तत्काल पूर्ववर्ती वर्ष में यह 2.78 लाख रुपये थी।
- (xviii) वर्ष के दौरान कंपनी के किसी भी सांविधिक लेखापरीक्षक ने इस्तीफा नहीं दिया है।
- (xiv) वित्तीय अनुपातों, वित्तीय परिसंपत्तियों की प्राप्ति और वित्तीय देनदारियों के भुगतान की आयु और अपेक्षित तिथियों, वित्तीय विवरणों के साथ दी गई अन्य सूचनाओं और निदेशक मंडल और प्रबंधन योजनाओं के बारे में हमारे ज्ञान और मान्यताओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जांच

के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है, जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट की तिथि पर कोई भी भौतिक अनिश्चितता मौजूद है, जो यह दर्शाती है कि कंपनी बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर बैलेंस शीट की तिथि पर मौजूद अपनी देनदारियों को पूरा करने में सक्षम नहीं है। हालांकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। हम आगे कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग ऑडिट रिपोर्ट की तिथि तक के तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि बैलेंस शीट की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देनदारियों को कंपनी द्वारा देय होने पर चुका दिया जाएगा।

(xx) कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135 के कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते। इसलिए आदेश के खंड 3(xx)(ए) और (बी) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

सुरू कोटनी एंड एसोसिएट्स के लिए

चार्टर्ड अकाउंटेंट

एफआरएन 322549ई

स्थान : भुवनेश्वर

दिनांक: 12.04.2024

ह/-

सी.ए. वेंकटेश्वरलू सुरू, एफसीए, डीआईएसए,

साथी

एम नं 089258

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक -2
कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(5) के तहत निर्देश और अतिरिक्त निर्देश के अनुसरण में रिपोर्ट
महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वर्ष 2023-24 के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों को

क्रम सं.	विशिष्ट	लेखा परीक्षक का उत्तर
1	क्या कंपनी के पास आईटी सिस्टम के माध्यम से सभी लेखांकन लेनदेन को संसाधित करने की प्रणाली है? यदि हाँ, तो आईटी सिस्टम के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण से खातों की अखंडता पर पड़ने वाले प्रभावों के साथ-साथ वित्तीय प्रभावों, यदि कोई हो, का उल्लेख किया जाना चाहिए।	हां, कंपनी के खाते टैली.ईआरपी सॉफ्टवेयर के माध्यम से कंप्यूटर सिस्टम में बनाए रखे जाते हैं, जिसमें सभी डेटा मैनुअल फीडिंग के माध्यम से कैप्चर किए जाते हैं। वर्ष के दौरान कंपनी में कोई विनिर्माण या कोई अन्य संचालन नहीं होता है।
2	क्या कंपनी के मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन किया गया है या कंपनी द्वारा ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण ऋणदाता द्वारा कंपनी को दिए गए ऋणों/ब्याज आदि को माफ/बट्टे खाते में डालने के मामले हैं? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव बताया जाए। क्या ऐसे मामलों का उचित हिसाब-किताब रखा जाता है? (यदि ऋणदाता सरकारी कंपनी है, तो यह निर्देश ऋण देने वाली कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक के लिए भी लागू है)	हमारी जानकारी और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, किसी भी ऋणदाता द्वारा ऋण/ऋण/ब्याज आदि का कोई पुनर्गठन/माफी/बट्टे खाते में डालना आदि नहीं है। कंपनी ने अपनी मूल कंपनी के ऋण को छोड़कर कोई ऋण नहीं लिया था।
3	क्या केन्द्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त/प्राप्त होने वाली धनराशि का उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उचित रूप से लेखा/उपयोग किया गया? विचलन के मामलों की सूची बनाइये।	हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार कंपनी को केन्द्र/राज्य या उसकी एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है।

सुरु कोटनी एंड एसोसिएट्स के लिए
 चार्टर्ड अकाउंटेंट
 एफआरएन 322549ई

स्थान : भुवनेश्वर
 दिनांक: 12.04.2024

ह/-
 सी.ए. वेंकटेश्वरलू सुरु, एफसीए, डीआईएसए,
 साथी
 एम नं 089258

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक-3

कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 143 की उप-धारा 3 के खंड (i) के अंतर्गत वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट हमने 31 मार्च, 2024 तक महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ('कंपनी') की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का ऑडिट किया है, जो कि समाप्त वर्ष और आज तक कंपनी के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के साथ है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का प्रबंधन, भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान ('आईसीएआई') द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन जिम्मेदारियों में पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिज़ाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो कंपनी की नीतियों का पालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाने, लेखांकन रिकॉर्ड की सटीकता और पूर्णता, और कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत आवश्यक विश्वसनीय वित्तीय जानकारी की समय पर तैयारी सहित अपने व्यवसाय के व्यवस्थित और कुशल संचालन को सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने ऑडिट के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करें। हमने वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिटिंग पर मार्गदर्शन नोट ("मार्गदर्शन नोट") और आईसीएआई द्वारा जारी और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(10) के तहत निर्धारित माने जाने वाले ऑडिटिंग के मानकों के अनुसार अपना ऑडिट किया, जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू सीमा तक है, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की ऑडिट के लिए लागू हैं और दोनों ही इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट की आवश्यकता है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए ऑडिट की योजना बनाएं और प्रदर्शन करें कि क्या वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और बनाए रखा गया था।

हमारे ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और उनकी परिचालन प्रभावशीलता के बारे में ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करने के लिए प्रक्रियाएं निष्पादित करना शामिल है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी ऑडिट में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की समझ प्राप्त करना, जोखिम का आकलन करना कि कोई महत्वपूर्ण कमज़ोरी मौजूद है, और मूल्यांकन किए गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के डिज़ाइन और परिचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चुनी गई प्रक्रियाएं ऑडिटर के निर्णय पर निर्भर करती हैं, जिसमें वित्तीय विवरणों के महत्वपूर्ण गलत विवरण के जोखिमों का आकलन शामिल है, चाहे वह धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हो।

हमारा मानना है कि हमारे द्वारा प्राप्त लेखापरीक्षा साक्ष्य, वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारी लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता और सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार बाहरी उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणों की तैयारी के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जो (1) रिकॉर्ड के रखरखाव से संबंधित हैं, जो उचित विवरण में, कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को सटीक और निष्पक्ष रूप से प्रतिबिंबित करते हैं; (2) उचित आश्वासन प्रदान करते हैं कि सामान्य रूप से स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों की तैयारी की अनुमति देने के लिए लेनदेन को आवश्यक रूप से रिकॉर्ड किया जाता है, और कंपनी की प्राप्ति और व्यय केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकरणों के अनुसार किए जा रहे हैं; और (3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अधिग्रहण, उपयोग, या निपटान की रोकथाम या समय पर पता लगाने के बारे में उचित आश्वासन प्रदान करते हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाएँ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, जिसमें मिलीभगत या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन ओवरराइड की संभावना शामिल है, त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत बयान हो सकते हैं और उनका पता नहीं लगाया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की अवधि के लिए वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी भी मूल्यांकन के अनुमान इस जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थितियों में बदलाव के कारण अपर्याप्त हो सकता है, या नीतियों या प्रक्रियाओं के अनुपालन की डिग्री खराब हो सकती है।

राय

हमारी राय में, कंपनी के पास सभी भौतिक मामलों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2024 तक प्रभावी ढंग से काम कर रहे थे, जो कि कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण के आधार पर भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के ऑडिट पर मार्गदर्शन नोट में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए किया गया था।

सुरू कोटनी एंड एसोसिएट्स के लिए
चार्टर्ड अकाउंटेंट्स
एफआरएन 322549ई

स्थान : भुवनेश्वर

दिनांक: 12.4.2024

सी.ए. वेंकटेश्वरलू सुरू, एफसीए, डीआईएसए,
साथी
एम नं 089258

अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (बी) के तहत
भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

कंपनी अधिनियम 2013 के तहत निर्धारित वित्तीय रिपोर्टिंग ढांचे के अनुसार 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की तैयारी कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है। अधिनियम की धारा 139 (5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के द्वारा नियुक्त वैधानिक लेखा परीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार स्वतंत्र लेखा परीक्षा के आधार पर अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर राय व्यक्त करने के लिए जिम्मेदार है। 12 अप्रैल 2024 की उनकी ऑडिट रिपोर्ट के अनुसार यह उनके द्वारा किया गया बताया गया है।

मैंने, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से, अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अंतर्गत 31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए महानदी बेसिन पावर लिमिटेड के वित्तीय विवरणों की अनुपूरक लेखापरीक्षा नहीं करने का निर्णय लिया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से

ह/-

विभुदत्त बसंतिया

प्रधान लेखापरीक्षा निदेशक (कोयला), कोलकाता

स्थान : कोलकाता

दिनांक: 30.05.2024

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
31 मार्च, 2024 तक बैलेंस शीट

		(₹ लाख में)	
तुलना पत्र		As at	
	टिप्पणी सं.	31.03.2024	31.03.2023
परिसंपत्तियाँ			
गैर- चालू परिसंपत्तियाँ			
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3.1	0.53	0.67
पूंजीगत कार्य प्रगति	3.2	2,565.19	2,298.84
अन्वेषित एवं मूल्यांकित परिसंपत्तियाँ	3.3	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.4	-	-
विकास के तहत अमूर्त परिसंपत्तियाँ	3.5	-	-
वित्तीय परिसंपत्तियाँ			
निवेश	4.1	-	-
ऋण	4.2	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	75.24	75.11
स्थगित कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11.2	-	-
गैर - चालू कर परिसंपत्तियाँ	11.1	-	-
अन्य गैर - चालू परिसंपत्तियाँ	6.1	-	-
कुल गैर - चालू परिसंपत्तियाँ		2,640.96	2,374.62
चालू परिसंपत्तियाँ			
वस्तु सूची	5.1	-	-
वित्तीय परिसंपत्ति			
निवेश	4.1	-	-
व्यापार प्राप्त	4.3	-	-
नकद एवं नकद समकक्ष	4.4	5.45	8.62
अन्य बैंक शेष	4.5	-	-
ऋण	4.2	-	-
अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	4.6	-	-
चालू कर परिसंपत्तियाँ (निवल)	11.1	3.08	3.08
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	6.2	0.01	0.01
कुल चालू परिसंपत्तियाँ		8.54	11.71
कुल परिसंपत्तियाँ		2,649.50	2,386.33
इक्विटी एवं देयताएँ			
इक्विटी			
इक्विटी शेयर पूंजी	7.1	5.00	5.00
अन्य इक्विटी	7.2	(610.71)	(606.90)
कंपनी के इक्विटीधारकों के कारण जिम्मेदार इक्विटी		(605.71)	(601.90)
गैर नियंत्रित ब्याज	7.3	-	-
कुल इक्विटी		(605.71)	(601.90)

देयताएँ				
गैर-चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
	अन्य वित्तीय देनदारियाँ	8.4	-	-
प्रावधान		9.1	-	-
आस्थगित कर देनदारियाँ (नेट)		11.2	-	-
अन्य गैर-वर्तमान देनदारियाँ		10.1	-	-
कुल गैर-वर्तमान देनदारियाँ			-	-
चालू देयताएँ				
वित्तीय देयताएँ	उधार	8.1	-	-
	पट्टा देयताएँ	8.2	-	-
	व्यापार देय	8.3		
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों की कुल बकाया राशि		-	-
	सूक्ष्म, लघु एवं मध्य उद्यमों के अलावा लेनदारों की कुल बकाया राशि		-	-
	अन्य वित्तीय देयताएँ	8.4	3,249.77	2,983.49
अन्य चालू देयताएँ		10.2	5.44	4.74
प्रावधान		9.1	-	-
अन्य चालू देयताएँ		11.1	-	-
कुल चालू देयताएँ			3,255.21	2,988.23
कुल इक्विटी एवं देयताएँ			2,649.50	2,386.33

संलग्न टिप्पणी संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरणों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(एस के भूईयाँ)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जी मोहापत्र
निदेशक
DIN-10125609

ह/-
केशव राव
निदेशक
DIN-08651284

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
सुरू कौंटी एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549E

दिनांक 12.04.2024
जगह: भुवनेश्वर

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता सं. 089258

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ और हानि का विवरण

लाभ और हानि का विवरण	टिप्पणी सं.	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
			(₹ लाख में)
प्रचालन से राजस्व			
विक्रय	12.1	-	-
अन्य प्रचालन राजस्व	12.1	-	-
प्रचालन से राजस्व		-	-
अन्य आय	12.2	-	-
कुल आय		-	-
व्यय			
खपत की गई सामग्री की लागत	13.1	-	-
व्यापार में स्टॉक की खरीद	13.1(a)	-	-
निर्मित माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन /कार्य में प्रगति एवं व्यापार में स्टॉक	13.2	-	-
कर्मचारी लाभ व्यय	13.3	-	-
वित्त लागत	13.4	-	-
मूल्यहास/परिशोधन/हानि व्यय	13.5	0.09	0.22
बट्टे खाते में डालना	13.6	-	-
स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	13.7	-	-
अन्य व्यय	13.8	3.72	2.56
कुल व्यय		3.81	2.78
संयुक्त उद्यम के शेयर से पूर्व लाभ/हानि		(3.81)	(2.78)
संयुक्त उद्यम के शेयर लाभ/ हानि		-	-
कर पूर्व लाभ		(3.81)	(2.78)
कर व्यय	14.1		
चालू कर		-	-
आस्थगित कर		-	-
कुल कर व्यय		-	-
अवधि के लिए लाभ		(3.81)	(2.78)
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।	15.1		
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत नहीं किया जा सकता।		-	-
मद जिन्हें लाभ एवं हानि में वर्गीकृत किया जाएगा।		-	-
मद से संबन्धित आयकर जिन्हें लाभ एवं हानि में पुनः वर्गीकृत किया जायेगा।		-	-

कुल अन्य व्यापक आय	-	-
	-	-
अवधि के लिए कुल व्यापक आय (अवधि के लिए लाभ (हानि) अन्य व्यापक आय शामिल)	(3.81)	(2.78)
अन्य व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	(3.81)	(2.78)
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	(3.81)	(2.78)
कुल व्यापक आय के कारण :		
कंपनी के स्वामित्व	-	-
गैर-नियंत्रित ब्याज	-	-
	-	-
कुल व्यापक आयसे संबंध लगाए जा सकने योग्य कंपनी के मालिकों के लिए जिम्मेदार गैर-नियंत्रित ब्याज	(3.81)	(2.78)
	-	-
	(3.81)	(2.78)
प्रति इक्विटी शेयर आय (अंकित मूल्य ₹ 10 प्रत्येक): (वित्त वर्ष और पिछली अवधि के लिए पुनः घोषित)		
मौलिक	(7.63)	(5.55)
मंदित	(7.63)	(5.55)
ईपीएस की गणना के लिए नोट 16 (8) (डी) देखें		

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।

संलग्न हमारी लेखापरीक्षा रिपोर्ट के अनुसार

निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(एस के भूईयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जी मोहापत्र
निदेशक
DIN-10125609

ह/-
केशव राव
निदेशक
DIN-08651284

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कौंटी एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549E

दिनांक 12.04.2024
जगह: भुवनेश्वर

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता सं. 089258

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
इक्विटी के परिवर्तनों का विवरण

						(₹ लाख में)
क. इक्विटी शेयर पूंजी						
31.03.2024 को समाप्त अवधि के लिए						
विवरण	1.4.2023 तक शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2024 तक शेष			
प्रत्येक ₹ 10/- के 50000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	5.00	-	5.00			
31.03.2023 तक						
विवरण	1.4.2022 तक शेष	वर्तमान अवधि के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	31.03.2023 तक शेष			
प्रत्येक ₹ 10/- के 50000 इक्विटी शेयरों का पूरी तरह से भुगतान किया गया	5.00	-	5.00			
ख. अन्य इक्विटी						
विवरण	आरक्षित और अधिशेष				किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)	कुल
	पूंजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)		
01.04.2023 तक शेष	-	-	(606.90)	-	-	(606.90)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-		-
01.04.2023 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	(606.90)	-	-	(606.90)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	-	-	(3.81)	-		(3.81)
अन्तरिम लाभांश	-	-	-	-		-
अंतिम लाभांश	-	-	-	-		-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-	-		-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-	-	-		-
शेयरों की पुनः खरीद	-	-	-	-		-
बायबैक पर कर	-	-	-	-		-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-		-
31.03.2024 तक शेष	-	-	(610.71)	-	-	(610.71)

विवरण	आरक्षित और अधिशेष				किसी विदेशी सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय संबंधी मतभेद (ओसीआई)	कुल
	पूँजी प्रतिदान रिजर्व	सामान्य रिजर्व	प्रतिधारित आय	(ओसीआई) परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्माप (कर का निवल)		
01.04.2022 तक शेष	-	-	(604.12)	-	-	(604.12)
लेखांकन नीति में परिवर्तन या पूर्व अवधि की त्रुटियाँ	-	-	-	-	-	-
01.04.2022 तक पुनः घोषित शेष राशि	-	-	(604.12)	-	-	(604.12)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय			(2.78)	-		(2.78)
अन्तरिम लाभांश			-			-
अंतिम लाभांश			-			-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-	-			-
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-		-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण		-	-			-
शेयरों की पुनः खरीद						-
बायबैक पर कर						-
बोनस शेयर जारी करना						-
31.03.2023 तक शेष राशि	-	-	(606.90)	-	-	(606.90)

लाभांश तथा आरक्षित निधियों एवं अधिशेष की प्रकृति एवं उद्देश्य के लिए नोट 7.2 देखें।
संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का अभिन्न अंग हैं।
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(एस के भूईयाँ)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जी मोहापत्र
निदेशक
DIN-10125609

ह/-
केशव राव
निदेशक
DIN-08651284

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
सुरू कौंटी एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549E

दिनांक 12.04.2024
जगह: भुवनेश्वर

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता सं. 089258

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड
नकदी प्रवाह का विवरण

(₹ लाख में)

	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर देने से पूर्व लाभ	(3.81)	(2.78)
निम्न के लिए समायोजन :		
संयुक्त उद्यम का हिस्सा	-	-
मूल्यहास, परिशोधन और हानि व्यय	0.09	0.22
ब्याज और लाभांश आय	-	-
वित्त लागत	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की बिक्री पर (लाभ)/हानि	-	-
देयता और प्रावधान वापस लिखा गया (शुद्ध)	-	-
व्यापार प्राप्त के लिए भत्ता	-	-
अन्य भत्ते और बट्टे खाते में डालना	-	-
स्लीपिंग गतिविधि समायोजन	-	-
विदेशी मुद्रा दर भिन्नता	-	-
निम्नलिखित परिसंपत्तियों और देनदारियों में परिवर्तन से पहले परिचालन गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(3.72)	(2.56)
निम्न के लिए समायोजन :		
	-	-
व्यापार प्राप्त	-	-
वस्तु-सूची	(0.12)	-
ऋण एवं अग्रिम तथा अन्य परिसंपत्तियां	266.98	176.80
वित्तीय एवं अन्य देयताएं	-	-
व्यापार देनदारियां	263.14	174.24
संचालन से उत्पन्न नकद	-	-
आयकर (भुगतान किया गया)	263.14	174.24
परिचालन गतिविधियों से उत्पन्न शुद्ध नकदी प्रवाह (A)		
निवेश गतिविधियों से नकदी प्रवाह	(266.31)	(168.94)
	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण तथा अमूर्त परिसंपत्तियों के लिए भुगतान	-	-
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से बिक्री आय	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्ति में वृद्धि	-	-
बैंक जमा में आय/(निवेश)	-	-

म्यूचुअल फंड, शेयर आदि में आय/(निवेश)	-	-
संयुक्त उद्यम में इक्विटी के लिए भुगतान	-	-
निवेश से ब्याज		
म्यूचुअल फंड से प्राप्त ब्याज/लाभांश	(266.31)	(168.94)
म्यूचुअल फंड निवेश में निवेश		
निवेश गतिविधियों में उपयोग किया गया कुल नकद	(B)	
वित्तीय गतिविधियों से नकदी प्रवाह	-	-
गैर-वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकाने)	-	-
वर्तमान उधारों से प्राप्त आय/(चुकाने)	-	-
पट्टे की देनदारियों का पुनर्भुगतान (ब्याज सहित)	-	-
भुगतान किया गया ब्याज	-	-
स्थानांतरण और पुनर्वास निधि की प्राप्ति	-	-
इक्विटी शेयरों पर भुगतान किया गया लाभांश	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद	-	-
इक्विटी शेयर पूंजी की पुनर्खरीद पर कर		
वित्तीय गतिविधियों में प्रयुक्त शुद्ध नकदी	(C)	5.30
	8.62	3.32
नकदी और नकदी समकक्ष में शुद्ध वृद्धि / (कमी) (क+ख+ग)	5.45	8.62
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य		
अवधि के अंत में नकद और नकद समतुल्य	5.45	8.62
नकदी और नकदी समकक्षों का समाधान (नोट 4.4 देखें)		
नकदी और नकदी समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट के बाद शुद्ध)		
नकदी और नकदी समकक्ष के घटक		
(क) बैंकों के पास शेष राशि	5.45	8.62
- जमा खातों में	-	-
- चालू खातों में		
- ब्याज देने वाले (सीएलटीडी खाता आदि)		
- ब्याज न देने वाले		
- नकद ऋण खातों में	-	-
(ख) भारत के बाहर बैंक बैलेंस	-	-
(ग) प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी	-	-
(घ) हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-
(ङ) हाथ में नकदी	-	-
(च) भारत के बाहर हाथ में नकदी	-	-
(छ) बैंक ओवरड्राफ्ट	-	-
(ज) अन्य ई-खरीद खाता/जीईएम खाता/अग्रिम शेष		
कुल (नकदी और नकदी समकक्षों के घटकों के लिए नोट 4.4 और नोट 8.1 देखें)	5.45	8.62

1. वित्तपोषण गतिविधियों से उत्पन्न देनदारियों के लिए बैलेंस शीट में प्रारंभिक और समापन शेष के बीच सामंजस्य:			
31 मार्च 2024 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि	-	-	-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			-
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2024 तक समापन शेष	-	-	-
31 मार्च 2023 को समाप्त वर्ष के लिए			
विवरण	गैर-वर्तमान उधार*	वित्त पट्टा देयताएं	वर्तमान उधार
1 अप्रैल 2023 तक प्रारंभिक शेष राशि			-
वर्ष के दौरान नकदी प्रवाह	-	-	-
गैर-नकद परिवर्तन के कारण:			
वित्तीय पट्टे के अंतर्गत अधिग्रहण	-		
उधार पर ब्याज	-		
विनिमय दरों में भिन्नता	-		
उधार पर लेन-देन लागत	-		
31 मार्च 2023 तक समापन शेष	-	-	-

संलग्न नोट संख्या 1 से 16 वित्तीय विवरण का एक अभिन्न अंग है।
निदेशक मण्डल की ओर से

ह/-
(एस के बेहेरा)
प्रबंधक (वित्त)

ह/-
(एस के भूईयां)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
जी मोहापत्र
निदेशक
DIN-10125609

ह/-
केशव राव
निदेशक
DIN-08651284

वर्तमान तिथि के हमारे रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कौंटी एवं एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
फर्म पंजीकरण संख्या: 322549E

दिनांक 12.04.2024
जगह: भुवनेश्वर

ह/-
(सीए सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता सं. 089258

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां

टिप्पणी 1

क. निगमित जानकारी

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी को वर्ष 2011 में ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में बसुंधरा-गर्जनबहाल कोयला खदानों के आस-पास 2 x 800 मेगावाट की कोयला आधारित सुपर-क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना स्थापित करने के लिए निगमित किया गया था।

ख. अनुपालन का विवरण

यह वित्तीय विवरण कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 133 के साथ पठित कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 (संशोधित) के तहत अधिसूचित किया गया है भारतीय लेखा मानकों (भारतीय लेखांकन मानक के रूप में संदर्भित) के अनुसार तैयार किए गए हैं। जारी किए गए, अधिसूचित और प्रभावी भारतीय लेखांकन मानक वित्तीय विवरणों के प्राधिकृत होने तक लागू रहेंगे तथा इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने हेतु विचार किया जाएगा।

लेखांकन नीतियों को सुसंगत रूप से लागू किया जाता है, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां एक नया जारी किया गया लेखांकन मानक आरंभ में अपनाया जाता है या किसी मौजूदा लेखांकन मानक में संशोधन के लिए अब तक प्रयोग में लाई जा रही लेखांकन नीति में परिवर्तन की आवश्यकता होती है।

टिप्पणी 2: सामग्री लेखांकन नीतियां

2.1 वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत परंपरा के तहत प्रोद्भव आधार पर तैयार किए गए हैं, सिवाय कुछ वित्तीय साधनों के, जिन्हें प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिसंपत्ति लागत या उचित मूल्य पर प्रासंगिक भारतीय लेखा मानक के अनुसार मापा जाता है।

ऐतिहासिक लागत परंपरा सामान्यतः वस्तुओं और सेवाओं के बदले में दिए गए प्रतिफल के उचित मूल्य पर आधारित होती है।

कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा उस प्राथमिक आर्थिक वातावरण की मुद्रा के रूप में निर्धारित की जाती है जिसमें वह कार्य करती है। वित्तीय विवरण भारतीय रुपए में प्रस्तुत किए जाते हैं और सभी मूल्यों को दो दशमलव अंकों तक 'लाख रुपए में' पूर्णांकित किया जाता है।

2.2 चालू एवं गैर-चालू वर्गीकरण

कंपनी तुलनपत्र में परिसंपत्तियों और देनदारियों को चालू/गैर-चालू वर्गीकरण के आधार पर प्रस्तुत करती है। कंपनी द्वारा किसी परिसंपत्ति को चालू तब माना जाता है जब:

(क) यह अपने सामान्य परिचालन चक्र में परिसंपत्ति की प्राप्ति, या इसे बेचने या उपभोग करे;

(ख) यह परिसंपत्ति को मुख्यतः व्यापार के उद्देश्य से रखता है;

(ग) उसे रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर परिसंपत्ति की प्राप्ति की उम्मीद हो; या

(घ) परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य (भारतीय लेखा मानक 7 में परिभाषित) हो, जब तक कि परिसंपत्ति को रिपोर्टिंग

अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए विनिमय या देयता का निपटान करने के लिए उपयोग करने से प्रतिबंधित न किया गया हो। अन्य सभी परिसंपत्तियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

कंपनी द्वारा किसी देयता को चालू तब माना जाता है जब:

(क) उसे अपने सामान्य परिचालन चक्र में देयता का निपटान करने की उम्मीद हो;

(ख) यह मुख्य रूप से व्यापार के उद्देश्य के लिए देयता रखता है;

(ग) देयता का निपटान रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर किया जाना हो; या

(घ) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीने के लिए देयता के निपटान को स्थगित करने का बिना शर्त अधिकार न हो। देयता की शर्तें, जो प्रतिपक्ष के विकल्प पर, इक्विटी उपकरणों के निर्गम द्वारा इसके निपटान में परिणत हो सकती हैं, इसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करती हैं।

अन्य सभी देनदारियों को गैर-चालू के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

कंपनी द्वारा किए जा रहे व्यवसाय की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, कंपनी ने परिसंपत्तियों और देनदारियों के चालू और गैर-चालू वर्गीकरण के प्रयोजन के लिए अपने परिचालन चक्र को बारह महीने के रूप में निर्धारित किया है।

2.3 राजस्व मान्यता

ग्राहकों के साथ अनुबंधों से राजस्व

राजस्व मुख्य रूप से कोयले, संबंधित सहायक सेवाओं और उत्पादों की बिक्री से प्राप्त होता है। उत्पादों की बिक्री से राजस्व तब पहचाना जाता है जब उत्पादों का नियंत्रण स्थानांतरित हो जाता है, यानी जब उत्पाद ग्राहक को वितरित किए जाते हैं। वितरण तब होती है जब उत्पादों को विशिष्ट स्थान पर भेज दिया गया हो या वितरित कर दिया गया हो, जैसा भी मामला हो, और हानि के जोखिम को बिक्री अनुबंध के अनुसार स्थानांतरित कर दिया गया हो। मान्यता प्राप्त राजस्व की राशि उस प्रतिफल को दर्शाती है जिसकी कंपनी उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले में हकदार है या होने की उम्मीद करती है। संचित अनुभव का उपयोग बिक्री अनुबंध के अनुसार परिवर्तनीय प्रतिफल का अनुमान लगाने और उसे प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिसमें सर्वाधिक संभावित विधि का प्रयोग किया जाता है, तथा राजस्व को केवल उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जहां यह अत्यधिक संभावित हो कि कोई महत्वपूर्ण उलटफेर नहीं होगा। विचाराधीन राशि में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है, क्योंकि बिक्री अनुबंध के अनुसार भुगतान की शर्तें एक वर्ष से कम हैं।

कंपनी के पास भविष्य में ग्राहकों को उत्पादों की आपूर्ति करने के लिए कई दीर्घकालिक अनुबंध हैं। सामान्यतः, राजस्व की पहचान चालान के आधार पर की जाती है, क्योंकि बेची गई प्रत्येक इकाई एक अलग निष्पादन दायित्व है, और इसलिए ग्राहक से प्रतिफल पाने का अधिकार सीधे तौर पर हमारे आज तक पूरे किए गए निष्पादन से मेल खाता है।

2.4 सरकार से अनुदान

सरकारी अनुदानों को तब तक मान्यता नहीं दी जाती जब तक कि यह उचित आश्वासन न मिल जाए कि कंपनी उनसे जुड़ी शर्तों का अनुपालन करेगी तथा यह उचित निश्चितता न हो कि अनुदान प्राप्त होगा।

सरकारी अनुदानों को लाभ और हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर उस अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है जिसमें कंपनी संबंधित व्ययों या लागतों को मान्यता देती है जिनकी क्षतिपूर्ति के लिए अनुदानों का प्रावधान है।

परिसंपत्तियों से संबंधित सरकारी अनुदान को आस्थगित आय के रूप में स्थापित करके तुलनपत्र में प्रस्तुत किया जाता है और परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन पर व्यवस्थित आधार पर लाभ और हानि के विवरण में मान्यता दी जाती है।

आय से संबंधित अनुदान (अर्थात् परिसंपत्तियों के अलावा अन्य से संबंधित अनुदान) को 'अन्य आय' शीर्षक के अंतर्गत लाभ और हानि विवरण के भाग के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

सरकारी अनुदान/सहायता, जो पहले से किए गए व्यय या हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में या कंपनी को बिना किसी भविष्य संबंधित लागत के तत्काल वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से प्राप्त होती है, उस अवधि के लाभ या हानि में मान्यता प्राप्त होती है जिसमें वह प्राप्त होती है।

प्रवर्तक के योगदान के रूप में सरकारी अनुदान या अनुदान को सीधे "पूँजी रिजर्व" में मान्यता दी जाती है जो "शेयरधारक निधि" का हिस्सा बनती है।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध पट्टा तब कहलाता है, या पट्टा में निहित होता है, यदि अनुबंध, प्रतिफल के बदले में, एक निश्चित अवधि के लिए किसी चिन्हित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार प्रदान करता है।

2.5.1 पट्टेदार के रूप में कंपनी

कंपनी अनुबंध की शुरुआत में ही यह आकलन करती है कि अनुबंध में पट्टा शामिल है या नहीं। यदि अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को प्रतिफल के बदले में एक निश्चित अवधि के लिए नियंत्रित करने का अधिकार दिया जाता है, तो अनुबंध पट्टा कहलाता है या उसमें पट्टा शामिल होता है। यह आकलन करने के लिए कि क्या कोई अनुबंध किसी पहचानी गई परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या: (i) अनुबंध में किसी पहचानी गई परिसंपत्ति का उपयोग शामिल है (ii) कंपनी को पट्टे की अवधि के दौरान परिसंपत्ति के उपयोग से सभी आर्थिक लाभ प्राप्त हैं और (iii) कंपनी को परिसंपत्ति के उपयोग को निर्देशित करने का अधिकार है।

प्रारंभिक तिथि पर, पट्टेदार को लागत पर उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को तथा उस तिथि को न चुकाए गए पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता को मान्यता देनी होगी, बशर्ते कि पट्टे की अवधि 12 महीने या उससे कम हो या अंतर्निहित परिसंपत्ति कम मूल्य की न हो।

इसके बाद, उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि पट्टा देयता को पट्टा देयता पर ब्याज को दर्शाने के लिए वहन राशि में वृद्धि करके मापा जाता है, किए गए पट्टा भुगतान को दर्शाने के लिए वहन राशि को कम किया जाता है और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टा संशोधन को दर्शाने के लिए वहन राशि को फिर से मापा जाता है।

पट्टा दायित्व को प्रारम्भ में भविष्य के पट्टा भुगतानों के वर्तमान मूल्य पर परिशोधित लागत पर मापा जाता है। पट्टे के भुगतान को पट्टे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके छूट दी जाती है, या यदि आसानी से निर्धारित नहीं किया जा सकता है, तो इन पट्टों की वृद्धिशील उधार दरों का उपयोग करके छूट दी जाती है। यदि कंपनी अपने मूल्यांकन में परिवर्तन करती है कि क्या वह विस्तार या समाप्ति विकल्प का प्रयोग करेगी, तो पट्टा देयताओं को उपयोग के अधिकार से संबंधित परिसंपत्ति में संगत समायोजन के साथ पूर्व-मापा जाता है। पट्टा देयता और आरओयू परिसंपत्ति को तुलनपत्र में अलग से प्रस्तुत किया जाता है और पट्टा भुगतान को वित्तपोषण नकदी प्रवाह के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। पट्टा देयता दायित्वों को "वित्तीय देयताएं" शीर्षक के अंतर्गत अलग से प्रस्तुत किया जाता है।

वित्त प्रभागों को लाभ और हानि विवरण में वित्त लागतों में मान्यता दी जाती है, जब तक कि लागतों को अन्य लागू मानकों को लागू करते हुए किसी अन्य परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में शामिल नहीं किया जाता है।

उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति का मूल्यहास परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन काल में किया जाता है, यदि पट्टा अवधि के अंत तक पट्टाधारक को परिसंपत्ति का स्वामित्व हस्तांतरित कर दिया जाता है या यदि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्ति की लागत यह दर्शाती है कि पट्टाधारक खरीद विकल्प का प्रयोग करेगा। अन्यथा, पट्टेदार उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति का मूल्यहास प्रारंभ तिथि से लेकर उपयोग-अधिकार परिसंपत्ति के उपयोगी जीवन की समाप्ति या पट्टा अवधि की समाप्ति तक करेगा।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

परिसंपत्तियों को या तो वित्तीय पट्टे या परिचालन पट्टे के रूप में पट्टे पर दिया जाता है।

वित्त पट्टा: एक पट्टे को वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि यह अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व से संबंधित सभी जोखिमों और लाभों को मूलतः स्थानांतरित कर देता है। प्रारंभ में, वित्तीय पट्टे के अंतर्गत रखी गई परिसंपत्ति को तुलनपत्र में मान्यता दी जाती है तथा पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि पर प्राप्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। वित्तीय आय को पट्टे की अवधि के दौरान मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में कंपनी के शुद्ध निवेश पर प्रतिफल की निरंतर आवधिक दर को दर्शाने वाले पैटर्न पर आधारित होती है।

परिचालन पट्टा: एक पट्टा जिसे वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जाता है, वह एक परिचालन पट्टा है। कंपनी परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के मामले में पट्टा भुगतान को सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता देती है।

2.6 बिक्री के लिए रखी गई गैर-चालू परिसंपत्तियाँ

कंपनी गैर-चालू परिसंपत्तियों और (या निपटान समूहों) को बिक्री के लिए रखी गई परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत करती है, यदि उनकी अग्रणीत राशि निरंतर उपयोग के बजाय मुख्य रूप से बिक्री के माध्यम से वसूल की जाएगी। बिक्री को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्रवाइयों से यह संकेत मिलना चाहिए कि बिक्री में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाने की संभावना नहीं है या बिक्री का निर्णय वापस नहीं लिया जाएगा। प्रबंधन को वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री पूरी होने के लिए प्रतिबद्ध होना चाहिए।

इन प्रयोजनों के लिए, बिक्री लेनदेन में गैर-चालू परिसंपत्तियों का अन्य गैर-चालू परिसंपत्तियों के साथ विनिमय शामिल होता है, जब विनिमय में वाणिज्यिक सार हो। बिक्री के लिए रखे गए वर्गीकरण के मानदंड को तभी पूरा माना जाता है जब परिसंपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तत्काल बिक्री के लिए उपलब्ध हो, केवल उन शर्तों के अधीन जो ऐसी परिसंपत्तियों (या निपटान समूहों) की बिक्री के लिए सामान्य और प्रथागत हैं, इसकी बिक्री अत्यधिक संभावित है, और इसे वास्तव में बेचा जाएगा, त्यागा नहीं जाएगा। कंपनी परिसंपत्ति या निपटान समूह की बिक्री को अत्यधिक संभावित मानती है जब:

- प्रबंधन का उपयुक्त स्तर परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बेचने की योजना के लिए प्रतिबद्ध है,
- खरीदार ढूंढने और योजना को पूरा करने के लिए एक सक्रिय कार्यक्रम शुरू किया गया है
- परिसंपत्ति (या निपटान समूह) को बिक्री के लिए सक्रिय रूप से विपणन किया जा रहा है, जो उसके वर्तमान उचित मूल्य के संबंध में उचित है,
- वर्गीकरण की तिथि से एक वर्ष के भीतर बिक्री को पूर्ण बिक्री के रूप में मान्यता मिलने की उम्मीद है, तथा योजना को पूरा करने के लिए आवश्यक कार्यवाहियां यह दर्शाती हैं कि इस बात की संभावना नहीं है कि योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए जाएंगे या योजना को वापस ले लिया जाएगा।

बिक्री के लिए वर्गीकृत गैर-चालू परिसंपत्ति या निपटान समूहों को वहन राशि और उचित मूल्य में से बिक्री लागत घटाकर निम्नतम पर मापा जाता है।

2.7 संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (पीपीई) और मूल्यहास

पीपीई की किसी वस्तु को परिसंपत्ति के रूप में मान्यता तब दी जाती है जब यह संभावना हो कि वस्तु से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा वस्तु की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

पीई को प्रारंभ में अधिग्रहण/निर्माण की लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें आवश्यकतानुसार डीकमीशनिंग या पुनर्स्थापना लागत भी शामिल होती है। भूमि की लागत में वे व्यय शामिल हैं जो सीधे भूमि अधिग्रहण से संबंधित हैं, जैसे पुनर्वास व्यय, पुनर्स्थापन लागत और संबंधित विस्थापित व्यक्तियों के लिए रोजगार के बदले मुआवजा आदि।

मान्यता के बाद, अन्य सभी संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद को लागत मॉडल के तहत किसी भी संचित मूल्यहास और किसी भी संचित हानि को घटाकर उसकी लागत पर रखा जाता है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की एक मद की लागत में निम्न शामिल हैं:

- (क) व्यापार छूट और रियायतों में कटौती के बाद, आयात शुल्क और गैर-वापसी योग्य खरीद करों सहित इसकी खरीद मूल्य।
- (ख) परिसंपत्ति को प्रबंधन द्वारा इच्छित तरीके से परिचालन करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक स्थान और स्थिति तक लाने के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार कोई भी लागत।
- (ग) वस्तु को नष्ट करने और हटाने तथा उस स्थान में सुधार करने की लागत का प्रारंभिक अनुमान, जिसके लिए कंपनी या तो वस्तु के अधिग्रहण के समय या किसी विशेष अवधि के दौरान वस्तु का उपयोग इन्वेंट्री बनाने के अलावा अन्य उद्देश्यों के लिए करने के परिणामस्वरूप दायित्व वहन करती है।
- (घ) अर्हक परिसंपत्तियों के निर्माण के वित्तपोषण के लिए उपयोग किए गए उधार पर ब्याज को परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में तब तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक कि परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु के प्रत्येक भाग की लागत, जो उस वस्तु की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण है, का अलग से मूल्यहास किया जाता है। हालांकि, मूल्यहास प्रभार निर्धारित करने में पीपीई के एक मद के महत्वपूर्ण भाग (भागों) को एक ही उपयोगी जीवन और मूल्यहास विधि के साथ समूहीकृत किया जाता है।

‘मरम्मत और रखरखाव’ के रूप में वर्णित दिन-प्रतिदिन की सेवाओं की लागतों को उस अवधि के लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें वे व्यय की जाती हैं।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी मद की कुल लागत के संबंध में महत्वपूर्ण भागों को बदलने की बाद की लागत को मद की अग्रणीत राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे; और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। प्रतिस्थापित किये जाने वाले भागों की वहन राशि नीचे उल्लिखित अमान्यता नीति के अनुसार अमान्य कर दी जाती है।

जब प्रमुख निरीक्षण किया जाता है, तो इसकी लागत को प्रतिस्थापन के रूप में संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की वहन राशि में मान्यता दी जाती है, यदि यह संभावना है कि मद से जुड़े भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी को मिलेंगे; और मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है। पिछले निरीक्षण की लागत की शेष वहन राशि (भौतिक भागों से अलग) को अमान्य कर दिया जाता है।

संपत्ति, संयंत्र या उपकरण की किसी वस्तु को निपटान के समय या जब परिसंपत्तियों के निरंतर उपयोग से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब मान्यता रद्द कर दी जाती है। संपत्ति, संयंत्र और उपकरण की किसी वस्तु की ऐसी मान्यता रद्द करने पर होने वाले किसी भी लाभ या हानि को लाभ और हानि में मान्यता दी जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण पर मूल्यहास, फ्रीहोल्ड भूमि को छोड़कर, परिसंपत्ति के अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा के आधार पर लागत मॉडल के अनुसार निम्नानुसार प्रदान किया जाता है:

अन्य भूमि

(लीजहोल्ड भूमि सहित)	: परियोजना की अवधि या पट्टे की अवधि जो भी कम हो
भवन (सड़क सहित)	: 3-60 वर्ष
दूरसंचार	: 3-9 वर्ष
रेलवे साइडिंग	: 15 वर्ष
संयंत्र और उपकरण	: 1-40 वर्ष
कंप्यूटर और लैपटॉप	: 3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	: 3-5 वर्ष
फर्नीचर और फिक्सचर	: 10 वर्ष
वाहन	: 8-10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन का मानना है कि ऊपर दिया गया उपयोगी जीवन, उस अवधि को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है जिसके दौरान प्रबंधन को परिसंपत्ति का उपयोग करने की उम्मीद है। इसलिए परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के भाग सी के तहत निर्धारित उपयोगी जीवन से भिन्न हो सकता है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में परिसंपत्तियों के अनुमानित उपयोगी जीवन की समीक्षा की जाती है।

संपत्ति, संयंत्र और उपकरण का अवशिष्ट मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 5% माना जाता है, सिवाय कुछ परिसंपत्ति मदों जैसे अन्य भूमि, साइट पुनर्स्थापना परिसंपत्ति, अन्य खनन अवसंरचना, सर्वेक्षण की गई परिसंपत्तियां को छोड़कर। कोयला टब, घुमावदार रस्सियों, ढुलाई रस्सियों, स्टोविंग पाइप और सुरक्षा लैंप आदि जैसी वस्तुओं के लिए उपयोगी जीवन को तकनीकी रूप से एक वर्ष माना गया है, जिसमें शून्य अवशिष्ट मूल्य भी है।

वर्ष के दौरान जोड़ी गई/निपटाई गई परिसंपत्तियों पर मूल्यहास, जोड़ने/निपटाने के माह के संदर्भ में आनुपातिक आधार पर प्रदान किया जाता है।

"अन्य भूमि" के मूल्य में कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) (सीबीए) अधिनियम, 1957, भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार (आरएफसीटीएलएए आर) अधिनियम, 2013, सरकारी भूमि का दीर्घकालिक हस्तांतरण आदि के अंतर्गत अधिग्रहित भूमि शामिल है, जिसका परिशोधन परियोजना की शेष अवधि के आधार पर किया जाता है; और पट्टाधारित भूमि के मामले में ऐसा परिशोधन पट्टा अवधि या परियोजना की शेष अवधि, जो भी कम हो, पर आधारित होता है।

वे परिसंपत्तियां जो पूर्णतः मूल्यहासित हो चुकी हैं तथा सक्रिय उपयोग से हटा ली गई हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र उपकरण के अंतर्गत अवशिष्ट मूल्य पर सर्वेक्षणित परिसंपत्तियों के रूप में अलग से प्रकट किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

कंपनी द्वारा कुछ परिसंपत्तियों के निर्माण/विकास पर किए गए पूंजीगत व्यय, जो उत्पादन, माल की आपूर्ति या कंपनी की किसी मौजूदा परिसंपत्ति तक पहुंच के लिए आवश्यक हैं, उन्हें संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के अंतर्गत सक्षम परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है।

भारतीय लेखा मानक में परिवर्तन

कंपनी ने लागत मॉडल के अनुसार वहन मूल्य को जारी रखने का चुनाव किया (अपनी समस्त संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के लिए, जैसा कि भारतीय लेखा मानकों में परिवर्तन की तिथि पर वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त है, जिसे पिछले जीएपी के अनुसार मापा गया है)।

2.8 खदान बंदी, साइट की मरम्मत और डीकमीशनिंग दायित्व

भूमि सुधार और संरचनाओं को हटाने के लिए कंपनी के दायित्व में भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार सतही और भूमिगत दोनों खदानों पर खर्च शामिल है। कंपनी आवश्यक कार्य करने के लिए भविष्य में नकद खर्च की राशि और समय की विस्तृत गणना और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर खदान बंद करने, साइट की मरम्मत और डीकमीशनिंग के लिए अपने दायित्व का अनुमान लगाती है। खदान बंद करने पर होने वाला व्यय अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। व्यय के अनुमानों को मुद्रास्फीति के लिए बढ़ा दिया जाता है, और फिर छूट दर पर छूट दी जाती है जो धन के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, ताकि प्रावधान की राशि दायित्व को निपटाने के लिए किए जाने वाले अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य को प्रतिबिंबित करे। कंपनी अंतिम पुनर्ग्रहण और खदान बंद करने की देयता से संबंधित एक संगत परिसंपत्ति का रिकॉर्ड रखती है। दायित्व और संबंधित परिसंपत्तियों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें देयता उत्पन्न हुई है। खदान बंद करने की योजना के अनुसार कुल साइट की मरम्मत की लागत (केंद्रीय खान योजना और डिजाइन संस्थान लिमिटेड द्वारा अनुमानित) का प्रतिनिधित्व करने वाली परिसंपत्ति को पीपीई में एक अलग मद के रूप में मान्यता दी गई है और शेष परियोजना/खदान पर परिशोधित किया गया है। प्रावधान का मूल्य समय के साथ उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है क्योंकि छूट का प्रभाव समाप्त हो जाता है, एक व्यय का सृजन होता है जिसे वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है इसके अलावा, अनुमोदित खदान बंद करने की योजना के अनुसार इस प्रयोजन के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो फंड खाता बनाए रखा जाता है।

कुल खदान बंद करने के दायित्व का हिस्सा बनने वाले वर्ष-दर-वर्ष आधार पर किए गए खदान बंद करने के प्रगामी व्यय को शुरू में एस्क्रो खाते से प्राप्य के रूप में मान्यता दी जाती है और उसके बाद प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद उस वर्ष के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें राशि वापस ली जाती है।

2.09 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार निर्धारित कर लिए जाते हैं और खानों/परियोजनाओं के विकास को मंजूरी दे दी जाती है, तो पूंजीकृत अन्वेषण और मूल्यांकन लागत को निर्माणाधीन परिसंपत्तियों के रूप में मान्यता दी जाती है और "विकास" शीर्षक के अंतर्गत प्रगति पर पूंजीगत कार्य के एक घटक के रूप में प्रकट किया जाता है। इसके बाद के सभी विकास व्यय भी पूंजीकृत किये जाते हैं। पूंजीकृत विकास व्यय, विकास चरण के दौरान निकाले गए कोयले की बिक्री से प्राप्त आय को घटाकर प्राप्त किया जाता है।

व्यावसायिक प्रचालन

परियोजना/खान को राजस्व में तब लाया जाता है; जब परियोजना/खान की स्थायी आधार पर उत्पादन देने के लिए व्यावसायिक तत्परता या तो परियोजना रिपोर्ट में विशेष रूप से बताई गई शर्तों के आधार पर या निम्नलिखित मानदंडों के आधार पर स्थापित की जाती है:

- (क) उस वर्ष के तुरंत बाद के वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिसमें परियोजना अनुमोदित परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार निर्धारित क्षमता का 25% भौतिक उत्पादन प्राप्त करती है, या
- (ख) कोयला प्राप्त करने के 2 वर्ष, या
- (ग) उस वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ से जिसमें उत्पादन का मूल्य कुल व्यय से अधिक है।

जो भी घटना पहले घटित हो:

राजस्व में लाए जाने पर, प्रगति पर पूंजीगत कार्य के अंतर्गत परिसंपत्तियों को "अन्य खनन अवसंरचना" नाम के अंतर्गत संपत्ति, संयंत्र और उपकरण के घटक के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। अन्य खनन अवसंरचनाओं का परिशोधन उस वर्ष से किया जाता है, जब खदान को राजस्व के अंतर्गत लाया जाता है। 20 वर्ष या परियोजना की कार्यशील अवधि, जो भी कम हो।

2.10 अमूर्त संपत्ति

अलग से अर्जित अमूर्त संपत्तियों को लागत पर प्रारंभिक मान्यता के आधार पर मापा जाता है। लागत में संपत्ति को उसके इच्छित उपयोग के लिए तैयार करने के लिए आवश्यक कोई भी प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार व्यय शामिल होता है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, अमूर्त परिसंपत्तियों को लागत में से संचित परिशोधन और संचित हानि के नुकसान पर किया जाता है।

अनुवर्ती व्यय को परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि में वृद्धि के रूप में मान्यता दी जाती है, जब यह संभावना हो कि व्यय की गई लागत से प्राप्त होने वाले भावी आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होंगे तथा मद की लागत को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है।

अमूर्त परिसंपत्ति की किसी मद को निपटान के समय या जब उसके उपयोग या निपटान से भविष्य में कोई आर्थिक लाभ अपेक्षित न हो, तब उसकी मान्यता रद्द कर दी जाती है। अमूर्त परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने से उत्पन्न लाभ या हानि को शुद्ध निपटान आय और परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि के बीच के अंतर के रूप में मापा जाता है और परिसंपत्ति की मान्यता रद्द करने पर इसे लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

पूंजीकृत विकास लागतों को छोड़कर आंतरिक रूप से उत्पन्न अमूर्त संपत्तियों को पूंजीकृत नहीं किया जाता है। इसके बजाय, संबंधित व्यय को उस अवधि में लाभ और हानि और अन्य व्यापक आय के विवरण में मान्यता दी जाती है जिसमें व्यय किया जाता है।

अमूर्त परिसंपत्तियों के उपयोगी जीवन का मूल्यांकन या तो सीमित या अनिश्चित के रूप में किया जाता है। सीमित जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्तियों का उनके उपयोगी आर्थिक जीवन पर परिशोधन किया जाता है और जब भी ऐसा संकेत मिलता है कि अमूर्त परिसंपत्ति क्षतिग्रस्त हो सकती है, तो उनकी क्षति का भी मूल्यांकन किया जाता है। सीमित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति के लिए परिशोधन अवधि और परिशोधन विधि की समीक्षा कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में की जाती है। परिसंपत्ति में निहित भावी आर्थिक लाभों के उपभोग के अपेक्षित उपयोगी जीवन या अपेक्षित पैटर्न में परिवर्तन को, उपयुक्त रूप से परिशोधन अवधि या विधि को संशोधित करने के लिए माना जाता है, और उन्हें लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन के रूप में माना जाता है। सीमित अवधि वाली अमूर्त परिसंपत्तियों पर परिशोधन व्यय को लाभ-हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

अनिश्चित उपयोगी जीवन वाली अमूर्त परिसंपत्ति का परिशोधन नहीं किया जाता है, बल्कि प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उसकी क्षति के लिए जांच की जाती है।

बिक्री के लिए पहचाने गए या बाहरी एजेंसियों को बेचे जाने के लिए प्रस्तावित ब्लॉकों (अर्थात् सीआईएल के लिए चिन्हित न किए गए ब्लॉकों) से संबंधित अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों को अमूर्त परिसंपत्तियों के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तथा उनकी हानि के लिए जांच की जाती है।

शोध पर व्यय को व्यय के रूप में तब जोड़ा जाता है जब वह व्यय होता है। विकास पर व्यय को केवल तभी पूंजीकृत किया जाता है जब व्यय को विश्वसनीय रूप से मापा जा सकता है, उत्पाद या प्रक्रिया तकनीकी और व्यावसायिक रूप से व्यवहार्य है, भविष्य में आर्थिक लाभ संभावित हैं और कंपनी विकास को पूरा करने और परिसंपत्ति का उपयोग करने या बेचने के लिए पर्याप्त संसाधन रखने का इरादा रखती है।

2.11 परिसंपत्तियों की क्षति (वित्तीय परिसंपत्तियों के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह आकलन करती है कि क्या किसी परिसंपत्ति के क्षतिग्रस्त होने का कोई संकेत है। यदि ऐसा कोई संकेत मौजूद है, तो कंपनी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाती है। किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि, परिसंपत्ति या नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के उपयोग मूल्य और उसके उचित मूल्य में से निपटान की लागत घटाकर जो भी अधिक हो, वह होती है और इसे किसी व्यक्तिगत परिसंपत्ति के लिए निर्धारित किया जाता है, जब तक कि परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह उत्पन्न न हो जो कि अन्य परिसंपत्तियों या परिसंपत्तियों के समूहों से होने वाले प्रवाह से काफी हद तक स्वतंत्र हो, ऐसी स्थिति में वसूली योग्य राशि उस नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के लिए निर्धारित की जाती है जिससे परिसंपत्ति संबंधित है। कंपनी हानि परीक्षण के उद्देश्य से अलग-अलग खानों को अलग-अलग नकदी उत्पादक इकाइयों के रूप में मानती है यदि किसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि उसकी अग्रणीत राशि से कम होने का अनुमान लगाया जाता है, तो परिसंपत्ति की अग्रणीत राशि को उसकी वसूली योग्य राशि तक घटा दिया जाता है तथा हानि की क्षति को लाभ और हानि विवरण में मान्यता दी जाती है।

2.12 संपत्ति में निवेश

संपत्ति (भूमि या भवन या भवन का भाग या दोनों) जो किराया कमाने या पूंजी वृद्धि या दोनों के लिए रखी जाती है, न कि वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन या आपूर्ति में उपयोग के लिए या प्रशासनिक उद्देश्यों के लिए; या सामान्य व्यवसाय के क्रम में बिक्री के लिए, उन्हें निवेश संपत्ति के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

निवेश संपत्ति को प्रारंभ में उसकी लागत के आधार पर मापा जाता है, जिसमें संबंधित लेनदेन लागत और जहां लागू हो, उधार लागत भी शामिल होती है।

निवेश संपत्तियों का मूल्यह्रास उनके अनुमानित उपयोगी जीवन पर सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करके किया जाता है।

2.13 वित्तीय साधन

वित्तीय साधन वह अनुबंध है जो एक इकाई की वित्तीय परिसंपत्ति और दूसरी इकाई की वित्तीय देयता या इक्विटी साधन प्रदान करता है।

2.14.1 वित्तीय पूंजी

2.14.1 प्रारंभिक पहचान और माप

सभी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा उचित मूल्य पर दर्ज न की गई वित्तीय परिसंपत्तियों के मामले में लाभ या हानि के माध्यम से, साथ ही वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण के कारण होने वाली लेनदेन लागतों को भी शामिल किया जाता है। वित्तीय परिसंपत्तियों की खरीद या बिक्री, जिसके लिए बाजार में विनियमन या परंपरा द्वारा स्थापित समय सीमा के भीतर परिसंपत्तियों की डिलीवरी की आवश्यकता होती है (नियमित तरीके से व्यापार), को व्यापार तिथि पर मान्यता दी जाती है, अर्थात् वह तिथि जिस दिन कंपनी परिसंपत्ति खरीदने या बेचने के लिए प्रतिबद्ध होती है। हालाँकि, व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं होता है, उन्हें लेनदेन मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2 अनुवर्ती माप

अनुवर्ती माप के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय परिसंपत्तियों को चार श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है:

- परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण
- लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण उपकरण, डेरिवेटिव और इक्विटी उपकरण (एफवीटीपीएल)
- अन्य व्यापक आय (एफवीटीओसीआई) के माध्यम से उचित मूल्य पर मापे गए इक्विटी उपकरण

2.14.2.1 परिशोधित लागत पर ऋण उपकरण

यदि निम्नलिखित दोनों शर्तें पूरी होती हैं तो 'ऋण साधन' को परिशोधित लागत पर मापा जाता है:

- परिसंपत्ति को एक व्यवसाय मॉडल के अंतर्गत रखा जाता है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करने के लिए परिसंपत्तियों को रखना होता है, तथा
- परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्तें निर्दिष्ट तिथियों पर नकदी प्रवाह को जन्म देती हैं जो केवल बकाया मूल राशि पर मूलधन और ब्याज (एसपीपीआई) का भुगतान होता है।

प्रारंभिक माप के बाद, ऐसी वित्तीय परिसंपत्तियों को प्रभावी ब्याज दर (ईआईआर) पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण पर किसी छूट या प्रीमियम तथा शुल्क या लागत को ध्यान में रखकर की जाती है, जो ईआईआर का अभिन्न अंग है। ईआईआर परिशोधन को लाभ या हानि में वित्त आय में शामिल किया जाता है। हानि से होने वाले नुकसान को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.2.2 एफवीटीओसीआई पर ऋण साधन

यदि निम्नलिखित दोनों मानदंड पूरे होते हैं तो एक 'ऋण साधन' को एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकृत किया जाता है:

- क) व्यवसाय मॉडल का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को एकत्रित करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बेचकर प्राप्त किया जाता है,
- ख) परिसंपत्ति का संविदात्मक नकदी प्रवाह एसपीपीआई का प्रतिनिधित्व करता है।

एफवीटीओसीआई श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को शुरू में और साथ ही प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर उचित मूल्य पर मापा जाता है। उचित मूल्य आंदोलनों को अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता दी जाती है। हालांकि, कंपनी ब्याज आय, हानि हानि और प्रतिवर्तन तथा विदेशी मुद्रा लाभ या हानि को पी एंड एल में मान्यता देती है। परिसंपत्ति की मान्यता समाप्त होने पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को इक्विटी से पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है। एफवीटीओसीआई ऋण साधन धारण करते समय अर्जित ब्याज को ईआईआर पद्धति का उपयोग करके ब्याज आय के रूप में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.2.3 एफवीटीपीएल में ऋण साधन

एफवीटीपीएल ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। कोई भी ऋण साधन, जो परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई के रूप में वर्गीकरण के मानदंडों को पूरा नहीं करता है, उसे एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

इसके अलावा, कंपनी किसी ऐसे ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा एफवीटीपीएल के अनुसार परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंड को पूरा करता हो। हालांकि, ऐसा चुनाव केवल तभी अनुमत है जब ऐसा करने से माप या मान्यता असंगतता (जिसे 'लेखा बेमेल' कहा जाता है) कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के अनुसार नामित नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.4 सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 101 (भारतीय लेखा मानक को पहली बार अपनाना) के अनुसार, परिवर्तनकाल की तिथि पर पिछले जीएएपी के अनुसार इन निवेशों की वहन राशि को अनुमानित लागत माना जाता है। इसके बाद सहायक कंपनियों, सहयोगियों और संयुक्त उद्यमों में निवेश को लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, सहयोगी और संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश को भारतीय लेखा मानक 28 के पैरा 10 में निर्धारित इक्विटी पद्धति के अनुसार लेखांकित किया जाता है।

2.14.2.5 अन्य इक्विटी निवेश

भारतीय लेखा मानक 109 के दायरे में आने वाले सभी अन्य इक्विटी निवेशों को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है। कंपनी उचित मूल्य में बाद के परिवर्तनों को अन्य व्यापक आय में प्रस्तुत करने के लिए अपरिवर्तनीय चुनाव कर सकती है। कंपनी इस तरह का चुनाव साधन दर साधन आधार पर करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक मान्यता पर किया जाता है और अपरिवर्तनीय होता है।

एफवीटीओसीआई में वर्गीकृत इक्विटी इंस्ट्रूमेंट के सभी उचित मूल्य परिवर्तन, ओसीआई में पहचाने जाते हैं। लाभ और हानि विवरण में उचित मूल्य लाभ और हानि का कोई बाद में पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है। हालांकि, कंपनी संचयी लाभ या हानि को इक्विटी में स्थानांतरित कर सकती है। ऐसे निवेशों से प्राप्त लाभांश को लाभ और हानि विवरण में "अन्य आय" के रूप में मान्यता दी जाती है, जब कंपनी का भुगतान प्राप्त करने का अधिकार स्थापित हो जाता है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल इक्विटी उपकरणों को पी एंड एल में सभी परिवर्तनों को मान्यता देते हुए उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 मान्यता रद्द करना

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहां लागू हो, वित्तीय परिसंपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के समूह का एक हिस्सा) को प्राथमिक रूप से अमान्य कर दिया जाता है (अर्थात् तुलन पत्र से हटा दिया जाता है) जब:

- परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अधिकार समाप्त हो गए हैं, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित कर दिया है या किसी तीसरे पक्ष को 'पास-थ्रू' व्यवस्था के तहत बिना किसी देरी के प्राप्त नकदी प्रवाह का पूरा भुगतान करने का दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (क) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को काफी हद तक हस्तांतरित कर दिया है, या (ख) कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और प्रतिफलों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित कर दिया है।

जब कंपनी किसी परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के अपने अधिकारों को हस्तांतरित करती है या पास-थ्रू व्यवस्था में प्रवेश करती है, तो वह मूल्यांकन करती है कि क्या और किस हद तक उसने स्वामित्व के जोखिम और लाभ को बरकरार रखा है। जब कंपनी ने परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और लाभों को न तो हस्तांतरित किया है और न ही उन्हें अपने पास रखा है, और न ही परिसंपत्ति का नियंत्रण हस्तांतरित किया है, तो कंपनी अपनी निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित परिसंपत्ति को मान्यता देना जारी रखती है। उस स्थिति में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी मान्यता देती है। हस्तांतरित परिसंपत्ति और संबद्ध देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तांतरित परिसंपत्ति पर गारंटी के रूप में निरंतर भागीदारी को परिसंपत्ति की मूल अग्रणीत राशि तथा प्रतिफल की अधिकतम राशि, जिसे कंपनी को चुकाने की आवश्यकता हो सकती है, में से निम्नतम राशि पर मापा जाता है।

2.14.2.7 वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि (उचित मूल्य के अलावा)

भारतीय लेखा मानक 109 के अनुसार, कंपनी निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्तियों और ऋण जोखिम पर हानि की माप और पहचान के लिए अपेक्षित ऋण हानि (ईसीएल) मॉडल लागू करती है:

- क) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापी जाती हैं, जैसे ऋण, ऋण प्रतिभूतियाँ, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक बैलेंस
- ख) वित्तीय परिसंपत्तियाँ जो ऋण साधन हैं और एफवीटीओसीआई के अनुसार मापी जाती हैं
- ग) भारतीय लेखा मानक 116 के अंतर्गत पट्टा प्राप्य
- घ) व्यापार प्राप्य या नकदी या अन्य वित्तीय परिसंपत्ति प्राप्त करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो भारतीय लेखा मानक 115 के दायरे में आने वाले लेनदेन से उत्पन्न होता है।

कंपनी निम्नलिखित पर हानि भत्ते की मान्यता के लिए 'सरलीकृत दृष्टिकोण' का पालन करती है:

- व्यापार प्राप्य या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखा मानक 116 के दायरे में लेनदेन से उत्पन्न सभी पट्टा प्राप्य

सरलीकृत दृष्टिकोण के अनुप्रयोग के लिए कंपनी को क्रेडिट जोखिम में परिवर्तनों को ट्रैक करने की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अलावा, यह प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि पर, इसकी प्रारंभिक पहचान से ही, आजीवन ईसीएल के आधार पर हानि भत्ते को मान्यता देता है।

2.14.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.14.3.1 प्रारंभिक पहचान और माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देयताएं, बैंक ओवरड्राफ्ट सहित ऋण और उधार शामिल हैं।

सभी वित्तीय देनदारियों को प्रारंभ में उचित मूल्य पर मान्यता दी जाती है, तथा ऋणों, उधारों और देयताओं के मामले में, प्रत्यक्ष रूप से देय लेनदेन लागतों को घटाकर मान्यता दी जाती है।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, जैसा कि नीचे वर्णित है:

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में व्यापार के लिए रखे गए वित्तीय देनदारियाँ और लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर निर्दिष्ट वित्तीय देनदारियाँ शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को ट्रेडिंग के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य से किए जाते हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज किए गए व्युत्पन्न वित्तीय उपकरण भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखा मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज संबंधों में हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया गया है। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को भी व्यापार के लिए रखे गए के रूप में वर्गीकृत किया जाता है, जब तक कि उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरण के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गए दायित्वों पर लाभ या हानि को लाभ या हानि में मान्यता दी जाती है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर पद्धति का उपयोग करके परिशोधित लागत पर मापा जाता है। लाभ और हानि को लाभ या हानि में पहचाना जाता है जब देनदारियों को मान्यता से हटा दिया जाता है और साथ ही प्रभावी ब्याज दर परिशोधन प्रक्रिया के माध्यम से भी पहचाना जाता है। परिशोधित लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागतों पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न अंग हैं। प्रभावी ब्याज दर परिशोधन को लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया जाता है।

2.14.3.5 मान्यता रद्द करना

वित्तीय दायित्व तब अमान्य हो जाता है जब दायित्व के अंतर्गत दायित्व समाप्त हो जाता है या रद्द हो जाता है या समाप्त हो जाता है। जब किसी मौजूदा वित्तीय दायित्व को उसी ऋणदाता द्वारा काफी अलग शर्तों पर दूसरे द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, या किसी मौजूदा दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो ऐसे विनिमय या संशोधन को मूल दायित्व की अमान्यता और एक नए दायित्व की मान्यता के रूप में माना जाता है। किसी वित्तीय दायित्व (या वित्तीय दायित्व के भाग) की अग्रणी राशि, जो समाप्त हो गई है या किसी अन्य पक्ष को हस्तांतरित हो गई है, तथा भुगतान किए गए प्रतिफल के बीच का अंतर, जिसमें हस्तांतरित गैर-नकद परिसंपत्तियाँ या ग्रहण की गई देयताएं शामिल हैं, को लाभ या हानि में मान्यता दी जाएगी।

2.14.4 वित्तीय परिसंपत्तियों का पुनर्वर्गीकरण

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए कोई पुनर्वर्गीकरण नहीं किया जाता है जो इक्विटी उपकरण और वित्तीय देनदारियाँ हैं। वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए जो ऋण उपकरण हैं, पुनर्वर्गीकरण केवल तभी किया जाता है जब उन परिसंपत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यवसाय मॉडल में कोई बदलाव होता है। व्यवसाय मॉडल में बदलाव कम ही होने की उम्मीद है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन बाहरी या आंतरिक परिवर्तनों के परिणामस्वरूप व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन निर्धारित करता है जो कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण हैं। ऐसे परिवर्तन बाहरी पक्षों के लिए स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन तब होता है जब कंपनी अपने संचालन के

लिए महत्वपूर्ण गतिविधि शुरू करती है या बंद कर देती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसंपत्तियों को वर्गीकृत करती है, तो वह पुनर्वर्गीकरण को पुनर्वर्गीकरण तिथि से लागू करती है जो व्यवसाय मॉडल में परिवर्तन के बाद तत्काल अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी पहले से स्वीकृत किसी लाभ, हानि (लाभ व हानि में कमी सहित) या व्याज को पुनःवर्णित नहीं करती है।

निम्न तालिका विभिन्न पुनर्वर्गीकरण और उनके हिसाब का तरीका दर्शाती है

वास्तविक वर्गीकरण	संशोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनःवर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। पिछले परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को पी एंड एल के रूप में पहचाना जाता है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनःवर्गीकृत तिथि पर उचित मूल्य उनके वर्तमान में जारी कुल राशि का प्रतिनिधित्व करती है। ईआईआर की गणना नये जारी किये गये राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनः वर्गीकृत तिथि पर मापा जाता है। परिशोधित लागत तथा उचित मूल्य के अंतर को ओसीआई में पहचाना जाता है। पुनर्वर्गीकरण के कारण ईआईआर में बदलाव नहीं किया गया
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनर्वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई परिशोधित लागत वाली राशि होगी। हालांकि ओसीआई में लाभ या हानि को उचित मूल्य के हिसाब से समायोजित किया गया है। जिसके फलस्वरूप आस्तियों को मापा जाता है जिस तरह वे हमेशा से परिशोधित मूल्य पर मापे जाते हैं।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनःवर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई जारी की गई राशि होगी, जिसमें किसी अन्य राशि के समायोजन की आवश्यकता नहीं होगी।
एफवीटीओसीआई	एफवीटीपीएल	परिसंपत्तियों को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनर्वर्गीकरण तिथि पर पी एंड एल में पुनर्वर्गीकृत किया जाता है।

2.14.5 वित्तीय साधनों की ऑफसेटिंग

यदि मान्यता प्राप्त राशियों को ऑफसेट करने के लिए वर्तमान में लागू करने योग्य कानूनी अधिकार है और शुद्ध आधार पर निपटान करने, परिसंपत्तियों की वसूली करने और देयताओं का एक साथ निपटान किया जा सकता है, तो वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों को ऑफसेट किया जाता है और शुद्ध राशि को तुलन पत्र में रिपोर्ट किया जाता है।

2.14.6 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

उचित मूल्य वह मूल्य है जो वर्तमान बाजार स्थितियों के तहत माप तिथि पर बाजार प्रतिभागियों के बीच एक व्यवस्थित लेनदेन में किसी परिसंपत्ति को बेचने के लिए प्राप्त किया जाएगा या किसी देयता को स्थानांतरित करने के लिए भुगतान किया जाएगा।

कंपनी उचित मूल्य पर मापी गई परिसंपत्तियों और देनदारियों को तीन स्तरों में से एक में वर्गीकृत करती है, जो ऐसे माप के लिए प्रयुक्त इनपुट के अवलोकन की क्षमता पर निर्भर करता है:

(क) स्तर 1: इनपुट समान परिसंपत्तियों या देनदारियों के लिए सक्रिय बाजारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित) हैं।

(ख) स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्यों के अलावा अन्य इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अवलोकनीय हैं।

(ग) स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं (अन-अवलोकनीय इनपुट)।

कंपनी के पास उचित मूल्यों के मापन के संबंध में एक स्थापित नियंत्रण ढांचा है। इसमें एक वित्त टीम शामिल है, जिसके पास सभी महत्वपूर्ण उचित मूल्य मापनों की देखरेख की समग्र जिम्मेदारी है, जो नियमित रूप से महत्वपूर्ण अप्राप्य इनपुट, मूल्यांकन समायोजन और उचित मूल्य पदानुक्रम की समीक्षा करती है जिसके तहत मूल्यांकन को वर्गीकृत किया जाना चाहिए।

2.14.7 नकद और नकद समतुल्य

तुलन पत्र में नकदी और नकदी समतुल्य में बैंकों में और हाथ में नकदी और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता के साथ अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के महत्वहीन जोखिम के अधीन हैं। नकदी प्रवाह के विवरण के उद्देश्य के लिए, नकदी और नकदी समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमा शामिल हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवरड्राफ्ट के शुद्ध क्योंकि उन्हें कंपनी के नकदी प्रबंधन का एक अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15. उधार लेने की लागत

उधार लेने की लागतें, जब कभी भी व्यय की जाती हैं, व्यय में शामिल की जाती हैं, सिवाय उन मामलों के जहां वे सीधे अर्हक परिसंपत्तियों के अधिग्रहण, निर्माण या उत्पादन के कारण हों, अर्थात् ऐसी परिसंपत्तियां जिन्हें अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार होने में पर्याप्त समय लगता है, ऐसी स्थिति में उन्हें संबंधित परिसंपत्ति की लागत के भाग के रूप में उस तिथि तक पूंजीकृत किया जाता है जब तक अर्हक परिसंपत्ति अपने इच्छित उपयोग के लिए तैयार नहीं हो जाती।

2.16 कर

आयकर व्यय वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग को दर्शाता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में देय आयकर (पुनर्प्राप्त) की राशि होती है। लाभ-हानि और अन्य व्यापक आय के रिपोर्ट के अनुसार कर योग्य लाभ "आयकर से पहले लाभ" से अलग होते हैं क्योंकि उनमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कि अन्य वर्षों में कर योग्य है अथवा उन्हें घटाया भी जा सकता है और बाद में उसमें उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो कभी भी कर योग्य या घटाए गए होते हैं। वर्तमान कर के लिए समूह की देयताओं को रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक मूल रूप से अधिनियमित किए गए दरों का उपयोग करते हुए उसकी गणना की जाती है।

अस्थायी करों के अंतर के लिए स्थगित की गई कर देयताओं को आमतौर पर दर्शाया जाता है। काफी हद तक सभी हटाए गए अस्थायी अंतर के लिए आस्थगित कर संपत्ति को आमतौर पर दर्शाया गया है। यह संभावित है कि इससे वह कर योग्य लाभ हमें उपलब्ध होगा जिसके लिए उन करों को हटाया गया था एवं उन अस्थायी करों का उपयोग भी किया जा सकेगा। ऐसे संपत्ति और देयताओं को उस अवधि तक नहीं दर्शाया जाएगा, जब तक कि अस्थायी अंतर सद्भावना से या अन्य आस्तियों के प्रारंभिक स्वीकृति (व्यापार समायोजन के अलावा अन्य) से वह उत्पन्न न हुआ हो एवं लेनदेन की देयताएं जो न केवल कर योग्य लाभ को प्रभावित करती हैं अपितु लेखांकन लाभ को भी प्रभावित करती हैं।

जहां समूह अस्थायी अंतर के उत्क्रम को नियंत्रित करने में सक्षम है या उसको छोड़कर सहायिकाओं तथा अनुषंगियों में निवेश करती है, वहां ऐसे कर योग्यों के अस्थायी अंतरों के लिए आस्थगित कर देयताओं को स्वीकृति प्राप्त होती है। यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में रद्द नहीं होगी, ऐसे निवेशों तथा ब्याजों के साथ जुड़े अथवा घटाए गए अस्थायी अंतर से उत्पन्न आस्थगित कर आस्तियों को कुछ हद तक स्वीकृति प्राप्त है, यह संभव है कि वहां अस्थायी अंतरों के लाभ का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगी।

प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्थगित कर संपत्ति के वहन राशि की समीक्षा की जाती है और उसे कम भी किया जा सकता है। यह संभव नहीं है कि संपत्ति के किसी या सभी हिस्से को पुनः प्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में अस्वीकृति प्राप्त आस्थगित कर संपत्तियों का पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इसे इस हद तक स्वीकृति दी जाती है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या कुछ हिस्सों को पुनःप्राप्त करने की अनुमति के लिए पर्याप्त कर लाभ उपलब्ध हो सके।

आस्थगित कर संपत्तियों और देयताओं को कर दरों पर मापा जाता है और इसे उस अवधि में लागू करने की अपेक्षा भी की जाती है, जिससे कि कर दरों (तथा कर कानून) पर आधारित देयताओं व आस्तियों का निपटारा किया जा सके। इसे रिपोर्टिंग तिथि के अंत तक लागू या मूल रूप से अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और आस्तियों की माप उसके कर परिणामों को दर्शाती है, जो इस रीति का अनुसरण करती है जिसमें समूह को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आस्तियों और देयताओं की संख्या को व्यवस्थित करने की उम्मीद होती है।

संबंधित मदों को छोड़कर चालू और आस्थगित कर को क्रमशः उनके अन्य व्यापक आय या सीधे इक्विटी में स्वीकार किया गया है। चालू और आस्थगित कर को अन्य व्यापक आय में सीधे इक्विटी के अंतर्गत लाभ या हानि के रूप में स्वीकार किया जाता है। जब चालू कर या आस्थगित कर व्यावसायिक संगठन के प्रारंभिक लेखांकन में आते हैं तो उसके कर प्रभाव को व्यावसायिक संगठन के लेखांकन में शामिल किया जाता है।

आस्थगित आयकर परिसंपत्तियों और देनदारियों का समायोजन तब किया जाता है, जब वर्तमान कर देनदारियों के विरुद्ध वर्तमान कर परिसंपत्तियों का समायोजन करने का कानूनी रूप से प्रवर्तनीय अधिकार हो, तथा जब आस्थगित आयकर परिसंपत्तियां और देनदारियां एक ही कराधान प्राधिकरण द्वारा कर योग्य इकाई या विभिन्न कर योग्य इकाइयों पर लगाए गए आयकरों से संबंधित हों, जहां शेष राशि का निपटान शुद्ध आधार पर करने का प्रयोजन हो।

2.17 कर्मचारी हित लाभ

2.17.1 अल्पा वधि हित लाभ

अल्पकालिक कर्मचारी लाभ वे कर्मचारी लाभ हैं (समाप्ति लाभों के अलावा) जिनका निपटान वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि की समाप्ति के बारह महीने से पहले पूरी तरह से किया जाना अपेक्षित है जिस में कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभों को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें कर्मचारी द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2 रोजगार पश्चात् लाभ एवं अन्या कर्मचारियों के लिए दीर्घावधि लाभ

2.17.2.1 पारिभाषित योगदान योजनाएं

पारिभाषित अंशदान योजना एक रोजगार-पश्चात् लाभ योजना है जिसके अंतर्गत कंपनी एक अलग निकाय द्वारा बनाए गए कोष में एक निश्चित अंशदान का भुगतान करती है और कंपनी के पास आगे की राशि का भुगतान करने के लिए कोई कानूनी या रचनात्मक दायित्व नहीं होगा। पारिभाषित अंशदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्वों को कर्मचारियों द्वारा दी जाने वाली सेवाओं की अवधि में लाभ और हानि के विवरण में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है।

2.17.2.2 पारिभाषित लाभ योजनाएं

पारिभाषित लाभ योजनाएं एक पारिभाषित योगदान योजनाओं के अलावा एक अन्य रोजगार लाभ योजनाएं भी हैं। उपदान, छुट्टी भुगतान आदि पारिभाषित लाभ योजनाएं हैं। पारिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य लाभ राशियों के तहत आकलन करके गणना की जाती है, जिसे कर्मचारियों ने अपने सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में अर्जित किया है। लाभ में रियायत अपने वर्तमान मूल्य को लेकर किया जाता है तथा संपत्तियों के उचित मूल्य के द्वारा उसे हटाया भी जाता है, इनमें से जो भी उचित हो के द्वारा कार्य निष्पादित किया जाता है। छूट की

दर जो कि वर्तमान समय में कंपनी के दायित्वों में उल्लेखित शर्तों के अंतर्गत परिपक्व होने वाली रिपोर्टिंग तिथि के अनुसार भारतीय सरकारी प्रतिभूतियों की मौजूदा बाजार पर आधारित होती है और यह एक ही मुद्रा में अंकित होगी, जिसमें लाभ का भुगतान करने की अपेक्षा होती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के प्रयोग में छूट दर के बारे में धारणाएं आस्तियों पर अपेक्षित वसूल किए गए भावी दर, वेतन वृद्धि दर तथा नैतिकता दर आदि के अंतर्गत शामिल होती हैं। इस तरह के अनुमान इन योजनाओं की दीर्घावधि के कारण अनिश्चितताओं के अधीन हैं। अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर प्रत्येक तुलनपत्र पर अंकित होती है जिनकी गणना बीमांकिक द्वारा की जाती है। जब गणना कंपनी के हित में हों तो भविष्य में योजना के योगदान में कमी या योजना से धन वापसी के रूप में आर्थिक लाभों में स्वीकृत आस्तियों का उपलब्ध वर्तमान मूल्य पर सीमित किया जाता है। यदि योजना देयताओं के समाधान पर या योजना के दौरान वसूली योग्य हो तो कंपनीको आर्थिक लाभ उपलब्ध होगा।

कुल पारिभाषित देयताओं का पुनः माप किया जाता है जिसमें आस्ति योजना (ब्याज छोड़कर) पर वसूली को ध्यान में लेते हुए बीमांकिक लाभ व हानि को शामिल किया गया हो तथा आस्तियों (ब्याज छोड़कर यदि कोई हो) का प्रभाव अन्य व्यापक आय में तुरंत स्वीकार किया जाता है। कंपनी निर्धारित अवधि के लिए पारिभाषित लाभ दायित्वों को मापने एवं उपयोग होने वाली छूट दर को लागू करने के लिए शुद्ध पारिभाषित लाभ देयताओं (आस्ति) पर शुद्ध ब्याज (आय) निर्धारित करती है। इसके बाद वार्षिक अवधि के दौरान पारिभाषित लाभ देयताएं (आस्ति) योगदान और लाभ भुगतान के परिणामों के फलस्वरूप प्राप्त पारिभाषित लाभ देयताओं के अंतर्गत आस्तिओं में परिवर्तन करती है। पारिभाषित लाभ योजनाओं से संबंधित कुल ब्याज खर्च एवं अन्य खर्चों को लाभ व हानि में स्वीकार किया जाता है।

जब योजना से प्राप्त लाभों में बढ़ोत्तरी की जाती है तब कर्मचारियों द्वारा पिछले सेवा से संबंधित बढ़ाये गए लाभों को लाभ व हानि विवरण में खर्च के रूप में दर्शाया जाता है।

2.17.3 अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ, अल्पकालिक कर्मचारी लाभ, रोजगार के बाद के लाभ और समाप्ति लाभ के अलावा सभी कर्मचारी लाभ हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों में वे मदे शामिल हैं, जिनका वार्षिक रिपोर्टिंग अवधि के अंत के बारह महीने से पहले पूरी तरह से निपटान होने की उम्मीद नहीं है, जिसमें कर्मचारी संबंधित सेवा प्रदान करते हैं।

अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभों के लिए, लाभ या हानि के विवरण में निम्नलिखित राशियों का शुद्ध योग चिह्नित किया जाता है:

- क) सेवा लागत
- ख) शुद्ध पारिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज
- ग) शुद्ध पारिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) का पुनःमापन

2.18 विदेशी मुद्रा

लेन-देन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके विदेशी मुद्राओं में लेन-देन को कंपनी की रिपोर्ट की गई मुद्रा में परिवर्तित किया जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में मूल्य वर्गित मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दरों पर अनुवादित किया जाता है। मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के निपटान पर या मौद्रिक आस्तियों और देनदारियों के उन दरों से भिन्न दरों पर अनुवाद करने पर उत्पन्न होने वाले विनिमय अंतर, जिन पर उन्हें अवधि के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर या पिछले वित्तीय विवरणों में अनुवादित किया गया था, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में पहचाने जाते हैं जिस में वे उत्पन्न होते हैं।

विदेशी मुद्रा में मूल्य वर्गित गैर-मौद्रिक मदों का मूल्यांकन लेन-देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर किया जाता है।

2.20 वस्तु सूची

2.20.2 भंडार, पुर्जे, और अन्य वस्तु सूची

अन्य इन्वेंटरी सहित भंडार और पुर्जों के स्टॉक का मूल्यांकन भारत औसत विधि के आधार पर गणना की गई लागत पर किया जाता है।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर और स्पेयर्स के लिए 100% की दर से प्रावधान किए जाते हैं और 5 वर्षों तक स्थानांतरित न किए गए स्टोर और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से प्रावधान किए जाते हैं।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं एवं संपत्तियां

कानूनी या रचनात्मक) उसे प्राप्त हो और यह संभव है कि दायित्वों का निपटान करने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह होना आवश्यक है और उसे दायित्वों की विश्वसनीयता के रूप में भी लिया जा सकता है। जहां समय मूल्यवान है वहां दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित व्यय को वर्तमान मूल्य के अनुरूप रखा जाता है।

सभी प्रावधानों की समीक्षा तारीख के साथ प्रत्येक तुलनपत्र पर की जाती है और जो मौजूदा श्रेष्ठ अनुमान को दर्शाता है।

जहां यह संभव न हो कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो या राशि का सटीक रूप से अनुमान नहीं लगाया गया हो तो वहां दायित्वों को दायित्व के रूप में प्रकट किया जाना प्रासंगिक हो जाता है। इस स्थिति में आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती। संभावित दायित्व के अस्तित्व की केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की उपस्थिति या गैर-घटना से पुष्टि की जाएगी, जो कि पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं होगी एवं उन्हें प्रासंगिक देयताओं के रूप में प्रकट किया जाएगा जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाहकी संभावना दूर नहीं होती।

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ ऐसी संभावित परिसंपत्तियाँ हैं जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती हैं और जिनके अस्तित्व की पुष्टि केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से होगी जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं हैं। आकस्मिक परिसंपत्तियों का खुलासा वित्तीय विवरणों में तब किया जाता है जब प्रबंधन के निर्णय के आधार पर आर्थिक लाभ का प्रवाह संभावित होता है। इनका लगातार मूल्यांकन किया जाता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वित्तीय विवरणों में विकास उचित रूप से परिलक्षित हो।

2.22 प्रति शेयर आय

समय के अनुरूप बकाया इक्विटी शेयरों को भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ में विभाजित कर के प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयरों में मंदित आय की गणना इक्विटी शेयरों की औसत लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय से प्राप्त होती है और इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या जो कि सभी डिलिटिव संभावित इक्विटी शेयरों के रूपांतरण पर जारी की जाती है।

2.23 निर्णय, आकलन और धारणाएं

भारतीय लेखा मानक के अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को अनुमान, निर्णय और धारणाएँ बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और परिसंपत्तियों और देनदारियों की रिपोर्ट की गई राशियों, वित्तीय विवरणों की तिथि पर आकस्मिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के प्रकटीकरण और रिपोर्ट की गई अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि को प्रभावित करते हैं। जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाली लेखांकन नीतियों के अनुप्रयोग और इन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा किया गया है। लेखांकन अनुमान अवधि दर अवधि बदल सकते हैं। वास्तविक परिणाम उन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं। अनुमानों और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिस में अनुमान संशोधित किए जाते हैं और, यदि महत्वपूर्ण हैं, तो उनके प्रभावों का वित्तीय विवरणों के नोट्स में घोषणा की जाती है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में, प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णय लिए हैं, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है:

2.23.1.1 लेखांकन नीतियों का निर्माण

लेखांकन नीतियाँ ऐसे वित्तीय विवरण हैं जिसमें लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी प्राप्त होती है, जिस पर वे लागू होते हैं। जिन नीतियों का प्रभाव अव्यवस्थित हो उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं होती।

प्रबंधन ने भारतीय लेखांकन मानक के अभाव में जो विशिष्ट रूप से लेनदेन, घटना की स्थिति पर लागू होते हैं, के अंतर्गत अपने निर्णयानुसार लेखांकन नीतियों के विकास तथा उसे लागू करने के लिए तथा परिणाम प्राप्त करने हेतु निम्न जानकारीयों उद्धृत की है।

क. उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णय लेने के अनुरूप और

ख. वित्तीय वक्तव्यों में विश्वसनीयता:

- I. कंपनी ईमानदारी से वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नगदी प्रवाह का प्रतिनिधित्व करती है।
- II. केवल विधिक ही नहीं बल्कि आर्थिक लेनदेन, अन्य घटनाएं और स्थितियाँ प्रतिबिंबित है।
- III. तटस्थ है अर्थात् पूर्वाग्रह से मुक्त,
- IV. मितव्ययी, तथा
- V. सभी सामग्रियाँ पूर्ण रूप से निरंतरता पर आधारित होती हैं।

प्रबंधन निर्णय लेते हैं और उन्हें अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों के द्वारा संदर्भित किया जाता है।

क. भारतीय लेखांकन मानक में लेनदेन से संबंधित मुद्दों की आवश्यकताएं, और

ख. परिभाषित मानदंड और आस्तियाँ, देनदारी आय और खर्च की अवधारणा।

निर्णय लेने के लिए प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखांकन मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं पर विचार करती है और उनकी अनुपस्थिति में अन्य मानक स्थापित निकायों जोकि सामान्य विचारात्मक तंत्र का उपयोग करते हुए लेखांकन मानकों और अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग कार्य का विकास करती है जिससे कि उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ विवाद की स्थिति न पैदा हो।

कंपनी ऊर्जा क्षेत्र का संचालन करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहां उत्पादन चरण का विकास विभिन्न स्थलाकृति और भू-क्षेत्र के इलाकों पर आधारित है, जो दशकों से चल रहे पट्टे में फैला हुआ है और जहां लगातार परिवर्तन की संभावनाएं होती हैं) जहां लेखांकन नीतियों की वृद्धि हुई है। पिछले कई दशकों से अनुसंधान समितियों द्वारा विशिष्ट उद्योग प्रथाओं की नियमावली के रूप में उसे अनुमोदित किया गया है। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ-साथ लेखांकन नीतियों के भी विकास का प्रयास करती है और इसमें भारतीय लेखांकन मानक 8 के विकास पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है।

2.23.1.2 सामग्रियाँ

भारतीय लेखांकन मानक सामग्रीयुक्त वस्तुओं का उपयोग करती है। प्रबंधन विचार करते हुए यह निर्णय लेते हैं कि एकीकृत वस्तुओं या वस्तुओं के समूह को वित्तीय विवरणों में सामग्री के रूप में लिया जा सकता है। सामग्री का आकलन, वस्तुओं के आकार और प्रकृति के अनुरूप किया जाता है। निर्णायक

कारण यह है कि उपयोगकर्ता वित्तीय निर्णयों के आधार पर निर्णय लेते हैं जो कि भूलचूक से आर्थिक निर्णय को प्रभावित भी करते हैं। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के मदों का निर्धारण करते हुए आवश्यकताओं को पूर्ण करती है एवं किसी विशेष परिस्थिति में या तो प्रकृति या किसी मद की मात्रा या कुल वस्तुओं का निर्धारण भी करती है। इसके अलावा कंपनी अपने जरूरत के अनुरूप मौजूदा सभी वस्तुओं को अलग से रखती है ताकि नियमानुरूप जब उन्हें इनकी आवश्यकता हो तब इनका उपयोग किया जा सके।

दिनांक 01.04.2019 से प्रभावी रूप में पहले की अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजे गए त्रुटियों/चूक को अपरिवर्तित और समायोजित किया जा सकता है, अगर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के पिछले लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार कुल संपत्ति का 1% से अधिक न हों।

2.23.1.3 परिचालन पट्टे

कंपनी ने पट्टा करार किया है। कंपनी ने व्यवस्थाओं की शर्तों और नियमों के मूल्यांकन के आधार पर यह निर्धारित किया है कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का प्रमुख हिस्सा नहीं है और परिसंपत्ति का उचित मूल्य है, तथा वह इन संपत्तियों के स्वामित्व के सभी महत्वपूर्ण जोखिमों और लाभों को बरकरार रखती है तथा अनुबंधों को परिचालन पट्टे के रूप में दर्ज करती है।

2.23.2 आंकलन और धारणाएँ-

रिपोर्टिंग तिथि में भावी और अन्य महत्वपूर्ण स्त्रोतों के बारे में मुख्य धारणाएँ दी गई हैं, जो कि अगले वित्तीय वर्ष में आस्तियों और देयताओं की मात्रा के रूप में समायोजित किए जायेंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है। कंपनी आंकलन और धारणाओं के आधार पर समेकित वित्तीय विवरण को तैयार करती है। कंपनी भविष्य में होने वाले विकास जिसमें बाजार में होने वाली परिवर्तनों पर मौजूदा परिस्थिति के अनुरूप उन पर नियंत्रण रखती है। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होती हैं।

अनुमान, निर्णय और संबंधित धारणाएँ ऐतिहासिक अनुभव और अन्य कारकों पर आधारित हैं जिन्हें प्रासंगिक माना जाता है। वास्तविक परिणाम इन अनुमानों से भिन्न हो सकते हैं।

अनुमान और अंतर्निहित धारणाओं की निरंतर समीक्षा की जाती है। लेखांकन अनुमानों में संशोधन उस अवधि में पहचाने जाते हैं जिस में अनुमान संशोधित किया जाता है और भविष्य की अवधि प्रभावित होती है।

लेखांकन नीतियों का अनुप्रयोग जिसके लिए महत्वपूर्ण निर्णय और जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करने वाले लेखांकन अनुमानों की आवश्यकता होती है और इन स्टैंडअलोन वित्तीय विवरणों में धारणाओं के उपयोग का खुलासा नीचे किया गया है:

2.23.2.1 गैर-वित्तीय आस्तियों की हानि

हानि तब होती है जब किसी आस्ति या नकदी पैदा करने वाली इकाई का वहन मूल्य उसकी वसूली योग्य राशि से अधिक हो जाता है, जो कि उचित मूल्य से अधिक निपटान की कम लागत और उपयोग में इसके मूल्य से अधिक है। कंपनी व्यक्तिगत परियोजनाओं को हानि के परीक्षण के उद्देश्य से नकदी उत्पन्न करने वाली भिन्न इकाइयों के रूप में मानती है। उपयोग गणना में मूल्य डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच वर्षों के लिए बजट से प्राप्त होता है और इसमें पुनर्गठन गतिविधियों को शामिल नहीं किया जाता है जो कंपनी अभी तक या महत्वपूर्ण भविष्य के निवेश के लिए प्रतिबद्ध नहीं है वह सीजीयू के परीक्षण के आस्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि डीसीएफ मॉडल के लिए उपयोग की जाने वाली छूट दर के साथ-साथ भविष्य की अपेक्षित नकदी-प्रवाह और बाह्य गणन प्रयोजनों के लिए उपयोग की जाने वाली वृद्धि दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन संरचनाओं के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न सीजीयू के लिए वसूली योग्य राशि का पता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली प्रमुख धारणाओं का खुलासा और संबंधित नोटों में आगे बताया गया है।

2.23.2.2 कर

अस्थायी आस्तियाँ को अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस सीमा तक स्वीकृति प्राप्त है, जिस सीमा तक कर लगाने योग्य लाभों की उपलब्धता को उनके घाटे में भी उपयोग किया जा सके। प्रबंधन के महत्वपूर्ण निर्णयों की आवश्यकता इसलिए है कि आस्थगित कर आस्तियों की राशि का निर्धारण किया जा सके जिससे वह पहचाने जा सके। उपरोक्त समय के आधार पर और भविष्य में कर के लाभों के स्तर के साथ भावी कर योजनाओं के तहत रणनीतियाँ बनाई जायेंगी।

2.23.2.3 योजनाओं के लाभ की परिभाषा

पारिभाषित लाभ, ग्रेजुएटी योजना और अन्य रोजगार चिकित्सा लाभों की लागत और ग्रेजुएटी दायित्वों के वर्तमान मूल्य का निर्धारण बीमांकिक मूल्यांकन से किया जाता है। मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएँ शामिल होती हैं, जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य में वेतन बढ़ोतरी और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल किया जाता है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलता, परिभाषित लाभ, दायित्वों की स्वीकृतियों में परिवर्तन अत्यंत ही संवेदनशील होते हैं। प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि में सभी स्वीकृतियों की समीक्षा की जाती है। सबसे अधिक परिवर्तन होने वाला विषय छूट दर होता है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपर्युक्त छूट दर को निर्धारित करने में प्रबंधन सरकारी अनुबंध के ब्याज दरों के साथ मुद्रित रोजगार के ब्याज दायित्वों पर विचार करती है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर की सारणी पर आधारित होते हैं। मृत्यु दर के सारणी में बदलाव केवल जनसांख्यिकीय परिवर्तनों पर आधारित होती है। भावी वेतन वृद्धि और ग्रेजुएटी की बढ़ोत्तरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर निर्धारित की जाती है।

2.23.2.4 विकास के तहत अमूर्त संपत्तियां

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति का पूंजीकरण करती है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि की जाती है, आमतौर पर जब एक परियोजना रिपोर्ट तैयार और अनुमोदित की जाती है।

2.24 प्रयोग किए गए संक्षेपाक्षर:

a.	CGU	नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई	l.	ECL	ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
b.	DCF	रियायती नकदी प्रवाह	m.	BCCL	भारत कोकिंग कोल लिमिटेड
c.	FVTOCI	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य	n.	CCL	सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड
d.	FVTPL	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य	o.	SECL	साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
e.	GAAP	आमतौर पर स्वीकार किये गए लेखा सिद्धांत	p.	MCL	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड
f.	Ind AS	भारतीय लेखांकन मानक	q.	NCL	नदर्ण कोलफील्ड्स लिमिटेड
g.	OCI	अन्य व्यापक आय	r.	WCL	वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
h.	P&L	लाभ और हानि	s.	CMPDIL	सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिज़ाइन इंस्टिट्यूट लिमिटेड
i.	PPE	सम्पत्ति, संयंत्र तथा उपकरण	t.	NEC	नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड्स
j.	SPPI	केवल मूलधन और ब्याज का भुगतान	u.	IICM	भारतीय कोयला प्रबंधन संस्थान
k.	EIR	प्रभावी ब्याज दर	v.	CIL	कोल इंडिया लिमिटेड

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी-3.1: संपत्ति संयंत्र एवं उपकरण

	प्रॉपर्टी लैंड	अन्य भूमि	भूमि उद्धार/साइट पुनर्स्थापित लागत	भवन (जल आपूर्ति, रोड तथा पुलिया)	संयंत्र एवं उपकरण	फर्नीचर व फिक्सचर	वाहन	कार्यालय उपकरणों	दूरसंचार	रेलवे साइटिंग	अन्य खनन आधार संरचना	परिसंपत्तियों का सर्वे ऑफ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
(₹ लाख में)															
सकल वहन राशि:															
01.04.2022 के अनुसार परिवर्धन						9.22		1.54				0.05			10.81
विलोपन / समायोजन															-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	9.22	-	1.54	-	-	-	0.05	-	-	10.81
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार परिवर्धन	-	-	-	-	-	9.22		1.54				0.05			10.81
विलोपन / समायोजन								(0.70)							-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	9.22	-	0.84	-	-	-	0.05	-	-	(0.70)
संचित मूल्यह्रास और हानि															
						8.67		1.17							9.84
						0.09		0.22							0.31
01.04.2022 के अनुसार वर्ष के लिए प्रभार विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	8.76	-	1.39	-	-	-	-	-	-	10.15
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	8.76	-	(0.57)	-	-	-	-	-	-	(0.57)
संचित हानि															-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार वर्ष के लिए प्रभार विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	8.76	-	0.83	-	-	-	-	-	-	9.58
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	8.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-
संचित हानि															-
01.04.2022 के अनुसार वर्ष के लिए प्रभार विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-										-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-										-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार वर्ष के लिए प्रभार विलोपन / समायोजन	-	-	-	-	-	0.46	-	0.02	-	-	-	0.05	-	-	0.53
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	0.46	-	0.15	-	-	-	0.05	-	-	0.66
शुद्ध वहन राशि															
31 मार्च, 2024 के अनुसार															
31 मार्च, 2023 के अनुसार															

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी-3.2: पूँजीगत कार्य प्रगति

(₹ लाख में)

	भवन (पानी की आपूर्ति, सड़कों और कल्वर्ट सहित)	संयंत्र एवं उपकरणों	रेलवे साईडिंग	अन्य अवसंरचना/विकास	निर्माणाधीन रेल कॉरीडोर	सौर परियोजना	अन्य	कुल
सकल वहन राशि:								
01.04.2022 के अनुसार				2,129.82				
परिवर्धन				169.02				
पूँजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	2,298.84				
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	2,298.84				
परिवर्धन				266.35				
पूँजीकरण/विलोपन								
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	2,565.19	-	-	-	2,565.19
संचित हानि								
01.04.2022 के अनुसार								-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार								-
विलोपन/ समायोजन								-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि								
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	2,565.19	-	-	-	2,565.19
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	2,298.84	-	-	-	-

1. पूंजीगत कार्य-प्रगति की आयु निर्धारण अनुसूची (सकल):					
	पर प्रगतिरत पूंजीगत कार्य की राशि				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
प्रगति पर परियोजनाएं:					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य बुनियादी ढाँचा/विकास	266.35	169.02	108.88	2,020.94	2,565.19
निर्माणाधीन रेल कॉरिडोर					-
सौर परियोजना					-
अन्य					-
परियोजनाएँ अस्थायी रूप से बंद :					
भवन (जल आपूर्ति, सड़क और पुलिया सहित)					-
संयंत्र और उपकरण					-
रेलवे साइडिंग्स					-
अन्य खनन अवसंरचना/विकास					-
कुल	266.35				2,565.19

किसी भी चालू परियोजना के लिए वर्ष के दौरान व्यय की गई राशि को, परियोजना की आयु बढ़ाने के उद्देश्य से, परियोजना के आरंभ के वर्ष में किया गया व्यय माना जाएगा।

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 3.3 :अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियां

(₹ लाख में)
अन्वेषण और
मूल्यांकन लागत

सकल वहन राशि:

01.04.2022 के अनुसार

योग

पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन

31 मार्च, 2023 के अनुसार

-

01अप्रैल, 2023 के अनुसार

योग

पीपीई में स्थानांतरण/प्रगतिशील पूंजीगत कार्य/ विलोपन

31 मार्च, 2024 के अनुसार

-

संचित हानि

01.04.2022 के अनुसार

वर्ष के लिए प्रभार

विलोपन/ समायोजन

31 मार्च, 2023 के अनुसार

-

01अप्रैल, 2023 के अनुसार

वर्ष के लिए प्रभार

विलोपन/ समायोजन

31 मार्च, 2024 के अनुसार

-

शुद्ध वहन राशि

31 मार्च, 2024 के अनुसार

-

31 मार्च, 2023 के अनुसार

-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी टिप्पणी 3.4 : अमूर्त परिसंपत्तियाँ

(₹ लाख में)

	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	अमूर्त अन्वेषण परिसंपत्तियाँ	रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल वहन राशि: :					
01.04.2022 के अनुसार					-
योग					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
योग			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित परिशोधन					
01.04.2022 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
संचित हानि					
01.04.2022 के अनुसार					-
वर्ष के लिए प्रभार					-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार			-		-
विलोपन/ समायोजन					-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
शुद्ध वहन राशि					
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी
टिप्पणी 3.5: विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

(₹ लाख में)

	विकास के तहत ईआरपी	रेल कॉरिडोर विकासधीन	कुल
वहन राशि:			
01.04.2022 के अनुसार	-	-	-
योग	-	-	-
पूँजीकरण/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-
योग	-	-	-
पूँजीकरण/विलोपन	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
संचित परिशोधन			
01.04.2022 के अनुसार	-	-	-
वर्ष के लिए प्रभार	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-
01 अप्रैल, 2023 के अनुसार	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-
विलोपन/ समायोजन	-	-	-
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
शुद्ध वहन राशि			
31 मार्च, 2024 के अनुसार	-	-	-
31 मार्च, 2023 के अनुसार	-	-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(₹ लाख में)

नोट - 4.1 : निवेश	-	-	होल्डिंग का %	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर चालू	-	-			
सहकारी शेयरों में निवेश (अउद्धृत)				-	-
सुरक्षित बांड में निवेश (उद्धृत)				-	-
कुल				-	-
चालू	-	-		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
म्यूचुअल फंड (अउद्धृत)	इकाइयों	एनएवी (₹)			
अन्य					
अन्य (सुरक्षित बांड में निवेश- उद्धृत)				-	-
कुल				-	-

4.1.1 उद्धृत/अउद्धृत निवेश के बाजार मूल्य का विवरण

	गैर चालू		चालू	
	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेशों की कुल राशि:	-	-	-	-
उद्धृत निवेशों का बाजार मूल्य:	-	-	-	-
निवेशों के मूल्य में हानि की कुल राशि:	-	-	-	-

नोट - 4.2 : ऋण		31.03.2024	31.03.2023
	-	तक	तक
गैर चालू	-		
संबंधित पक्षों को ऋण			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	
- क्रेडिट खराब हुआ है		-	
		-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		-	
			-
निगमित निकायों और कर्मचारियों को ऋण			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	
- क्रेडिट खराब हुआ है		-	
		-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1		-	
			-
ब्याज रहित अग्रिम पर आस्थगित परिसंपत्ति		-	-
कुल		-	-
चालू	-		
संबंधित पक्षों को ऋण			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	-
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	-
- ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-
- ऋण खराब हुआ है		-	-
		-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता4.2.1		-	-
			-
संबंधित पक्षों के अलावा अन्य को ऋण			
निगम और कर्मचारियों को ऋण			
- सुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	
- असुरक्षित, अच्छा माना जाता है		-	-
- क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है		-	-
- क्रेडिट खराब हुआ है		-	-
		-	-
घटाएँ: संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता		-	
कुल		-	-

4.2.1 संदिग्ध ऋण शेष के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू और गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

4.2.2 संबंधित पक्षों को ऋण के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 4.3: व्यापार प्राप्तियाँ

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
सुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	-
असुरक्षित को अच्छा माना जाता है	-	-
क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	-	-
क्रेडिट खराब हुआ है	-	-
घटाएँ : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ता 4.3.1	-	-
कुल	-	-

4.3.1 अशोध्य एवं संदिग्ध ऋणों के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू एवं गैर-चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

7. व्यापार प्राप्तियाँ आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

(₹ लाख में)							
विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	+C147	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iii) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

31.03.2023 तक

व्यापार प्राप्तियाँ आयु निर्धारण अनुसूची							
विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया						कुल
	बिल न किए गए बकाया	6 महीने से कम	6 महीने 1 वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	
(i) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(ii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(iii) निर्विवाद व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
(iv) विवादित व्यापार प्राप्य - अच्छा माना जाता है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - जिसमें क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि होती है							-
(v) विवादित व्यापार प्राप्य - क्रेडिट खराब							-
कुल		-	-	-	-	-	-
अपेक्षित क्रेडिट हानि के लिए भत्ता							-
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान) - %		0%	0%	0%	0%	0%	0%

नोट - 4.4 : नकदी और नकदी समकक्ष	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंकों में शेष राशि		
-जमा खातों में	5.45	8.62
-चालू खातों में	-	-
भारत के बाहर बैंक शेष राशि	-	-
प्राथमिक डीलरों के पास आईसीडी4.4.1	-	-
हाथ में चेक, ड्राफ्ट और स्टाम्प	-	-
हाथ में नकदी	-	-
भारत के बाहर हाथ में नकदी	-	-
अन्य 4.4.2	-	-
कुल	5.45	8.62

4.1 नकदी और नकदी समतुल्य में पास में मौजूद नकदी, बैंक, स्वीप खाते और बैंकों में रखी गई सावधि जमाएं शामिल हैं, जिनकी मूल परिपक्वता अवधि तीन महीने या उससे कम है।

नोट - 4.5 : अन्य बैंक शेष	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
बैंकों में शेष राशि		
जमा खाते	-	-
जमा खाते (विशिष्ट प्रयोजनों के लिए)4.5.1	-	-
कुल	-	-

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमा राशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

4.5.1 विशिष्ट प्रयोजनों के लिए जमा राशि वे बैंक जमा राशियां हैं जो न्यायालय के आदेश के अनुसार ग्रहणाधिकार के तहत रखी गई हैं/निर्धारित हैं तथा अन्य विशिष्ट प्रयोजनों के लिए हैं।

नोट - 4.6 : अन्य वित्तीय परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू		
सुरक्षा जमा	-	-
कम: संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता4.6.1	-	-
12 महीने से अधिक परिपक्वता वाली बैंक जमा राशियां	-	-
खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा 4.6.2	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य4.6.4	-	-
अन्य जमा और प्राप्य4.6.5	75.24	75.11
कम : संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता4.6.1	-	-
कुल	75.24	75.11

	31.03.2024	31.03.2023
चालू	तक	तक
सुरक्षा जमा	-	-
कम : संदिग्ध सुरक्षा जमा के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-
मुख्यालय, होल्डिंग कंपनी और सहायक कंपनियों के साथ चालू खाता शेष	-	-
कम : सहायक कंपनियों के पास संदिग्ध शेष राशि के लिए भत्ता	-	-
	-	-
-	-	-
अर्जित ब्याज	-	-
वित्त पट्टा प्राप्य ⁵	-	-
अन्य जमा और प्राप्य	-	-
घटाएँ: संदिग्ध जमा और प्राप्य के लिए भत्ता 4.6.1	-	-
	-	-
कुल	-	-
4.6.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (चालू एवं गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान उपयोग की गई	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

"4.6.2 खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमाराशि

खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशा-निर्देशों का पालन करते हुए, एक एस्करो खाता खोला गया है। एस्करो खाते में अर्जित ब्याज सहित जमा की गई कुल राशि का 50% तक दिशा-निर्देशों के अनुसार बंद करने की योजना की आवधिक जांच के अनुरूप हर पांच साल बाद जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली/खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 9.1 देखें)।"

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
एस्करो खाते में प्रारंभिक शेष राशि	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा की गई राशि	-	-
जोड़ें: वर्ष के दौरान जमा किया गया ब्याज (टीडीएस के बाद शुद्ध)	-	-
घटाएँ: वर्ष के दौरान निकाली गई राशि	-	-
समापन तिथि पर एस्करो खाते में शेष राशि	-	-
-	-	-

4.6.4 पट्टा

-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

वित्त पट्टा

(i) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(ii) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

परिचालन लीज़

(iii) पट्टा प्राप्य के संबंध में लाभ और हानि खाते में मान्यता प्राप्त राशियाँ:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पट्टा आय	-	-
परिवर्तनीय पट्टा भुगतान से संबंधित आय जो किसी सूचकांक या दर पर निर्भर नहीं होती	-	-
कुल	-	-

(iv) पहले पांच वर्षों में से प्रत्येक वर्ष के लिए न्यूनतम वार्षिक आधार पर तथा शेष वर्षों के लिए बिना छूट वाले पट्टा भुगतान प्राप्त किए जाएंगे:

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
एक वर्ष से कम	-	-
एक से दो वर्ष के बीच	-	-
दो से तीन वर्ष के बीच	-	-
तीन से चार वर्ष के बीच	-	-
चार से पांच वर्ष के बीच	-	-
पांच वर्ष से अधिक	-	-
कुल	-	-

(v) 30.06.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-

(vi) 31.03.2023 तक परिचालन पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन:

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष/अवधि के दौरान वृद्धि	वर्ष/अवधि के दौरान विलोपन	वर्ष के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यहास/ परिशोधन
भूमि	-	-	-	-	-
भवन	-	-	-	-	-
संयंत्र और उपकरण	-	-	-	-	-
फर्नीचर और फिक्स्चर	-	-	-	-	-
वाहन	-	-	-	-	-
कार्यालय उपकरण	-	-	-	-	-
दूरसंचार	-	-	-	-	-
रेलवे साइडिंग	-	-	-	-	-
रेल कॉरिडोर	-	-	-	-	-
अमूर्त संपत्ति	-	-	-	-	-
4.6.6 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें					

नोट - 5.1 : इन्वेंटरी	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
कोयला (तैयार माल)	-	-
विकास परियोजनाओं में कोयला	-	-
घटाएँ: मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	-	-
भंडार, स्पेयर्स और अन्य सूची (निवल) 5.1.3	-	-
कम: धीमी गति से चलने वाली, गैर-चलती और अप्रचलित सूची के लिए प्रावधान	-	-
कुल	-	-
5.1.1 मूल्य में कमी के लिए प्रावधान में बदलाव का ब्यौरा		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
5.1.2 स्टोर और स्पेयर्स की सूची में वे आइटम शामिल हैं जो धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित की श्रेणियों में आते हैं। कंपनी की नीति के अनुसार इन वस्तुओं के लिए प्रावधानों को मान्यता दी जाती है। धीमी गति से चलने वाले, गैर-चलने वाले और अप्रचलित स्टोर, स्पेयर्स और अन्य इन्वेंट्री के लिए प्रावधानों में संचालन का विवरण:		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-
5.1.3 उपरोक्त अन्य सूची में कार्यशाला कार्य, स्टेशनरी, दवा, प्रेस कार्य आदि का स्टॉक शामिल है।		
नोट - 6.1: अन्य गैर-वर्तमान परिसंपत्तियां	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
-	-	-
पूंजी अग्रिम	-	-
कम: संदिग्ध अग्रिमों के लिए भत्ता 6.1.1	-	-
पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम	-	-
अन्य जमा और अग्रिम	-	-
कम: संदिग्ध जमा के लिए भत्ता 6.1.1	-	-
प्रगतिशील खदान बंद होने पर हुए व्यय 6.1.2	-	-
संबंधित पक्षों को अग्रिम राशि	-	-
कुल	-	-

6.1.1 खराब एवं संदिग्ध जमा तथा प्राप्य (गैर-चालू) के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	
वर्ष के दौरान चिन्हित	-	-
वर्ष के दौरान अमान्य	-	-
वर्ष के अंत में शेष	-	-

6.1.2 उपरोक्त विवरण, खदान बंद करने की योजना तैयार करने के लिए कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार मान्यता प्राप्त समवर्ती व्यय को दर्शाता है।

6.1.3 निदेशकों से बकाया के लिए - नोट 16 - (2)(viii) देखें

नोट - 6.2: अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
पूँजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम	-	-
वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	-	-
कम : संदिग्ध वैधानिक बकाया के लिए भत्ता 6.2.1	-	-
	0.01	0.01
अन्य जमा और अग्रिम 6.2.2 और 6.2.3	-	-
कम: संदिग्ध अन्य जमा और अग्रिम के लिए भत्ता 6.2.1	-	-
	0.01	0.01
प्रगतिशील खदान बंद होने पर होने वाला व्यय 6.1.2	-	-
प्राप्य इनपुट टैक्स क्रेडिट 6.2.4	-	-
कुल	0.01	0.01

6.2.1 खराब एवं संदिग्ध अग्रिमों और जमाओं के लिए भत्ते में परिवर्तन का विवरण (चालू)

वर्ष की शुरुआत में शेष	-	
अवधि के दौरान प्राप्त हुई मान्यता	-	-
अवधि के दौरान उपयोग किया गया	-	-
अवधि के अंत में शेष	-	-

नोट - 7.1 : इक्विटी शेयर पूँजी	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
जारी, अभिदत्त और चुकता शेयर पूँजी		
50000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए (P.Y. 50000 इक्विटी शेयर ₹ 10/- प्रत्येक पूर्णतः भुगतान किए गए)	5.00	5.00
कुल	5.00	5.00

7.1.1 कंपनी में 5% से अधिक शेयर रखने वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा धारित शेयर

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य ₹10 प्रत्येक)	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन	कुल शेयरों का %	वर्ष के दौरान % परिवर्तन
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड और उसके नामिती	50000	100.000	0.000	100.00	0.00%

7.1.2 रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में बकाया इक्विटी शेयरों का समाधान:-

विवरण	शेयर की संख्या	राशि
31.03.2019 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2020 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2021 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन		
31.03.2022 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2023 को शेष राशि	50,000	5,00,000.00
समाप्त अवधि के दौरान परिवर्तन	-	-
31.03.2024 तक शेष राशि	50,000	5,00,000.00

7.1.3 कंपनी के पास इक्विटी शेयरों की केवल एक श्रेणी है जिसका अंकित मूल्य ₹ 1000/- प्रति शेयर है। इक्विटी शेयरों के धारक समय-समय पर घोषित लाभांश प्राप्त करने के हकदार हैं और शेयरधारकों की बैठक में उनके शेयर होल्डिंग के अनुपात में वोटिंग अधिकार के हकदार हैं। निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के अधीन है। परिसमापन की स्थिति में, इक्विटी शेयरधारक अपनी शेयरधारिता के अनुपात में सभी अधिमान्य राशि के भुगतान के बाद कंपनी की शेष संपत्ति प्राप्त करने के पात्र हैं।

नोट - 7.2 : अन्य इक्विटी

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
पूँजी मोचन रिजर्व	-	-
पूँजी रिजर्व	-	-
सामान्य रिजर्व	-	-
प्रतिधारित आय	(610.71)	(606.90)
अन्य व्यापक आय जिसे लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-
कुल	(610.71)	(606.90)

(ए) पूँजी मोचन रिजर्व

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान जोड़	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

(i) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, पूँजी मोचन रिजर्व तब बनाया जाता है जब कंपनी अपने शेयर फ्री रिजर्व या सिक्क्योरिटीज प्रीमियम से खरीदती है, इस तरह खरीदे गए शेयरों के नाममात्र मूल्य के बराबर राशि पूँजी मोचन रिजर्व में स्थानांतरित कर दी जाती है। रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

(ii) पूँजी मोचन रिजर्व का विवरण

विवरण	राशि (₹ लाख में)	वर्ष
इक्विटी शेयर की पुनर्खरीद		
कुल	0	

(बी) पूँजी रिजर्व

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-

(सी) सामान्य रिजर्व

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
सामान्य रिजर्व में/से स्थानांतरण	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

सामान्य रिजर्व एक मुक्त रिजर्व है जिसका उपयोग समय-समय पर विनियोजन प्रयोजनों के लिए प्रतिधारित आय से/में लाभ स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है।

(घ) (i) प्रतिधारित आय

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	(606.90)	(604.12)
अवधि के लिए लाभ	(3.81)	(2.78)
अंतरिम लाभांश	-	-
अंतिम लाभांश	-	-
वर्ष के दौरान समायोजन (मुख्यालय में स्थानांतरण)	-	-
सामान्य रिज़र्व में स्थानांतरण	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	(610.71)	(606.90)

(d) (ii) अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा (i)

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-
कुल (d(i) + (ii))	(610.71)	(606.90)

(i) परिभाषित लाभ योजनाओं पर शुद्ध बीमांकिक लाभ/(हानि) शामिल है (कर पश्चात निवल)

(ii) प्रतिधारित आय कंपनी का आज तक अर्जित संचित लाभ और हानि है, जो विनियोजनों को घटाकर प्राप्त की जाती है।

(ई) अन्य व्यापक आय की मर्दे

(अन्य व्यापक आय मर्दे जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा)

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद पर विनिमय मतभेद		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय	-	-
संयुक्त उद्यमों की अन्य व्यापक आय/(व्यय) का हिस्सा	-	-
अवधि के दौरान समायोजन	-	-
अवधि के अंत में शेष राशि	-	-

नोट - 8.1 : उधार

	31.03.2024	31.03.2023
	तक	तक
गैर-चालू		
अवधिक ऋण		
बैंकों से 8.1.1 और 8.1.2		
सुरक्षित	-	-
असुरक्षित	-	-

अन्य से 8.1.3

सुरक्षित
असुरक्षित

-	-
-	-
-	-

चालू

बैंक से

सुरक्षित
बैंक ओवरड्राफ्ट
बैंकों से अन्य ऋण

-	-
-	-

दूसरों से

सुरक्षित
असुरक्षित

-	-
-	-

दीर्घकालिक उधार की वर्तमान परिपक्वता 8.1.1

-	-
-	-

नोट - 8.2: लीज देयताएँ

गैर-चालू

31.03.2024
तक

31.03.2023
तक

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि
अवधि के दौरान वृद्धि
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत
लीज देयताओं का भुगतान
अवधि के समापन पर शेष राशि

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

चालू

वर्ष की शुरुआत में शेष राशि
अवधि के दौरान वृद्धि
अवधि के दौरान अर्जित वित्तीय लागत
पट्टा देनदारियों का भुगतान
अवधि के समापन पर शेष राशि

-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

नोट

8.2.1 बिना छूट के आधार पर पट्टा देयता का परिपक्वता विश्लेषण (गैर-वर्तमान और चालू):

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
1 वर्ष तक		
1-5 वर्ष		
5 वर्ष से अधिक		

8.2.2 30.09.2023 तक उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के वहन मूल्य में परिवर्तन

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यहास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

पट्टे की शर्तों पर व्यक्तिगत आधार पर बातचीत की जाती है और इसमें विभिन्न नियम और शर्तें शामिल होती हैं। प्रत्येक पट्टे में आम तौर पर एक प्रतिबंध लगाया जाता है कि, जब तक कि कंपनी के पास किसी अन्य पक्ष को संपत्ति को उप-पट्टे पर देने का कोई संविदात्मक अधिकार न हो, उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति का उपयोग केवल कंपनी द्वारा ही किया जा सकता है।

अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य वाली अंतर्निहित संपत्तियों के पट्टों के अपवाद के साथ, प्रत्येक पट्टे को बैलेंस शीट पर उपयोग के अधिकार वाली संपत्ति और पट्टे की देयता के रूप में दर्शाया जाता है। अल्पकालिक पट्टों और कम मूल्य के पट्टों के लिए किए गए भुगतानों को पट्टे की अवधि के दौरान सीधी रेखा के आधार पर व्यय किया जाता है।

विवरण	वर्ष की शुरुआत में शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के दौरान वृद्धि	अवधि के दौरान विलोपन	अवधि के समापन पर शुद्ध वहन मूल्य	अवधि के लिए मूल्यहास/ परिशोधन
भूमि					
इमारत					
संयंत्र और उपकरण					
फ़र्निचर व फिक्सचर					
वाहनों					
कार्यालय उपकरण					
दूरसंचार					
रेलवे साइडिंग					
रेल कॉरिडोर					
अमूर्त संपत्ति					

कंपनी की महत्वपूर्ण पट्टा व्यवस्थाओं में दीर्घकालिक व्यवस्थाओं के तहत उपयोग के लिए समर्पित परिसंपत्तियां शामिल हैं, जैसा कि उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों की उपरोक्त तालिका में दिया गया है।

8.2.3 लाभ या हानि में चिन्हित राशियाँ

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उपयोग के अधिकार वाली परिसंपत्तियों के लिए मूल्यहास और परिशोधन व्यय	-	-
पट्टे की देनदारियों पर ब्याज व्यय	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित व्यय		
बिक्री और लीजबैक लेनदेन से होने वाला लाभ या हानि		
	-	-

8.2.4 नकदी प्रवाह विवरण में पट्टों के लिए कुल नकदी बहिर्वाहकी घोषणा की गई

विवरण	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वित्तीय पट्टा देनदारियों का भुगतान	-	-
अल्पकालिक पट्टों से संबंधित नकद निकासी		
	-	-

नोट - 8.3 : व्यापार देयताएं

चालू

सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों का कुल बकाया

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के अलावा अन्य लेनदारों का कुल बकाया

कुल

31.03.2024 तक 31.03.2023 तक

- -

- -

- -

8.3.1 व्यापार देयताओं की आयु निर्धारण अनुसूची

31.03.2024 तक

विवरण	निम्न अवधि के लिए अंतरण तिथि से बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

31.03.2023 तक

विवरण	लेन-देन की तिथि से निम्नलिखित अवधि के लिए बकाया				
	1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
i) एमएसएमई					-
ii) अन्य					-
iii) विवादित बकाया -एमएसएमई					-
iv) विवादित बकाया -अन्य					-
v) बिल न किया गया बकाया					-
कुल	-	-	-	-	-

नोट - 8.4 : अन्य वित्तीय देयताएं		31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू	- -		
सुरक्षा जमा		-	-
अन्य		-	-
कुल		<u>-</u>	<u>-</u>
चालू	- -		
एमसीएल के साथ चालू खाता	- -	3,241.00	2,978.32
सुरक्षा जमा		3.63	3.08
बयाना राशि		0.05	0.05
पूँजीगत व्यय के लिए देय		-	-
कर्मचारी लाभ के लिए दायित्व		2.00	0.26
अन्य 8.4.2 & 8.4.3		3.09	1.77
कुल		<u>3,249.77</u>	<u>2,983.49</u>
नोट - 9.1 : प्रो	- -	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
गैर-चालू	- -		
कर्मचारी लाभ			
उपदान		-	-
अवकाश नकदीकरण		-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		-	-
अन्य कार्मिक लाभ		-	-
अन्य प्रावधान			
साइट बहाली/खदान बंदी 9.1.3		-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन 9.1.2		-	-
अन्य		-	-
कुल		<u>-</u>	<u>-</u>
चालू	- -		
कर्मचारी लाभ			
उपदान		-	-
अवकाश नगदीकरण		-	-
सेवानिवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ		-	-
एक्स-ग्रेसिया		-	-
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन		-	-
अन्य कार्मिक लाभ 9.1.4		-	-
		-	-
साइट बहाली/ खदान बंद करना		-	-
अन्य प्रावधान			
अन्य		-	-
कुल		<u>-</u>	<u>-</u>

9.1.1 प्रावधानों में परिवर्तन का विवरण (वर्तमान और गैर-वर्तमान)

भारतीय मानक लेखांकन -37 के अनुसार विभिन्न प्रावधानों की स्थिति और संचलन, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण और सेवानिवृत्ति के बाद चिकित्सा लाभ से संबंधित प्रावधानों को छोड़कर, जो एक्चुरियल मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं।

	वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	अवधि के दौरान प्रभारित	अवधि के दौरान उपयोग किया गया	अवधि के अंत में शेष राशि
अनुग्रह राशि	-	-	-	0.00
कार्यनिष्पादन संबंधी वेतन	-	-	-	0.00
अन्य कार्मिक लाभ	-	-	-	0.00
अन्य	-	-	-	0.00

9.1.2 स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (वर्तमान और गैर-वर्तमान) में गतिविधि का विवरण

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
(i) अग्रिम स्ट्रिपिंग परिसंपत्ति:		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज/रिवर्स की गई राशि	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
(ii) अनुपात विचरण आरक्षित		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
वर्ष के दौरान चार्ज/उलटा हुआ	-	-
वर्ष के अंत में शेष राशि	-	-
स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन (i-ii)	-	-

भूमि पुनर्ग्रहण/स्थल पुनरुद्धार/खदान बंद करने का समाधान :

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
उद्घाटन तिथि पर साइट बहाली का प्रावधान	0.00	
साइट बहाली प्रावधान का जोड़	-	
जोड़: अवधि के दौरान लगाए गए प्रावधान की समाप्ति	0.00	0.00
कम: अवधि के दौरान निकासी	-	
खदान बंद करने का प्रावधान	0.00	0.00

नोट - 10.1 : अन्य गैर-चालू देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य	-	
कुल	-	-

नोट - 10.2 : अन्य वर्तमान देनदारियां

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
वैधानिक बकाया	5.44	4.74
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम राशि	-	
आस्थगित आय (सरकारी अनुदान)	-	
अन्य देयताएँ 2	-	-
कुल	5.44	4.74

नोट - 11.1 : कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	31.03.2024 तक	31.03.2023 तक
आयकर संपत्ति		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	3.08	3.08
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	-	-
अवधि के दौरान प्रत्यावर्तन/वापसी	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	3.08	3.08
आयकर देयताएं		
वर्ष की शुरुआत में शेष राशि	-	-
अवधि के दौरान मान्यता प्राप्त	(14.1 और 15.1 देखें)	-
अवधि के दौरान उलटफेर/समायोजन	-	-
अवधि के समापन पर शेष राशि	-	-
अंत में निवल आयकर परिसंपत्ति/(देयताएं)	3.08	3.08
इस प्रकार प्रकट किया गया:		
गैर चालू		
आयकर परिसंपत्तियां (शुद्ध)	-	-
आयकर देयताएं (शुद्ध)	-	-
चालू		
आयकर परिसंपत्तियाँ (शुद्ध)	-	3.08
आयकर देयताएँ (शुद्ध)	-	-
	-	3.08

नोट - 11.2 : आस्थगित कर परिसंपत्तियां/देयताएं

	01.04.2023 तक शेष राशि	अवधि के दौरान लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त/(उलट)	अवधि के दौरान अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त	31.03.2024 तक शेष राशि
आस्थगित कर परिसंपत्तियां:				
संदिग्ध अग्रिम, दावों और ऋणों के लिए प्रावधान				-
कार्मिक लाभ				-
अन्य				-
(A) का कुल	-	-	-	-
विलम्बित टैक्स देयता:				
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण तथा अमूर्त संपत्ति से संबंधित				-
अन्य	-			-
(B) का कुल	-	-	-	-
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति/(आस्थगित कर देयता) (C= A-B)	-	-	-	-
"D. "" परिभाषित लाभ योजना का पुनर्मूल्यांकन डीटीएल(+)/डीटीए(-)""	-			-
शुद्ध आस्थगित कर परिसंपत्ति/(देयता) (E=C+D)	-	-	-	-

किए गए खुलासे के अनुसार:

आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ
आस्थगित कर देयता

31.03.2024 तक

31.03.2023 तक

-	-
-	-
-	-

वित्तीय विवरणी के लिए टिप्पणी

(₹ लाख में)

नोट - 12.1 : परिचालन से राजस्व

31.03.2024 को
समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2023 को
समाप्त वर्ष के लिए

बिक्री

बिक्री

घटाएँ: वैधानिक शुल्क

बिक्री (शुद्ध) (ए) 12.1.1, 12.1.2 और 12.1.3

अन्य परिचालन राजस्व

रेत भंडारण और सुरक्षात्मक कार्यों के लिए सब्सिडी

लोडिंग और अतिरिक्त परिवहन शुल्क

घटाएँ: वैधानिक शुल्क

निकासी सुविधा शुल्क

घटाएँ: वैधानिक शुल्क

अन्य सेवाओं से राजस्व⁴

घटाएँ: वैधानिक शुल्क

अन्य परिचालन राजस्व (शुद्ध) (बी)

परिचालन से राजस्व (ए+बी)

नोट - 12.2 : अन्य आय

31.03.2024 को
समाप्त वर्ष के लिए

31.03.2023 को
समाप्त वर्ष के लिए

ब्याज आय 12.2.1

म्यूचुअल फंड से लाभांश आय

अन्य गैर-परिचालन आय (ऐसी आय से सीधे संबंधित व्यय को घटाकर)

परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ

विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ

म्यूचुअल फंड की बिक्री पर लाभ

लीज किराया 12.2.2

वापस लिखा गया प्रावधान 12.2.2

वापस लिखी गई देयताएँ

उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)

विविध आय 12.2.3

कुल

0.00

12.2.1 आयकर रिफण्ड पर ब्याज शामिल है ₹ शून्य (पिछली अवधि ₹ शून्य, पी.वाई. ₹ शून्य)

12.2.2 वापस लिखे गए प्रावधान का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए गए ऋण के लिए (4.2.1)

व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)

वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)

कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)

अन्य गैर चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.1.1)

अन्य चालू जमा और अग्रिम के लिए (6.2.1)

अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान

नोट - 13.1 : प्रयुक्त सामग्री की लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
विस्फोटक	-	-
लकड़ी	-	-
तेल और स्नेहक	-	-
एचईएमएम स्पेयर्स	-	-
अन्य उपभोग्य स्टोर और स्पेयर्स	-	-
कुल	-	-
नोट - 13.1 (ए) : स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद		
स्टॉक-इन-ट्रेड की खरीद	-	-
नोट - 13.2 : तैयार माल, प्रगतिरत कार्य और व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
कोयले की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	-
राजस्व में लाया गया आरंभिक स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	-
कार्यशाला और प्रेस नौकरियों की सूची में परिवर्तन		
वर्ष की शुरुआत में स्टॉक	-	-
वर्ष के समापन पर स्टॉक	-	-
कुल	-	-
नोट - 13.3 : कर्मचारी लाभ व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वेतन और मजदूरी 13.3.1 और 13.3.2	-	-
भविष्य निधि और अन्य निधियों में योगदान	-	-
कर्मचारी कल्याण व्यय	-	-
कुल	-	-
नोट - 13.4 : वित्तीय लागत	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
ब्याज व्यय		
छूट समाप्त करना	-	-
उचित मूल्य में परिवर्तन (शुद्ध)	-	-
अन्य उधार लागत 13.4.1	-	-
कुल	-	-
13.4.1 इसमें उधार पर उपार्जित ब्याज ₹.....लाख शामिल है (पिछले वर्ष की संगत अवधि ₹.....लाख, पिछले वर्ष ₹.....लाख)		

नोट - 13.5: मूल्यहास/परिशोधन/हानि	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
मूल्यहास/परिशोधन/हानि		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण (नोट 3.1)	(0.57)	-
प्रगति में पूंजीगत कार्य (नोट 3.2)	-	-
अन्वेषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियाँ (नोट 3.3)	-	-
अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.4)	-	-
विकासाधीन अमूर्त परिसंपत्तियाँ (नोट 3.5)	-	-
	(0.57)	-
घटाएँ:		
कोयला खदानों के विकास के दौरान व्यय में स्थानांतरित	-	-
कुल	(0.57)	-

नोट - 13.6 : स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
एडवांस स्ट्रिपिंग (नेट)	-	-
अनुपात भिन्नता रिजर्व	-	-
	-	-

13.6.1 अग्रिम स्ट्रिपिंग से तात्पर्य उस अवधि के दौरान अतिरिक्त भार हटाने से है जो उस अवधि के दौरान कोयले के उत्पादन से संबंधित नहीं है। अग्रिम स्ट्रिपिंग को उस सीमा तक मान्यता दी जाती है, जिससे किसी परियोजना (खदान) में कोयले तक पहुँच में सुधार होता है।

13.6.2 इस अवधि के दौरान, औसत स्ट्रिपिंग अनुपात और चालू अनुपात के बीच अंतर को ध्यान में रखते हुए अनुपात भिन्नता चार्ज की गई है। औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (एआर) हटाए गए ओवर बर्डन (ओबी) की कुल मात्रा और परियोजना जीवन के दौरान खनन किए जाने वाले कुल कोयले के बीच का अनुपात है। चालू अनुपात (सीआर) हटाए गए ओबी और अवधि के दौरान उत्पादित कोयले के बीच का अनुपात है।

नोट - 13.7: संविदागत व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
परिवहन शुल्क	-	-
वैगन लोडिंग	-	-
संयंत्र और उपकरणों को किराये पर लेना	-	-
अन्य संविदात्मक कार्य	-	-
कुल	-	-

नोट - 13.8 : अन्य व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
बिजली खर्च	-	-
मरम्मत और रखरखाव		
- इमारत	-	-
- संयंत्र और उपकरण	-	-
- अन्य	-	-
यात्रा व्यय	-	-
प्रशिक्षण व्यय	-	-
टेलीफोन और इंटरनेट	-	-

विज्ञापन और प्रचार	-	
माल ढुलाई शुल्क	-	
विलंब शुल्क	-	
अंडर लोडिंग शुल्क	-	
कोयला नमूनाकरण शुल्क	-	
सुरक्षा व्यय	-	
कानूनी व्यय	-	
सीआईएल का सेवा शुल्क	-	
परामर्श शुल्क	0.44	0.11
सेवा शुल्क (सीएमपीडीआई)	-	
परिसंपत्तियों की बिक्री/त्याग/सर्वेक्षण पर हानि	-	
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
ऑडिट फीस के लिए	1.42	1.06
कर मामलों के लिए	-	
अन्य सेवाओं के लिए	-	
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए।	0.71	0.53
आंतरिक और अन्य लेखापरीक्षा व्यय	-	
पुनर्वास शुल्क	-	
लीज़ किराया और किराये पर लेने का शुल्क ¹	-	
दरें और कर	-	
बीमा	-	
विनिमय दर भिन्नता पर हानि	-	
अन्य बचाव/सुरक्षा व्यय	-	
साइडिंग रखरखाव शुल्क	-	
अनुसंधान, विकास और सर्वेक्षण व्यय	-	
पर्यावरण और वृक्षारोपण व्यय	-	
शेयरों की पुनर्खरीद पर व्यय	-	
कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व व्यय ^{13.4.2}	-	
दान, पुरस्कार और अनुदान	-	
प्रावधान 13.4.1	-	
बट्टे खाते में डालना (पहले से मान्यता प्राप्त प्रावधानों के बट्टे खाते में डालने के बाद)	-	
विविध व्यय	1.16	0.85
कुल	3.72	2.56

13.4.1 प्रावधानों का विवरण

निगम और कर्मचारियों को दिए जाने वाले ऋणों के लिए (4.2.1)	-	-
व्यापार प्राप्तियों के लिए (4.3.1)	-	-
वित्तीय जमा और प्राप्तियों के लिए (4.6.1)	-	-
कोयला और स्टोर इन्वेंटरी के लिए (5.1.1 और 5.1.2)	-	-
अन्य गैर चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.1.1)	-	-
अन्य चालू जमा और अग्रिमों के लिए (6.2.1)	-	-
अवधि/वर्ष के दौरान वापस लिखा गया कुल प्रावधान	-	-

नोट - 14.1 : कर व्यय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
चालू वर्ष	-	-
पिछले वर्ष	-	-
कुल चालू कर	-	-
आस्थगित कर	-	-
एमएटी क्रेडिट पात्रता	-	-
कुल	-	-
14.1.1 कर व्यय का समाधान:		
कर से पहले लाभ/(हानि)	(3.81)	(2.78)
आयकर दर 25.168% (31.03.2022: 25.168%) पर	-	-
घटाएँ: छूट प्राप्त आय पर कर	-	-
जोड़ें: गैर-कटौती योग्य व्यय पर कर/(कर उद्देश्य के लिए अनुमत अतिरिक्त व्यय)	-	-
एमएटी प्रावधानों के तहत कर के लिए समायोजन	-	-
पिछले वर्ष के कर के लिए समायोजन	-	-
लाभ और हानि के विवरण में रिपोर्ट किए गए आयकर व्यय	-	-
प्रभावी आयकर दर:	0.00%	0.00%
14.1.2 आस्थगित कर परिसंपत्तियों/(देनदारियों) के घटक के लिए नोट 11.2 देखें		
नोट - 15.1 : अन्य व्यापक आय	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31.03.2023 को समाप्त वर्ष के लिए
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन ¹	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनर्मूल्यांकन	-	-
	-	-
वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
विदेशी परिचालन के वित्तीय विवरणों के अनुवाद में विनिमय अंतर	-	-
	-	-
उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि में पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा		
संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	-	-
	-	-
कुल	-	-

नोट – 16: 31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स

1 a) आकस्मिक देयताएं

I. कंपनी के विरुद्ध दावों को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया (उस सीमा तक जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

(₹ लाख में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2023 को खुलने की तिथि			-	-	-
अवधि के दौरान वृद्धि					-
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से					-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2024 को समापन			-	-	-

(₹ लाख में)

	केंद्र सरकार	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकारी	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम	अन्य	कुल
01.04.2022 को खुलने की तिथि					-
अवधि के दौरान वृद्धि					-
इस अवधि के दौरान निपटाए गए दावे:					
क. प्रारंभिक शेष राशि से					-
ख. अवधि के दौरान अतिरिक्त					-
31.03.2023 को समापन			-	-	-

(₹ लाख में)

आकस्मिक देयता			
क्रम सं.	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
1	केंद्र सरकार		
	आयकर		
	केंद्रीय उत्पाद शुल्क		
	स्वच्छ ऊर्जा उपकर		
	केंद्रीय बिक्री कर		
	सेवा कर		
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)		
	उप कुल	-	-
2	राज्य सरकार और स्थानीय प्राधिकरण		
	रॉयल्टी		
	पर्यावरण मंजूरी		
	बिक्री कर/वैट		
	प्रवेश कर		
	बिजली शुल्क		
	अन्य		
	उप कुल	-	-
3	केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम		
	मध्यस्थता कार्यवाही		-
	कंपनी के खिलाफ मुकदमा दायर		-
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें)		-
	उप कुल	-	-
4	अन्य: (यदि कोई हो)		
	विविध - भूमि एवं अन्य		
	कर्मचारी संबंधी आदि.		
	उप कुल	-	-
	कुल योग	-	-

आकस्मिक परिसंपत्तियाँ: आकस्मिक परिसंपत्ति एक संभावित परिसंपत्ति है जो पिछली घटनाओं से उत्पन्न होती है और जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक अनिश्चित भविष्य की घटनाओं के घटित होने या न होने से ही पुष्ट होगा जो पूरी तरह से इकाई के नियंत्रण में नहीं हैं। व्यवसाय के सामान्य क्रम के दौरान, कई अनसुलझे दावे वर्तमान में लंबित हैं। ऐसे दावों के संबंध में आर्थिक लाभ के प्रवाह को संबंधित घटनाओं और परिस्थितियों से जुड़ी अनिश्चितताओं के कारण मापा नहीं जा सकता है।

II. गारंटी

31.03.2024 तक जारी बैंक गारंटी ₹ 0.00 लाख (गत वर्ष ₹ 0.00 लाख) है।

III. साख पत्र

31.03.2024 तक बकाया ऋण पत्र शून्य (गत वर्ष शून्य) है।

ख) प्रतिबद्धताएं

31.03.2024 तक शून्य

2 संबंधित पार्टी की जानकारी

क) समूह जानकारी

i) प्रमोटर कंपनियां

क्र सं	इकाई का नाम	प्रमुख गतिविधियाँ	इसके निगमन का देश	% इक्विटी ब्याज	
				31.03.2023	31.03.2024
1	महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड	कोयला खनन	भारत	100	100

B. समूह के भीतर संबंधित पक्ष लेन-देन

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड ने अपनी होल्डिंग कंपनी के साथ लेनदेन किया है, जिसमें वेतन एवं मजदूरी तथा चालू खाते के माध्यम से सहायक कंपनियों द्वारा या उनकी ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

भारतीय मानक लेखांकन 24 के अनुसार, महत्वपूर्ण लेनदेन की प्रकृति और राशि के संबंध में निम्नलिखित खुलासे किए गए हैं:

i) अधिकार वाली कंपनी

संबंधित पक्षों का नाम	शीर्ष प्रभार	पुनर्वास शुल्क	भुगतान किया लाभांश	परिसंपत्तियों की बिक्री	सहायक कंपनियों द्वारा जमा किये गये धन पर ब्याज	अन्य (एमसीएल के साथ चालू खाते पर लगाया गया ब्याज)	चालू खाता शेष (देय)/ प्राप्य	"बकाया शेष राशि (देय)/ प्राप्तियां"
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड				-	-	262.68	3,241.00	-
कुल वर्तमान अवधि				-	-	262.68	3,241.00	-

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	से प्रभावी
श्री केशव राव	अध्यक्ष	10.01.2020
श्री ए. के. पांडे	निदेशक	01.03.2023
श्री जी. महापात्रा	निदेशक	01.03.2023
श्री के.एस.सिंह	निदेशक	28.04.2022
श्री एस. के. भुयान	सीईओ	16.03.2021

iv) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(₹ लाख में)

क्र सं	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी सचिव को भुगतान	31.03.2024	31.03.2023
i)	अल्पावधि कर्मचारी लाभ		
a.	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक, मुख्य वित्तीय अधिकारी और कंपनी सचिव को भुगतान	-	0
b.	स्वतंत्र निदेशकों को बैठने की फीस	-	-
ii)	नौकरी के बाद मिलने वाले लाभ	-	0
iii)	अन्य दीर्घकालिक लाभ		
iv)	समाप्ति लाभ		-
v)	शेयर आधारित भुगतान		
	कुल	-	-

टिप्पणी:

VI) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों के साथ बकाया संतुलन

(₹ लाख में)

क्र सं	विवरण	31.03.2024	31.03.2023
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्त राशि	-	-

VIII) कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां अलग-अलग या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से बकाया नहीं हैं। न ही कोई व्यापार या अन्य प्राप्तियां उन फर्मों या निजी कंपनियों से बकाया हैं जिनमें कोई निदेशक भागीदार, निदेशक या सदस्य है। इसके अलावा संबंधित पक्षों (निदेशकों, प्रमुख प्रबंधकीय व्यक्तियों और अन्य) को कोई ऋण नहीं है।

3

a)

अन्य

अधिकृत

पूंजी

	31.03.2024	31.03.2023
₹ 10/- प्रत्येक के 50000 इक्विटी शेयर पूर्णतः चुकता	5.00	5.00

4 उचित मूल्य मापन

(a) वर्गवार वित्तीय साधन

(₹ लाख में)

	31-03-2024		31-03-2023	
	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत
वित्तीय पूंजी				
निवेश :				
प्राथमिक शेयर				
-Equity Component				
-Debt Component				
सुरक्षित बांड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण				
जमा एवं प्राप्तियाँ		75.24		75.11
व्यापार प्राप्तियाँ*				
नकद और नकद समतुल्य		5.45		8.62
अन्य बैंक बैलेंस				
वित्तीय देयताएं				
उधारी				
व्यापार देयताएं				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		3.68		3.13
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताएं				

(b) उचित मूल्य अनुक्रम

नीचे दी गई तालिका वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने में किए गए निर्णयों और अनुमानों को दर्शाती है जिन्हें (a) उचित मूल्य पर मान्यता प्राप्त है और मापा जाता है और (b) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिनके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों की घोषणा की जाती है। उचित मूल्य निर्धारित करने में उपयोग किए गए इनपुट की विश्वसनीयता के बारे में निरेश देने के लिए, कंपनी ने अपने वित्तीय साधनों को लेखांकन मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है।

उचित मूल्य पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देयताएं	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
एफवीटीपीएल में वित्तीय परिसंपत्तियां				
निवेश :				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				

परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जिनके उचित मूल्य 31-03-2024 को प्रकट किए गए हैं	31-03-2024		31-03-2023	
	स्तर 1	स्तर 3	स्तर 1	स्तर 3
वित्तीय पूंजी				
निवेश* :				
प्राथमिक शेयर				
इक्विटी घटक				
ऋण घटक				

सुरक्षित बांड				
म्यूचुअल फंड/आईसीडी				
ऋण		75.24		75.11
जमा एवं प्राप्तियाँ				
व्यापार प्राप्तियाँ*		5.45		8.62
नकद और नकद समतुल्य				
अन्य बैंक बैलेंस				
वित्तीय देयताएं				
उधारी				
व्यापार देयताएं				
सुरक्षा जमा और बयाना राशि		3.68		3.13
पट्टा देयताएं				
अन्य देयताएं				

प्रत्येक स्तर का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

"स्तर 1: स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके मापे गए वित्तीय उपकरण शामिल हैं। इसमें म्यूचुअल फंड शामिल हैं जिसका मूल्यांकन रिपोर्टिंग तिथि पर समापन निवल परिसंपत्ति मूल्य (एनएवी) का उपयोग करके किया जाता है।"

स्तर 2: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो अवलोकनीय बाजार डेटा का अधिकतम उपयोग करते हैं और इकाई-विशिष्ट अनुमानों पर यथासंभव कम निर्भर करते हैं। यदि किसी साधन का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए आवश्यक सभी महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय हैं, तो साधन को स्तर 2 में शामिल किया जाता है।

स्तर 3: यदि एक या अधिक महत्वपूर्ण इनपुट अवलोकनीय बाजार डेटा पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण को स्तर 3 में शामिल किया जाता है। यह स्तर 3 में शामिल निवेश, सुरक्षा जमा और अन्य देयताओं के मामले में लागू होता है।

(c) उचित मूल्य निर्धारण में प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीक

वित्तीय साधनों के मूल्यांकन के लिए प्रयुक्त मूल्यांकन तकनीकों में म्यूचुअल फंड में निवेश के संबंध में साधनों के उद्धृत बाजार मूल्य (एनएवी) का उपयोग शामिल है।

(d) महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके उचित मूल्य माप

वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रमाणित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप उपलब्ध नहीं है।

(e) परिशोधित लागत पर मापी गई वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

व्यापार प्राप्य, अल्पावधि जमा, नकदी और नकदी समतुल्य, व्यापार देयताओं की अग्रणीत राशि को उनकी अल्पावधि प्रकृति के कारण, उनके उचित मूल्य के समान माना जाता है।

कंपनी का मानना है कि सुरक्षा जमा में कोई महत्वपूर्ण वित्तपोषण घटक शामिल नहीं है। सुरक्षा जमा कंपनी के कार्य निष्पादन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों से राशि को बनाए रखने की आवश्यकता होती है। ठेकेदार द्वारा अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में विफल रहने से प्रत्येक महत्वपूर्ण कार्य के भुगतान के एक निर्दिष्ट प्रतिशत को रोके रखने का उद्देश्य कंपनी के हितों की रक्षा करना है। तदनुसार, सुरक्षा जमा की लेनदेन लागत को प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य माना जाता है और बाद में परिशोधन लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान: सक्रिय बाजार में कारोबार न किए जाने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी एक विधि का चयन करने के लिए अपने विवेक का उपयोग करती है और प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उपयुक्त धारणाएँ बनाती है।

5 वित्तीय जोखिम प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन उद्देश्य और नीतियां

कंपनी की प्रमुख वित्तीय देनदारियों में व्यापार और अन्य देय शामिल हैं। इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के संचालन को वित्तपोषित करना और इसके संचालन को समर्थन देने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय परिसंपत्तियों में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकद और नकद समकक्ष शामिल हैं जो सीधे इसके संचालन से प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी का वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करता है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा सहायता प्रदान की जाती है जो अन्य बातों के साथ-साथ वित्तीय जोखिमों और कंपनी के लिए उपयुक्त वित्तीय जोखिम प्रशासन के ढांचे पर सलाह देती है। जोखिम समिति निदेशक मंडल को आश्वासन देती है कि कंपनी की वित्तीय जोखिम गतिविधियाँ उचित नीतियों और प्रक्रियाओं द्वारा शासित हैं और वित्तीय जोखिमों की पहचान, माप और प्रबंधन कंपनी की नीतियों और जोखिम उद्देश्यों के अनुसार किया जाता है। निदेशक मंडल इनमें से प्रत्येक जोखिम के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करता है और उनसे सहमत होता है, जिन्हें नीचे संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है।

यह नोट उन जोखिम स्रोतों की व्याख्या करता है जिनसे संस्था को सामना करना पड़ता है तथा संस्था वित्तीय विवरणों में जोखिम का प्रबंधन किस प्रकार करती है।

जोखिम	इससे उत्पन्न जोखिम	मापन	प्रबंधन
क्रेडिट जोखिम	नकद और नकद समकक्ष, परिशोधित लागत पर मापी गई व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्ति	आयु विश्लेषण/क्रेडिट रेटिंग	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), बैंक जमा ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों का विविधीकरण
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देयताएं	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध ऋण लाइनों और उधार सुविधाओं की उपलब्धता
बाजार जोखिम- विदेशी मुद्रा	भावी वाणिज्यिक लेनदेन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियां जो भारतीय रुपये में मूल्यवर्गित नहीं हैं	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।
बाजार जोखिम- व्याज दर	नकदी और नकदी समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकदी प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशानिर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित निगरानी और समीक्षा।

कंपनी का जोखिम प्रबंधन भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा-निर्देशों के अनुसार निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत प्रदान करता है, साथ ही अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियां भी प्रदान करता है।

A. ऋण जोखिमः

ऋण जोखिम प्रबंधनः

प्राप्तियां मुख्य रूप से कोयले की बिक्री से उत्पन्न होती हैं। कोयले की बिक्री को मोटे तौर पर ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत किया जाता है।

मैक्रो - आर्थिक जानकारी (जैसे विनियामक परिवर्तन) को ईंधन आपूर्ति समझौतों (FSAs) और ई-नीलामी शर्तों के भाग के रूप में शामिल किया जाता है

वित्तीय परिसंपत्तियों की हानि के लिए महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय

ऊपर बताए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट के जोखिम और अपेक्षित हानि दरों के बारे में मान्यताओं पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और हानि गणना के लिए इनपुट चुनने में विवेक का उपयोग करती है, जो कंपनी के पिछले इतिहास, मौजूदा बाजार स्थितियों के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में भविष्य के अनुमानों पर आधारित है।

B. तरलता जोखिम

विवेकपूर्ण नगद जोखिम प्रबंधन का तात्पर्य पर्याप्त नकदी और विपणन योग्य प्रतिभूतियों को बनाए रखना और देय होने पर दायित्वों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में प्रतिबद्ध ऋण सुविधाओं के माध्यम से धन की उपलब्धता बनाए रखना है। अंतर्निहित व्यवसायों की गतिशील प्रकृति के कारण, कंपनी का राजकोष प्रतिबद्ध ऋण लाइनों के तहत उपलब्धता बनाए रखकर धन में लचीलापन बनाए रखता है।

प्रबंधन अपेक्षित नकदी प्रवाह के आधार पर कंपनी की तरलता स्थिति (जिसमें अप्रयुक्त उधार सुविधाएँ शामिल हैं) और नकदी और नकदी समकक्षों के पूर्वानुमानों की निगरानी करता है। यह आमतौर पर कंपनी द्वारा निर्धारित अभ्यास और सीमाओं के अनुसार स्थानीय स्तर पर किया जाता है।

C. बाजार जोखिम

a) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा जोखिम भविष्य के वाणिज्यिक लेनदेन और मान्यता प्राप्त परिसंपत्तियों या देनदारियों से उत्पन्न होता है, जो ऐसी मुद्रा में मूल्यांकित होती हैं जो कंपनी की कार्यात्मक मुद्रा (INR) नहीं है। कंपनी विदेशी मुद्रा लेनदेन से उत्पन्न होने वाले विदेशी मुद्रा जोखिम के संपर्क में है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी आयात भी करती है और जोखिम का प्रबंधन नियमित अनुवर्ती कार्रवाई द्वारा किया जाता है। कंपनी के पास एक नीति है जिसे तब लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

b) नकदी प्रवाह और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

कंपनी का मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमाराशियों से उत्पन्न होता है, ब्याज दर में परिवर्तन के साथ, कंपनी को नकदी प्रवाह ब्याज दर जोखिम के लिए उजागर करता है। कंपनी की नीति अपनी अधिकांश जमाराशियों को निश्चित दर पर बनाए रखने की है।

कंपनी बैंक जमा, ऋण सीमा और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण पर सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) द्वारा जारी दिशानिर्देशों का उपयोग करके जोखिम का प्रबंधन करती है।

6 कर्मचारी लाभ: मान्यता और मापन (भारतीय मानक लेखांकन)

कर्मचारियों को एमसीएल से प्रतिनियुक्त किया जाता है, वेतन मूल कंपनी द्वारा दिया जाता है और आवश्यक डेबिट कंपनी को हस्तांतरित किया जाता है।

7 अन्य सूचना

a) खंड रिपोर्टिंग

समूह का मुख्य व्यवसाय कोयला खनन और उससे संबंधित सेवाएँ हैं। समूह की सभी गतिविधियाँ मुख्य व्यवसाय के इर्द-गिर्द घूमती हैं। इस प्रकार, समूह के लिए कोई अलग से रिपोर्ट करने योग्य खंड नहीं हैं।

(b) पट्टा

क्र.	क्षेत्र का नाम	पट्टेदार का नाम	पट्टे पर दी गई संपत्ति	समझौते की वैध अवधि	प्रति वर्ष पट्टा किराया	टिप्पणी

(c) चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम आदि।

सामान्य व्यवसाय क्रम में चालू परिसंपत्तियों, ऋणों और अग्रिमों पर वसूली का मूल्य, बैलेंस शीट में दर्शाई गई राशि से कम नहीं होगा।

(d) शेष राशि की पुष्टि

कंपनी के पास बैंकों से शेष राशि की आवधिक पुष्टि प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। बैंक खातों और बैंकों और वित्तीय संस्थानों से उधार के संबंध में कोई अपुष्ट शेष राशि नहीं है। अन्य पक्षों के संबंध में, समाधान किया जाता है और शेष राशि की पुष्टि के लिए पत्र/ईमेल भी आवधिक आधार पर भेजे जाते हैं। ऐसी कुछ शेष राशियाँ पुष्टि/समाधान के अधीन हैं। यदि कोई समायोजन होता है, तो उसकी पुष्टि/समाधान के समय उसका हिसाब लगाया जाएगा और परिणामों पर इसका कोई भौतिक प्रभाव पड़ने की उम्मीद नहीं है।

(e) बेनामी लेनदेन (निषेध) अधिनियम, 1988 के अंतर्गत कोई भी बेनामी संपत्ति रखने के लिए बैलेंस शीट की तिथि पर कंपनी के विरुद्ध कोई कार्यवाही शुरू नहीं की गई है या लंबित नहीं है।

(f) समूह के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 के अंतर्गत बंद की गई कंपनियों के साथ कोई लेनदेन नहीं हुआ था।

(g) अनुपात

विवरण	31.03.2024 को समाप्त वर्ष के लिए	31-03-2023 को समाप्त वर्ष के लिए	अंतर
(आ) चालू अनुपात: चालू अनुपात किसी कंपनी की समग्र तरलता स्थिति को दर्शाता है। इसका व्यापक रूप से बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों को कार्यशील पूंजी ऋण देने के बारे में निर्णय लेने में उपयोग किया जाता है। चालू अनुपात की गणना चालू परिसंपत्तियों को चालू देनदारियों से विभाजित करके की जाती है।	0.0026	0.0039	-33%
(ब) ऋण-इक्विटी अनुपात: ऋण-से-इक्विटी अनुपात कंपनी के कुल ऋण की तुलना शेयरधारकों की इक्विटी से करता है। ये दोनों संख्याएँ कंपनी की बैलेंस शीट में पाई जा सकती हैं। ऋण-इक्विटी अनुपात की गणना कुल ऋण को शेयरधारक की इक्विटी से विभाजित करके की जाती है।	0.0000	0.0000	0%
(c) ऋण सेवा कवरेज अनुपात: ऋण सेवा कवरेज अनुपात का उपयोग फर्म की वर्तमान ब्याज और किस्तों का भुगतान करने की क्षमता का विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। ऋण सेवा कवरेज अनुपात की गणना ऋण सेवा के लिए उपलब्ध आय को ऋण सेवा से विभाजित करके की जाती है। ऋण सेवा के लिए आय = करों के बाद शुद्ध लाभ + मूल्यह्रास और अन्य परिशोधन जैसे गैर-नकद परिचालन व्यय + ब्याज + अन्य समायोजन जैसे अचल संपत्तियों की बिक्री पर नुकसान आदि। ऋण सेवा = ब्याज और लीज़ भुगतान + मूलधन चुकौती “कर के बाद शुद्ध लाभ” का अर्थ है “अवधि के लिए लाभ / (हानि)” की रिपोर्ट की गई राशि और इसमें अन्य व्यापक आय की वस्तुएँ शामिल नहीं हैं।”	0.0000	0.0000	0%
(d) इक्विटी अनुपात पर प्रतिफल: यह कंपनी में निवेश किए गए इक्विटी फंड की लाभप्रदता को मापता है। यह अनुपात बताता है कि कंपनी द्वारा इक्विटी धारकों के फंड की लाभप्रदता का किस तरह उपयोग किया गया है। यह इक्विटी धारकों को मिलने वाले प्रतिशत प्रतिफल को भी मापता है। अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: (करों के बाद शुद्ध लाभ में से वरीयता लाभांश (यदि कोई हो) घटाया जाता है) को औसत शेयरधारक की इक्विटी से भाग दिया जाता है	0.0063	0.0043	47%
(e) इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात: इस अनुपात को स्टॉक टर्नओवर अनुपात के रूप में भी जाना जाता है और यह अवधि के दौरान बेची गई वस्तुओं की लागत या अवधि के दौरान बिक्री और अवधि के दौरान रखी गई औसत इन्वेंट्री के बीच संबंध स्थापित करता है। यह उस दक्षता को मापता है जिसके साथ एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री का उपयोग या प्रबंधन करती है। इन्वेंट्री टर्नओवर अनुपात की गणना बेची गई वस्तुओं या बिक्री की लागत को औसत इन्वेंट्री से विभाजित करके की जाती है। औसत इन्वेंट्री (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) है जब इन्वेंट्री के प्रारंभिक और समापन शेष की जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना इन्वेंट्री के समापन शेष द्वारा सीओजीएस या बिक्री को विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(f) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%

(g) व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात: यह उस दक्षता को मापता है जिस पर फर्म प्राप्य का प्रबंधन कर रही है। व्यापार प्राप्य टर्नओवर अनुपात = शुद्ध क्रेडिट बिक्री / औसत प्राप्य खाते शुद्ध क्रेडिट बिक्री में सकल क्रेडिट बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाया जाता है। व्यापार प्राप्य में विविध देनदार और बिल प्राप्य शामिल हैं। औसत व्यापार देनदार = (प्रारंभिक + समापन शेष / 2) जब व्यापार देनदारों की क्रेडिट बिक्री, आरंभिक और समापन शेष के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं होती है, तो अनुपात की गणना कुल बिक्री को व्यापार प्राप्य के समापन शेष से विभाजित करके की जा सकती है।	0.0000	0.0000	0%
(h) निवल पूंजी कारोबार अनुपात: यह कार्यशील पूंजी का उपयोग करने में कंपनी की प्रभावशीलता को दर्शाता है। कार्यशील पूंजी कारोबार अनुपात की गणना इस प्रकार की जाती है: शुद्ध बिक्री को उसी अवधि के दौरान कार्यशील पूंजी की औसत राशि से विभाजित किया जाता है। शुद्ध पूंजी कारोबार अनुपात = शुद्ध बिक्री / कार्यशील पूंजी शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री में से बिक्री रिटर्न घटाकर की जाएगी। कार्यशील पूंजी की गणना चालू परिसंपत्तियों में से चालू देनदारियों को घटाकर की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(i) निवल लाभ अनुपात: यह व्यवसाय के शुद्ध लाभ और बिक्री के बीच संबंध को मापता है। शुद्ध लाभ अनुपात = शुद्ध लाभ / शुद्ध बिक्री शुद्ध लाभ कर के बाद होगा। शुद्ध बिक्री की गणना कुल बिक्री घटा बिक्री रिटर्न के रूप में की जाएगी।	0.0000	0.0000	0%
(j) नियोजित पूंजी पर रिटर्न: नियोजित पूंजी पर रिटर्न कंपनी के प्रबंधन की ऋण धारकों और इक्विटी धारकों दोनों के लिए रिटर्न उत्पन्न करने की क्षमता को दर्शाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, कंपनी द्वारा रिटर्न उत्पन्न करने के लिए उतनी ही कुशलता से पूंजी का उपयोग किया जाएगा। आरओसीई = ब्याज और करों से पहले की कमाई / नियोजित पूंजी नियोजित पूंजी = मूर्त निवल मूल्य + कुल ऋण + आस्थगित कर देयता	0.0063	0.0046	36%
(k) निवेश पर प्रतिफल (संदर्भ: नोट-7): निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) एक वित्तीय अनुपात है जिसका उपयोग कंपनी द्वारा अपनी निवेश लागत के संबंध में प्राप्त लाभ की गणना करने के लिए किया जाता है। अनुपात जितना अधिक होगा, अर्जित लाभ उतना ही अधिक होगा।			

(i) असूचीगत सहायक कंपनियों में इक्विटी निवेश पर आरओआई: उप-सूचीबद्ध कंपनियों की इक्विटी में लाभांश/औसत निवेश।	0.0000	0.0000	0%
(ii) संयुक्त उद्यमों में इक्विटी निवेश पर : आरओआई = प्राप्त लाभांश / संयुक्त उद्यम की इक्विटी में औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iii) निश्चित आय निवेश (बांड/डिबेंचर आदि) पर आरओआई = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(iv) म्यूचुअल फंड पर आरओआई = लाभांश+पूंजीगत लाभ+उचित मूल्य लाभ(हानि)/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%
(v) जमाराशियों पर आरओआई (बैंकों, वित्तीय संस्थाओं सहित आईसीडी के साथ) = ब्याज आय/ औसत निवेश	0.0000	0.0000	0%

8 विविध जानकारी

- i. जहां भी आवश्यक हो पिछले वर्ष के आंकड़ों को पुनः समूहीकृत किया गया है ताकि उन्हें तुलनीय बनाया जा सके।
- ii. नोट - 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट जानकारी और महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों का प्रतिनिधित्व करते हैं, नोट 3 से 11 बैलेंस शीट का हिस्सा बनते हैं और 12 से 13 लाभ और हानि के विवरण का हिस्सा बनते हैं। नोट - 16 वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोट्स का प्रतिनिधित्व करता है।

नोट 1 से 16 तक हस्ताक्षर।

-

बोर्ड की ओर से

ह/-
(एस. के. बहरा)
प्रबन्धक (वित्त)

ह/-
(एस. के. भुईया)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी

ह/-
(जी. महापात्रा)
निदेशक
DIN-10125609

ह/-
(केशव राव)
अध्यक्ष
DIN-08651284

हमारी सम तिथि की रिपोर्ट के अनुसार
सुरु कोटनी एंड एसोसिएट्स के लिए
सनदी लेखाकार
संस्था पंजीयन सं. : 322549E

दिनांक : 12.04.2024
स्थान : भुवनेश्वर

ह/-
(सनदी लेखककर सुरु वेंकटेश्वरलु)
साझेदार
सदस्यता सं. 089258



महानदी
बेसिन
पावर
लिमिटेड

महानदी बेसिन पावर लिमिटेड

(एमसीएल की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी)

रजि. कार्यालय: प्लॉट नंबर जी-3, गदाकाना, चद्रशेखरपुर,
भुवनेश्वर - 751017 (ओडिशा)

